फ़रवरी 2024

सुन्नी डैम (383 MW) हेतु ज़िला शिमला व मंडी में प्रस्तावित अतिरिक्त निजी भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण आंकलन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम-2015 के तहत

अंतिम रिपोर्ट

द्वारा

प्लान फ़ाउंडेशन

प्रस्तुत

हि० प्र० सामाजिक समागत आकलन इकाई शिमला

अनुक्रमणिका

आकृति सूची VIII

मानचित्र सूची IX

लघुरूप X

शब्दावली XII

कार्यकारी सार XVII

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा 1

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमी 1

1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू 2

1.1.2 डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि 2

1.2 परियोजना का मूल आधार 3

1.3 परियोजना विवरण 5

1.3.1 परियोजना का आकार 5

1.3.2 अवस्थान 9

1.3.3 क्षमता और उत्पाद 12

1.3.4 परियोजना लागत व् जोखिम का ब्यौरा 15

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा 16

1.5 परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थायें 18

1.6 मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार 19

1.6.1 नदी का पथांतर कार्य 19

1.6.2 बांध 19

1.6.3 प्रवेश संरचना 19

1.6.4 दबाव दस्ता/शाफ़्ट 20

1.6.5 पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल 20

1.6.6 टेल रेस (विसर्जनी) सुरंग और आउटफॉल स्ट्रक्चर 20

1.6.7 एक्सेस (पहुँच) सुरंग 20

1.6.8 मुख्य प्रवेश सुरंग 21

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता 21

1.8 कार्यबल अपेक्षाएं 21
1.9 पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनिकी साध्यता रिपोर्ट 22
1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां 22
1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी 22
1.10.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया 22
1.10.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 23
1.10.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर 24
1.10.4 हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015 25

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची 28

2.1 दल विवरण 28
2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य 29
2.2.1 लक्ष्य 29
2.2.2 उदेश्य 29
2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति 29
2.2.4 पद्धति का औचित्य 31
2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन 32
2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग 35
2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन 35
2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण 41

3 भूमि निर्धारण 44

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी 44
3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र 45
3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 47
3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग 47
3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान 48
3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति, और वर्गीकरण 50

3.6.1 सिंचाई क्रम *50*
3.7 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व पैटर्न 50
3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या 52
3.9 सम्पति नुक्सान की किस्मे 53
3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन 53

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना 58

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति 58
4.1.1 किराएदार / क़ब्ज़ाधारी *59*
4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी *59*
4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता *59*
4.1.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता *59*
4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची 59

5 सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल 62

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण 62
5.1.1 लिंगानुपात *62*
5.1.2 सामाजिक समूह *63*
5.1.3 साक्षरता *64*
5.2 आर्थिक प्रोफ़ाइल 64
5.3 आय और गरीबी स्तर 64
5.4 दुर्बल समूह 65
5.5 भूमि उपयोग और आजीविका 66
5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ 68
5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं 69
5.8 रिश्तेदारी पद्धति 70
5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन 71
5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं 72
5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता 73

6 सामाजिक प्रभाव 74

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण 74
6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण 75
6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची 79
6.3.1 भूमि मालिको पर प्रभाव 80
6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव 80
6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव 80
6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव 81
6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव 81
6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव 82
6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव 83
6.4 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान 83
6.5 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता 86
6.6 परियोजना के लिए सहमति 87
6.7 प्रतिकर वरीयताएँ 87
6.7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग 87

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण 89

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन 89
7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 90
7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता 91
7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता 94
7.4.1 अंतिम सिफारिश 96

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना 97

8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण 97
8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय 97
8.2.1 सामाजिक उपाय 97
8.2.2 आधारिक संरचनाओं के उपाय 98
8.2.3 पुनर्वास व् पुनार्व्यवस्थापन के उपाय 99
8.2.4 पर्यावरण उपाय 101
8.2.5 अन्य उपाय 102

8.3 R&R में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा 104

8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय..... 108

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय 112

8.5 पुनर्वास और पुनाव्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था 112

8.5.1 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)..... 113

8.5.2 शिकायत निवारण के चरण..... 114

9 निष्कर्ष और सिफ़ारिशें 119

10 सन्दर्भ..... 123

तालिका सूची

तालिका 1-1 परियोजना का आकार.....5
तालिका 1-2 परियोजना गाँव की सूची.....9
तालिका 1-3 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता और आउटपुट.....12
तालिका 1-4 सुन्नी बांध परियोजना लागत.....16
तालिका 1-5 बांध खंडों का विवरण.....19
तालिका 2-1 टीम विवरण.....28
तालिका 3-1 विभिन्न परियोजना घटकों के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता.....45
तालिका 3-2 परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि कि आवश्यकता.....47
तालिका 3-3 अर्जित भूमि का उपयोग.....47
तालिका 3-4 अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा.....48
तालिका 3-5 अर्जन के तहत भूमि का सिचाई क्रम.....50
तालिका 3-6 होल्डिंग/ स्वामित्व आकार और पैटर्न/क्रम.....50
तालिका 3-7 स्वामित्व का पैटर्न/क्रम.....51
तालिका 3-8 जोत का आकार.....52
तालिका 3-9 भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या.....52
तालिका 3-10 1-04-2018 से 31-03-2019 तक परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें.....55
तालिका 4-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs).....58
तालिका 4-2 उत्पादक आस्तियों की सूची.....60
तालिका 4-3 भूमि पर आस्तियों की सूची.....60
तालिका 4-4 पशुधन की सूची.....61
तालिका 5-1 परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण.....62
तालिका 5-2 परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या.....63
तालिका 5-3 परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या.....63
तालिका 5-4 परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति.....64
तालिका 5-5 परियोजना क्षेत्र कार्य बल.....65
तालिका 5-6 परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग.....66
तालिका 5-7 परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें.....66
तालिका 6-1 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव.....77

तालिका 6-2 संरचनाओं की हानि 81
तालिका 6-3 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान 84
तालिका 6-4 सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता 86
तालिका 6-5 पीएपी के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत 86
तालिका 6-6 पीएपी द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति 87
तालिका 6-7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग 88
तालिका 7-1 प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता 91
तालिका 8-1 पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय 104
तालिका 8-2 एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स 109
तालिका 8-3 SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक 115
तालिका 8-4 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक 117

आकृति सूची

आकृति 1-1 एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना 4
आकृति 2-1 अध्ययन पद्यति 30
आकृति 2-2 केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें 34
आकृति 2-3 सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन 35
आकृति 3-1 भूमि सूची 44
आकृति 5-1 परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें 68
आकृति 5-2 बागवानी कार्यों से संबंधित पीएपी 69
आकृति 6-1 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान 85
आकृति 8-1 शिकायत निवारण तंत्र 114

मानचित्र सूची

मानचित्र 1-1 सामान्य लेआउट योजना, सुन्नी बांध.....7
मानचित्र 1-2 प्रारंभिक लेआउट योजना की व्यवस्था 8
मानचित्र 1-3 प्रयोजन क्षेत्र का स्थान.....9
मानचित्र 1-4 प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति.....11
मानचित्र 3-1 परियोजना के प्रभाव में क्षेत्र.....45
मानचित्र 3-2 परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा 46
मानचित्र 3-3 प्रस्तावित अर्जन का स्थान.....49

लघुरूप

BPL बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
CA सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs सीपीआर	ससमुदायिक संपत्ति संसाधन
CS सीएस	कंपनी सचिव
CWC सीडब्लूसी	केन्द्रीय जल आयोग
EIA ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
FC एफसी	वितीय शुल्क
FRL एफआरएल	पूर्ण जलाशय स्तर
GSI जीएसआई	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
HEP एचईपी	जल विद्युत् परियोजना
H.P RTFCTLARR Rules एचपीआरटीएफसीटीएलए आरआर	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
HPS एचपीएस	हाइड्रो पावर स्टेशन
SIAU एसआईएयू	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
HR एचआर	मानव संसाधन
IDC आईडीसी	निर्माण के दोरान ब्याज
IPH आईपीएच	सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग
L 2 एल2	स्तर 2 स्वास्थ्य सुविधा
L 3 एल3	स्तर 3 स्वास्थ्य सुविधा
LADF एलएडीएफ	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
LHEP एलएचईपी	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
NGO एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
NHM एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC ओबीसी	अन्य पिछड़ी जातियां
PAFs पीएएफ	परियोजना प्रभावित परिवार
PAPs पीएपी	परियोजना विस्थापित परिवार
PDFs पीडीएफ	परियोजना विस्थापित परिवार

PHC पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMAY पीएमएवाय	प्रधानमंत्री आवास योजना
PWD पीडब्लूडी	लोक निर्माण विभाग
RTFCTLARR Act आरटीएफसीटीएलएआर आर	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
R&R आरएंडआर	पुनर्वास और पुनार्व्यिस्थापन
SC एससी	अनुसूचित जाति
SIA एसआईए	सामाजिक समाघात निर्धारण
SIMP एसआईएमपी	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
SJVN एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम
ST एसटी	अनुसूचित जनजाति
TRT टीआरटी	टेल रेस सुरंग

शब्दावली

- **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।

- **प्रशासक** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी।

- **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

- **प्रभावित परिवार में शामिल हैं:**

  1. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
  2. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेयर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
  3. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
  4. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
  5. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
  6. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।

- **कृषि भूमि** का अर्थ है:

  1. कृषि या बागवानी।

2. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसी कल्चर, सेरीकल्चर, सीड फार्मिंग ब्रीडिंग ऑफ मवेशी या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।

3. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा

4. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

- **गरीबी रेखा से नीचे या** BPL **परिवार** भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की **BPL** सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।

- **केंद्र सरकार** भारत सरकार को संदर्भित करती है।

- **कलेक्टर** का अर्थ एक राजस्व जिले का कलेक्टर होता है, और इसमें एक डिप्टी कमिश्नर और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी शामिल होता है, जो अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर के कार्य करता है।

- **आयुक्त** का मतलब अधिनियम 2013 की धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त से है।

- **प्रतिकर** अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, निजी संपत्ति, संरचनाओं और परियोजना के लिए अर्जित अन्य संपत्तियों के लिए, जिनमें पुनर्वास और पुनर्वास अधिकार शामिल हैं।

- **अर्जन की लागत में शामिल हैं:**

1. प्रतिकर की राशि, जिसमें इतना सोलाशियम शामिल है, भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी बढ़ाया प्रतिकर और इस तरह या अदालत द्वारा प्रभावित परिवारों को देय के रूप में निर्धारित किसी भी अन्य राशि पर दिया ब्याज।

2. अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान लागत के लिए भुगतान किए जाने की मांग।

3. विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत।

4. पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत।

5. एक्ट 2013 के अंतर्गत पुनर्वास व् पुनावर्स्थापन के खर्चों के प्रावधान।

6. प्रशासनिक लागत:

- भूमि अर्जन के लिए, परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र की भूमि से बाहर दोनों सहित, प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

- मालिक के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के लिए इसलिए भूमि और अन्य प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य परिवार हैं।

7. एसआइए स्टडी लेने के तहत लागत।

❖ **विस्थापित परिवार** का मतलब किसी भी परिवार से है, जो जमीन के अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।

❖ **परिवार** में एक व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, नाबालिक बच्चे, नाबालिक भाई और उस पर निर्भर नाबालिक बहनें शामिल हैं:

बशर्ते परिवारों द्वारा निर्जन विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।

❖ **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।

❖ **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।

❖ **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:

लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (**i**) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

❖ **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-

1. जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या

2. कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या

3. राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं

4. कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;

- **सीमांत किसान** का अर्थ है, एक हेक्टेयर से सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि के साथ एक किसान।
- **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।
- **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।
- **परियोजना** का अर्थ है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382MW)।
- **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।
- **पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (R&R)** का अर्थ है RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन।
- अपेक्षित निकाय का मतलब सतलुज जल विद्युत निगम (SJVNL) लिमिटेड है।
- **अनुसूचित क्षेत्र** का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।
- **छोटे किसान** का अर्थ है, दो हेक्टेयर तक की नन-सिंचित भूमि के साथ या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि के साथ एक किसान, लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण** का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
- **सामाजिक समाघात प्रबंध योजना** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- **राज्य सरकार या** "**सरकार**" का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार
- **किरायेदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बोनाफाइड टेनेंसी समझौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।

- **दुर्बल समूहों** में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक धब्बा, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

- **महिला मुखिया सदन की पकड़** का मतलब है कि एक महिला के नेतृत्व वाला परिवार और पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला एक विधवा, अलग या निर्जन महिला हो सकती है।

कार्यकारी सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जिसे लुहरी स्टेज- III के रूप में भी जाना जाता है, नदी प्रवाह प्रकार की 382 मेगावाट योजना है और लुहरी HEP के बहु-चरण विकास का एक हिस्सा है। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम जलविद्युत परियोजनाओं के बीच, सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। परियोजना में सतलुज नदी के पर नदी के तल से ऊपर ±71 मीटर ऊंचे बांध और दाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमाचल प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से इसकी पांच प्रमुख नदियों से प्राप्त होती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार लगभग 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है। इस भूमि अधिग्रहण में 12 गांव शामिल होंगे, जिनमें शिमला जिले की सुन्नी तहसील के लुनसु, मुंगना, जैशी और भरारा के साथ-साथ शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के मझरोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें मंडी जिले की करसोग तहसील में स्थित बेलुधक, भौंरा, फाफन, जैकलीन, खरयाली, मगन और परलोग गांव शामिल होंगे।

हिमाचल प्रदेश में, जलविद्युत ऊर्जा के दोहन का दृष्टिकोण लागत और हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों दोनों को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने पर केंद्रित है। यह रणनीति न केवल राज्य की आर्थिक भलाई में योगदान देती है बल्कि व्यापक विकासात्मक उद्देश्यों के साथ भी संरेखित होती है।

पनबिजली क्षमता का तेजी से विकास राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का वादा करता है। यह 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के आवंटन के साथ-साथ परियोजना की कुल लागत से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) में 1.5% अतिरिक्त योगदान के कारण है। इन वित्तीय लाभों से राज्य के संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, उत्पन्न मुफ्त बिजली का एक प्रतिशत परियोजना के पूरे जीवनकाल के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास आवंटन (LADA) के माध्यम से 12 प्रभावित गांवों के निवासियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद एक दशक तक, परियोजना प्रभावित परिवारों को नकद लाभ के रूप में 100 यूनिट मुफ्त बिजली के बराबर प्राप्त होगा। इसके अलावा, अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान खड़ी फसलों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए किसानों को बाजार दरों पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

स्थान /अवस्तिथि

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के बेसिन पर स्थित है और इसके बाएं किनारे पर जिला शिमला और जिला मंडी उनके दाहिने किनारे पर है। यह बांध खैरा गाँव (जिला शिमला) के पास देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

इस परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि 9-10-99 हेक्टेयर है, जो लूंन्सु , मुंगना, जैशी , भरारा तहसील सुन्नी जिला शिमला, मझरोग तहसील कुमारसैन जिला शिमला, और बेलुढ़क, भौंरा, फफान, जक्लीन, खर्याली, मघान और परलोग गांव तहसील करसोग मंडी जिला में है।

प्रारंभ में, परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 442.2054 हेक्टेयर मानी गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, अतिरिक्त 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है, जो कुल 12 गांवों में वितरित है। यह गांव शिमला और मंडी, इन दो जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में स्थित हैं। इन गांवों का संबंध तीन उप-विभागों - कोटगढ़/कुमारसैन, करसोग और शिमला, और तीन तहसीलों - सुन्नी, कुमारसैन और करसोग से है।

यह अतिरिक्त भूमि डैम और मलबा जमाव के उद्देश्य के लिए अधिग्रिहित की जा रही है। इस परियोजना से संबंधित कुल 496 शीर्षकधारियों में से, किसी भी PAPs को भूमिहीन नहीं किया जा रहा है। अधिकांश PAPs के पास अधिग्रहित खसरा के अलावा और भी भूमि है, चाहे वह वही पंचायत में हो या किसी अन्य में। वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई भी शीर्षकधारी अपने घर नहीं खो रहा है। अधिग्रहित भूमि और PAPs के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 में विवेचना की गई है।

अनुकल्पो पर विचार

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बाँधो के निर्माण पर विचार करती है। जो लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) है

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना है। लुहरी परियोजना के उपरिप्रवाह में 412 MW रामपुर HEP स्थित है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा झाकड़ी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विस्थापन के साथ सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

प्रोजेक्ट अभिन्यास (layout) के चयन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किए गए:

- **विकल्प 1:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 2:** डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 D कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- **विकल्प 3:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 4:** डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

प्रत्येक विकल्प का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अंत में अस्थायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प–4 का चयन किया गया है। जिन विकल्पों का अध्ययन किया गया था उनका विवरण अनुभाग 1.4 विकल्पों की परीक्षा के तहत पाया जा सकता है।

जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ी है, परियोजना के उद्देश्यों की सफल और समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता स्पष्ट हो रही है। इस अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता दो उद्देश्यों के लिए है: 1, उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए और 2,: कुछ भूमि जलाशय तालाब क्षेत्र के प्रभाव में आने की आशंका है जिसके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जबकि परियोजना प्रस्तावक ने उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया है।

सामाजिक समाघात

परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेत्र में आगामी सुन्नी HEP परियोजना के प्रति सामान्य आशावाद है। अध्ययन से पता चला कि मुख्य हितधारकों में से 91% उचित मुआवजा दिए जाने पर अपनी भूमि का अधिग्रहण होने के लिए तैयार हैं और केवल 8% ने अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ FGDs के दौरान, गांववालों और द्वितीयक हितधारकों को भी परियोजना

के प्रति बहुत सकारात्मक राय होते हुए पाया गया, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि ला सकता है। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नही किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वितीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में को ठीक से शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अधिग्रहण के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, श्मशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा।

बेलुढाँक , जैशी और भरारा गाँवों में कुल 3 घराट और विभिन्न गाँवों में कुहल प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कोई अन्य सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। आधारभूत संरचना और संपत्तियों के हानि का विवरण अध्याय 4 में चर्चा किया गया है। PAPs और गाँववाले चिंतित थे कि उन्हें प्राप्तकर्ता निकाय द्वारा सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामान्य संपत्ति संसाधनों के विकल्प कैसे प्रदान किए जाएंगे ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित नहीं करे। गाँववालों का आसपास के चरागाह और वन पर गाय के चारे और इंधन के लिए आश्रितता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वस्तुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालाँकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में , हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण

के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण बड़े हुए जीवन स्तर बनाए रखने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

शमन के उपाय

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, निम्न शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:

- **सामाजिक उपाय**

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराना।
3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण
4. महिला मंडल, युवक मंडल ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन।
5. निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने और नए कौशल विकसित करके पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे महिलाओं और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
6. RFCTLARR 2013 के प्रावधानों के अनुसार नौकरी प्रदान की जानी चाहिए
7. खेल परिसरों के निर्माण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना
8. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता / ऋण

- **पर्यावरण के उपाय**

I) **परियोजना क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण**

II) **ध्वनि प्रदूषण और वाहनों के आवागमन को कम करने के उपाय**

शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:

1. भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।

2. एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
3. हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
4. परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
5. सड़कों और यातायात की स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन में समान रूप से परिवहन वाहनों के प्रवेश और निकास के निश्चित समय।
6. भारी वाहनों के चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए तथा छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और नियमित ओवरटेक करने देने के लिए सख्त निर्देश।

III) वायु प्रदूषण घटाने के उपाय

वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को उचित तरीक़े से ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल स्प्रे भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

- **जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता को कम करने के उपाय**

1) जल प्रदूषण को, खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग को सख्ती लागू करने से कम किया जा सकता है।
2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मानसून के दौरान मलबा विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत को नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
4) जलाशय निर्माण के बाद जलाशय में विशेष रूप से छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके।
5) जलाशय के कारण नमी में वृद्धि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों को लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं

- **जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय**

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

निर्दिष्ट स्थलों को छोड़कर जलग्रहण जल निकासी लाइनों में किसी भी डंपिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- **अन्य शमन उपाय**

1) **पर्यटन को बढ़ावा देना**: क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों / खेल, राफ्टिंग, शिविर आदि के लिए हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फेरी और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।

2) **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना**: यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए नैसर्गिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी करने के साथ प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

3) **पशुपालन** को बढ़ावा देने से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी। दुग्ध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

4) **स्व-सहायता समूहों (SHG)** का गठन और सुदृढ़ीकरण: महिलाओं को एक साथ आने और स्व-सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। हस्तकला, डेयरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि प्रस्तुत की जा सकती है।

5) **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** अर्जन करने वाली संस्था प्रभावित परिवार के सदस्यों को कुछ व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है और उन्हें कच्चे माल, इनपुट्स के लिए अग्रामी और पिछले संबंध तथा विपणन और क्रेडिट सुविधाएं स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर सकती है।

6) **परियोजना-आधारित रोजगार:** परियोजना से संबंधित रोज़गार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन अनुबंध के तहत काम प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है।

7) **स्थानीय क्षेत्र विकास समिति**

परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (LADC) का गठन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य, निकाय अधिकारियों की आवश्यकता आदि।

8) **सर्किल दरों में संशोधन**

मंडी जिला और शिमला जिले की मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि की मौजूदा सर्कल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकर की गणना से पहले सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

9) **बेहतर वित्तीय प्रबंधन** के लिए PAPs और PAF के लिए जागरूकता शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

विश्लेषण, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागत को स्पष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 ध्यान में रखता है कि परियोजना से प्रभावित PAPs और PAFs को होने वाले नुकसान और असुविधा को उदार रूप से क्षतिपूर्त किया जाए। यह अधिनियम न केवल अर्जित हो रही भूमि का ही मुआवजा देता है बल्कि उस भूमि पर मौजूद संरचनाओं और संपत्तियों का भी। अधिनियम खड़ी फसलों और पेड़ों (फल दार और अफल दोनों) के लिए भी मुआवजा प्रदान करता है। विस्थापन की स्थिति में, अधिनियम निर्वासन और परिवहन की सहायता के रूप में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करता है। आजीविका की हानि के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए, या तो वैकल्पिक रोजगार की सुविधा प्रदान करता है या एक समय मुआवजा प्रदान करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति है। वास्तव में, अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 90% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक प्रभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। *FGD* के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फंडों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं।

प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक स्तर पर, परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से

राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है[1]। इसके अलावा, उत्पन्न राजस्व में से 1% मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 12 गाँवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी।बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक, परियोजना प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर प्रभाव पड़ेगा

[1] Department of MPP and Power, 2019

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमी

सुन्नी बांध परियोजना नदी जल के प्रवाह पर आधारित एक जल विद्युत परियोजना है और लुहरी जल विद्युत परियोजना के बहु-चरणीय विकास का एक हिस्सा है। इस परियोजना की कल्पना वर्ष 2008 में की गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सुरंगों का निर्माण किए बिना तीन चरणों में बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना में तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण की योजना है: "लुहरी जल विद्युत परियोजना" चरण - I (210 मेगावाट), "लुहरी जल विद्युत परियोजना" चरण - II (172 मेगावाट) और "सुनी डैम जल विद्युत परियोजना" (382 मेगावाट)। इस परियोजना का उद्देश्य "रामपुर" और "कोल डैम" जलविद्युत परियोजनाओं के बीच "सतलुज नदी" की जल क्षमता का दोहन करके विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना है[2] ।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों के खैरा गाँव के पास स्थित है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने का प्रस्ताव है और इस परियोजना में खैरा गाँव के पास सतलुज नदी के पार, नदी के तल के ऊपर, ±71 मीटर की ऊँचाई का कंक्रीट गुरुत्व बांध और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की योजना है।

[2] SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018

1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

सुन्नी बांध परियोजना सतलुज नदी बेसिन में स्थित है, जो सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह नदी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत, चूंकि सतलुज सिंधु बेसिन के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, भारत के पास इसके जल बंटवारे और उपयोग का अधिकार प्राप्त है। अत: अंतर्राजिय / अंतर्राष्ट्रीय पहलू स्पष्ट है[3] ।

1.1.2 डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

एस जे वी एन एल एक सुस्स्थापित, आईएसओ 9001 और ISO 14001 प्रमाणित कंपनी है। यह बहु-आयामी/ अनुशासनात्मक संगठन है और इसने जल विद्युत परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। यह कम्पनी एकल जलविद्युत परियोजना से शुरू होकर, आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों और नेपाल और भूटान आदि पड़ोसी देशों में भी पनबिजली परियोजनाओं मे कार्यरत है।

एस जे वी एन एल लिमिटेड, एक मिनी रत्न, श्रेणी- I और अनुसूची – A सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 मई, 1988 को भारत सरकार (GOI) और हिमाचल प्रदेश सरकार (GOHP) के संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित हुई । एस जे वी एन एल अब एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके 62.44% शेयर भारत सरकार के पास है, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार और शेष 10.71% जनता के पास है[4] ।

सहायक कंपनी

- एस जे वी एन एल अरुण -3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा० लिमिटेड (SAPDC) पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण -3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित है।
- एस जे वी एन एल थर्मल प्राइवेट लिमिटेड- बिहार में 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

संयुक्त उपक्रम

- क्रॉस बॉर्डर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CPTC) - 86km लंबी, 400 kV D/C मुजफ्फरपुर नेपाल कनेक्शन बिंदु से मुजफ्फरपुर सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण व रख रखाव कार्य हेतु

[3] SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018

[4] Company Profile: SJVN Limited, 2019

- खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड - भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए। परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों और पुलों का काम चल रहा है और मुख्य कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गयी है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की कुल आय रु 3298.84 करोड़ थी और करों के भुगतान के बाद 1363.54 करोड़ लाभ अर्जित किया ।

एस जे वी एन एल - एक मिनी रत्न कंपनी

एस जे वी एन एल लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में "मिनी रत्न: श्रेणी-I" का दर्जा दिया गया था।

एस जे वी एन एल - अनुसूची 'ए' कंपनी

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों को पूरा करने पर एस जे वी एन एल को 2008 में अनुसूची 'ए' पीएसयू के रूप में उन्नत किया गया था।

1.2 परियोजना का मूल आधार

हिमाचल प्रदेश में पाँच प्रमुख नदियाँ विशाल जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए असीम सम्भावनाएँ प्रदान करती हैं ।राज्य सरकार जल विद्युत के विस्तार हेतु सतलुज नदी पर सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 MW) का कार्यान्वयन करने जा रही है जिसके निर्माण हेतु ज़िला शिमला में 5 गाँव और मंडी ज़िला में 7 गाँव में भूमि अर्जन करने का इरादा रखती है। यह प्रस्तावित परियोजना नदी के प्रवाह पर आधारित है और एस जे वी एन एल लिमिटेड इस कार्य की कार्यान्वयन एजेंसी है।

हिमाचल प्रदेश सरकार न्यूनतम लागत और न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने की कार्यनीति पर काम कर रही है ।राज्य सरकार का मानना है की तेज़ी से पनविद्युत ऊर्जा का दोहन राज्य व देश दोनों के लिये ही हितकर है क्योंकि सभी नयी जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।जल विद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली 12 प्रतिशत मुफ़्त बिजली और 1.5% स्थानीय क्षेत्र विकास फंड (LADF -Local Area Development Fund) के रूप में मिलने वाला आर्थिक सहयोग राज्य के वितिय संसाधनों को निश्चित रूप से मज़बूत करेगा साथ ही साथ देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली

की बढ़ती मांग और ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी[5]।

आकृति 6-1 एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना

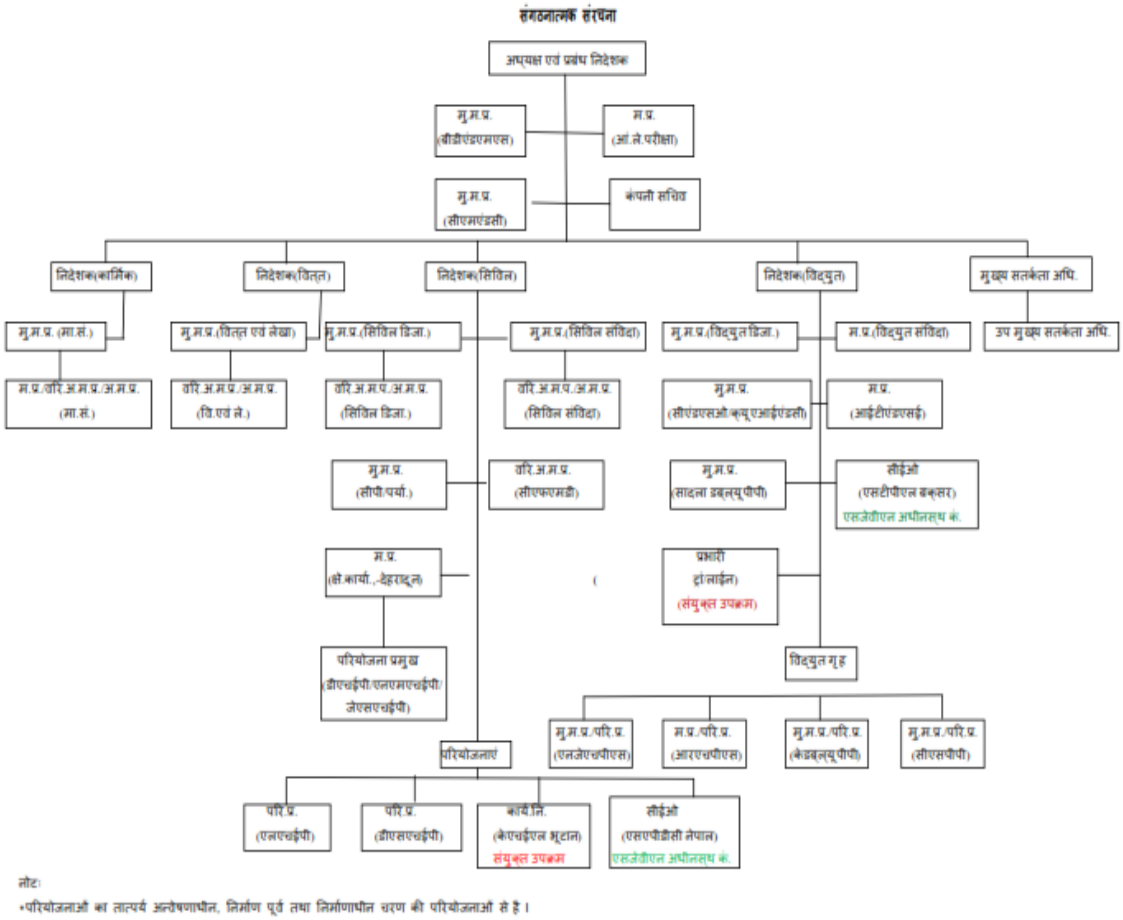

इसके अतिरिक्त सुन्नी जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट), आर टी एफ सी टी एल ए आर आर (RTFCTLARR) अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-खंड 1 (बी) के अनुसार, लोक प्रयोजनके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत उचित है।

इसलिए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के नियम 3 द्वारा

[5] Department of MPP and Power, 2019

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, के तहत , भूमि जिसका अर्जन किया जा रहा है, के लिए एक सामाजिक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया जाना है

1.3 परियोजना विवरण

1.3.1 परियोजना का आकार

इस परियोजना में खैरा गांव के पास सतलुज नदी पर नदी तल स्तर से ±71 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। निर्माण की कुल लागत 2911.85 करोड़ अनुमानित है। परियोजना के विभिन्न घटकों के डिजाइन, आयाम और क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6-1 परियोजना का आकार

क्रस॰	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
1.	नदी परिवर्तन कार्य	नदी घाटी के बाईं ओर	घोड़े के नाल का आकार	10 m व्यास, ऊचाई: 1. अपस्ट्रीम कोफेर डैम : ±18.80 m 2. डाउनस्ट्रीम कोफेर डैम: ±9.20 m	773 m^3/s
2.	बांध	नदी का दाहिना किनारा	कंक्रीट ग्रेविटी 6 इन्तेगरल गेटेद स्पिलवे of 8.5m (W) X 16.0m (H)	ऊचाई : ±71m नीव स्तर: ±623m पूर्ण जलाशय स्तर:712.0 m न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर: El.709.50m बाँध शीर्ष लम्बाई : 185m शीर्ष पे बाँध की लम्बाई: 178m	15473 m^3/.sec ग्रॉस पोंड़ेज: 82.5 MCM लाइव स्टोरेज: 7.9 MCM
3.	प्रवेश संरचना	नदी का दाहिना किनारा	कचरा स्क्रीन युक्त प्रवेश गेट्स स्टॉपलॉग गेट्स के साथ	सेण्टर लाइन ऑफ़ इन्टेक: ±696.26m	744.07 m^3/sec इन्टेक -1 and 2: 270.8 m3/sec each Intake-3: 171.27 m^3/sec
4.	दाब शाफ्ट		3 दाब शाफ़्ट		726.95 m^3/sec
5.	पावर हाउस और	नदी के दाहिने	पावर हाउस पहाड़ी के भीतर ±220 मी॰, ऊपरी कवर ± 226 मी॰	पॉवर हाउस : 171.0m (L) x 22.5 m (W) x 50.5 m (H)	382 MW (4 x 73 MW – मुख्या यूनिट, 1 x 73

क्रस॰	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
	ट्रांसफार्मर हॉल	किनारे पर भूमिगत	ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हाल के बीच 50.0 मी चट्टान	ट्रांसफार्मर हॉल की गुफा: 176.0m (L)x17.5m(W)x27m(H)	MW+ 1 x 17 MW-पर्यावरण इकाईया)
6.	टेल रेस टनल और आउटफॉल स्ट्रक्चर		घोड़े के नाल का आकार	9.0m व्यास टेल रेस टनल की लम्बाई: ±280.0m क्रेस्ट स्तर of El 647.2 m	
7.	सुरंगों तक पहुँच		15 में 1 अधिकतम ढलान युक्त और बड़े वाहनों के आवागमन में आसानी के लिए उन्हें यथासंभव सीधा रखना		
8.	मुख्य प्रवेश सुरंग		डी-आकार 16 में 1 का अधिकतम ढलान। सुरंग के बीच जंक्शन पर एक बड़ा खंड बनाया जाएगा मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के द्वारा पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा	590 m की लम्बाई	

**स्त्रोत: सुन्नी जल विद्युत परियोजना DPR स्थापना रिपोर्ट*

मानचित्र 6-1 सामान्य लेआउट योजना, सुन्नी बांध

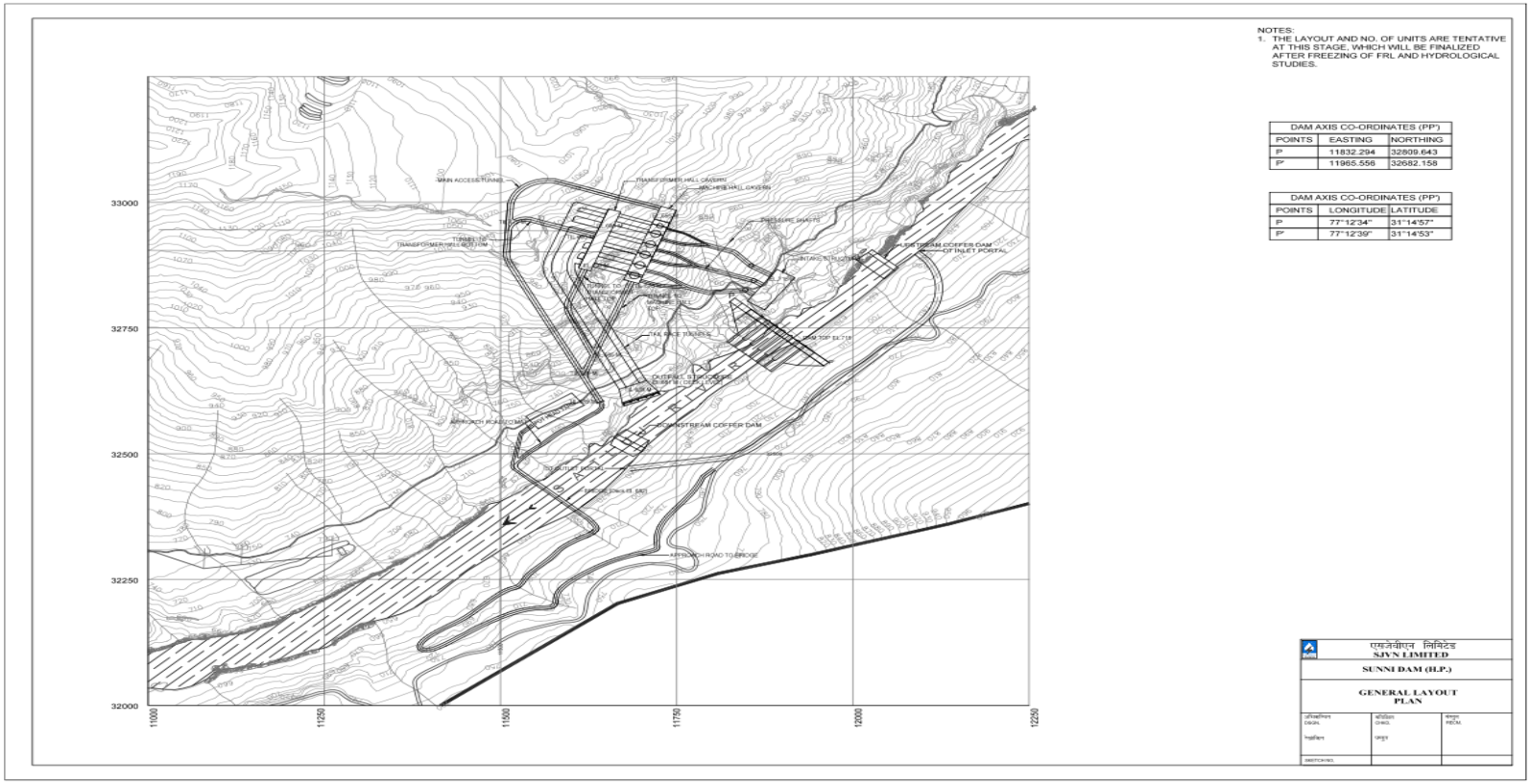

मानचित्र 6-2 प्रारंभिक लेआउट योजना की व्यवस्था

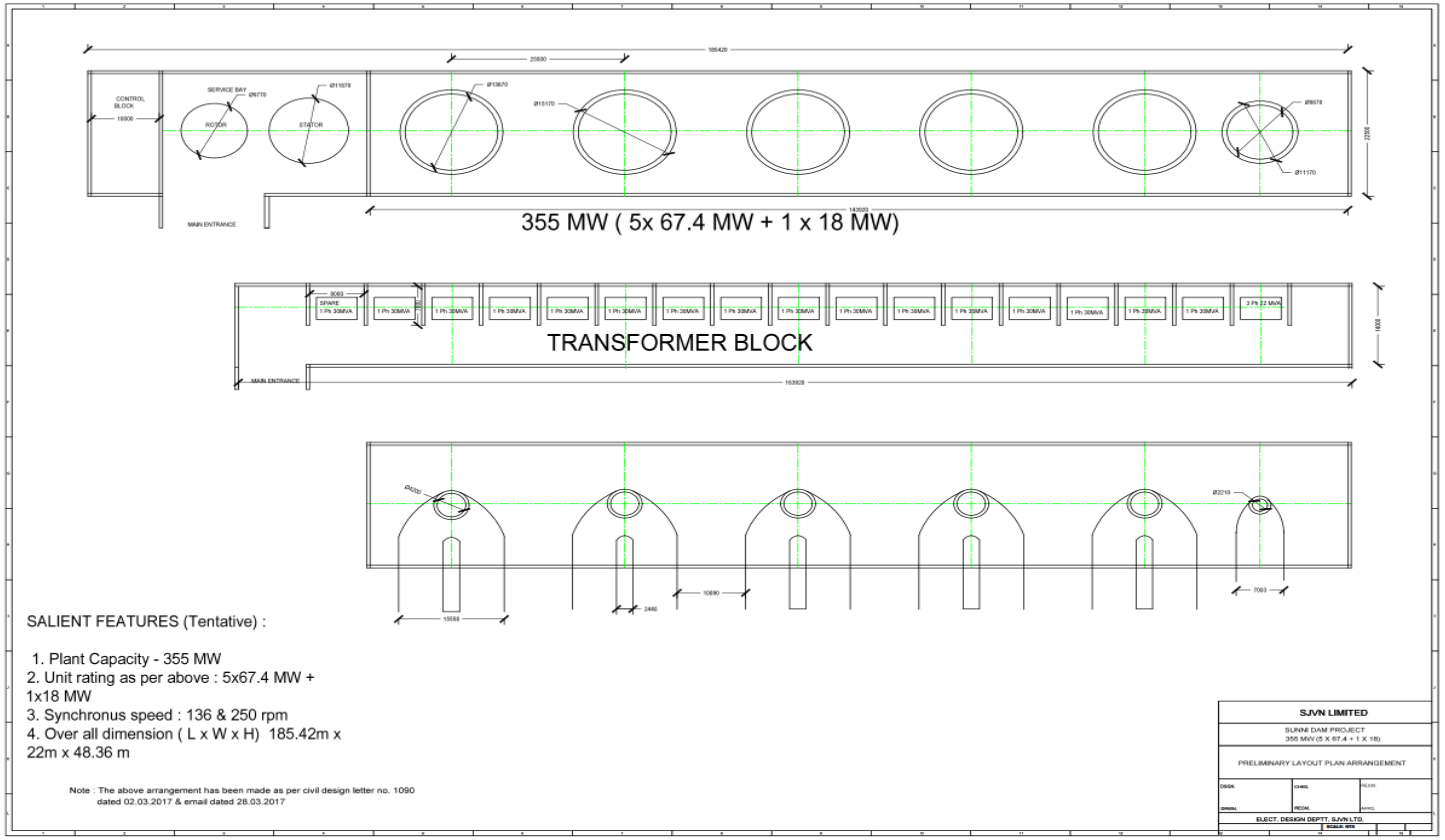

*स्त्रोत:

1.3.2 अवस्थान

प्रस्तावित परियोजना शिमला और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में खैरा ग्राम के पास सतलुज बेसिन नदी के किनारे जिला शिमला और जिला मंडी में स्थित है। प्रस्तावित बांध देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है। इस परियोजना के स्थान से पहले भी इस नदी पर अन्य परियोजनाएँ चल रही है। नदी के ऊपरी भाग में दो अन्य परियोजनाएँ हैं ; 412 मेगावाट का रामपुर जल विद्युत परियोजना और 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना। रामपुर जल विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग करती है

सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के बहाव में 800 मेगावाट का कोल डैम जल विद्युत स्टेशन HPS (FRL 642 मीटर) है। रामपुर जल विद्युत स्टेशन और प्रस्तावित सुन्नी बांध परियोजना के बीच, लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण - I (लगभग 50 किमी ऊपर) और लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II (जल विद्युत परियोजना - I और सुन्नी बांध के बीच) भी प्रस्तावित हैं[6] ।

निम्नलिखित मानचित्र परियोजना के स्थान और सीमा को प्रदर्शित करता है। तालिका 1-2 शिमला और मंडी जिले में पड़ने वाले गाँवों की सूची प्रदान करती है जहाँ भूमि अर्जन हो रहा है

तालिका 6-2 परियोजना गाँव की सूची

क्र स	शिमला ज़िला	मंडी ज़िला
1	लूंन्सु	भौरा
2	मूंगना	जकलीन
3	जैशी	मांगन
4	भरारा	फ़ाफ़न
5	मझरोग	परलोग
6		बेलुढाँक
7		खरयाली

मानचित्र 6-3 प्रयोजन क्षेत्र का स्थान

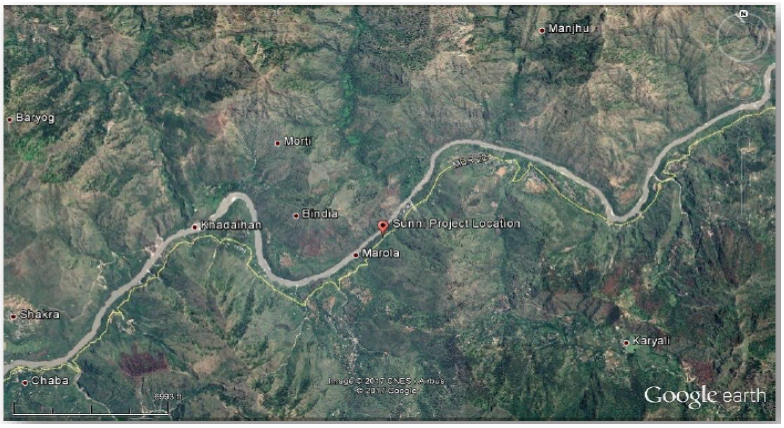

[6] SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni जल विद्युत परियोजना (382 MW), 2018)

1.3.2.1 परियोजना क्षेत्र में पहुँच

परियोजना स्थल राजधानी शिमला से 50 किमी दूर, हरियाणा के कालका में निकटतम रेलवे स्टेशन (ब्राडगेज) से लगभग 145 किमी दूर स्थित है। साइट पर NH-5 के बाद SH-13 और MDR- 22 के माध्यम से वाया शिमला, नालदेहरा, चाबा से संपर्क किया जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जुब्बड हट्टी (शिमला) में परियोजना स्थल से लगभग 70 किमी दूर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना स्थल से 160 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है। डैम साइट से निकटतम गांव ज़िला शिमला में खेरा है और नज़दीकी शहरी क्षेत्र सुन्नी 30 किमी दूर है।

1.3.2.2 भौतिक और भू-आकृति

यह परियोजना दक्षिण में धौलाधार रेंज और उत्तर में उच्च हिमालयी रेंज के बीच आंतरिक लघु हिमालय में स्थित है। सतलुज नदी, तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित जल ग्रहण क्षेत्र की मुख्य निकासी है। भू-आकृति विज्ञान की दृष्टि से यह क्षेत्र एक युवा पर्वत श्रृंखला में स्थित है जिसकी विशेषता तेजी से नीचे की ओर कटती घाटी है। इसलिए, घाटी की अधिकांश ढलानें खड़ी हैं और सतलुज नदी ऊंची पहुंच वाले संकीर्ण वी-आकार की घाटियों के भीतर सीमित है। परियोजना की पहुंच के क्षेत्र में समतल भूमि को दायीं और बायीं दोनों नदी के किनारों पर देखा जा सकता है। सतलुज नदी के दाहिने किनारे की पहाड़ी श्रृंखलाएँ उत्तर पश्चिम-दक्षिण पूर्व और बाएँ किनारे पर उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम की ओर रुख करती हैं। यह क्षेत्र सतलुज के जल निकासी बेसिन का हिस्सा है, जो लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। बेहनखड़, कोटलू खड्ड, गुम्मा खड्ड और बहारी खड्ड सततुज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी संरचना और लिथोलॉजी द्वारा नियंत्रित ट्रेलिस पैटर्न के लिए उप-वृक्ष के समान प्रदर्शित करता है[7]।

1.3.2.3 भूकंपीयता

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है, जो दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। परियोजना क्षेत्र उत्तर पश्चिम हिमालयी भूकंपीय बेल्ट (नरुला एट एल (2000) के मुख्य हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र के शिमला ब्लॉक में स्थित है परियोजना भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार भूकंप क्षेत्र V में है (IS: 1893: 1984))। यह उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट / थ्रस्ट द्वारा सीमांकित किया गया है, और व्याख्यात्मक मौलिक अनुप्रस्थ दोष द्वारा पूर्व और पश्चिम में सीमित है। कांगड़ा ब्लॉक इसके पश्चिम में और पूर्व में गढ़वाल ब्लॉक स्थित है[8]।

---

[7] SJVN, INCEPTION REPORT (Revised), ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF SUNNI जल विद्युत परियोजना , 2017

[8] SJVN, INCEPTION REPORT (Revised), ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF SUNNI जल विद्युत परियोजना , 2017

मानचित्र 6-4 प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति

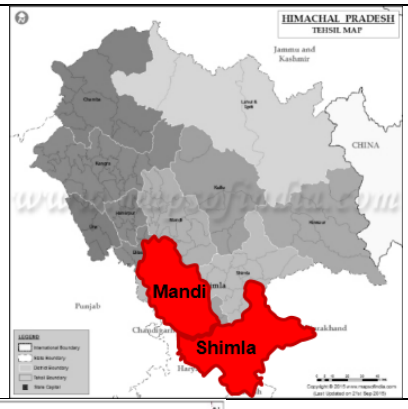

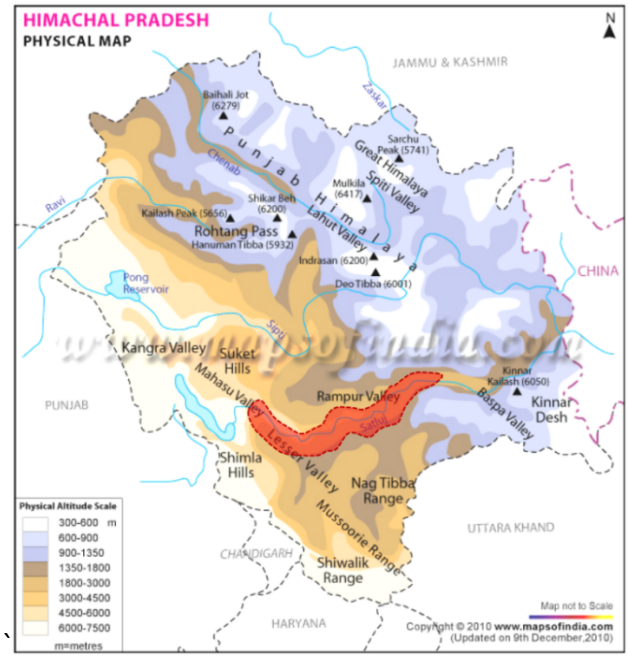

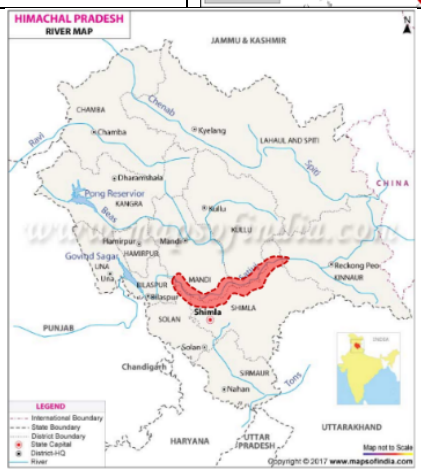

1.3.3 क्षमता और उत्पाद

नीचे दी गई तालिका में परियोजना के विभिन्न घटकों की कुल क्षमता और आउटपुट का विवरण है:

तालिका 6-3 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता और आउटपुट

जल विज्ञान/हाईड्रोलोज़ी	
डायवर्सन साइट का कैचमेंट एरिया	52955km^2
90% भरोसेमंद/आधार वर्ष	2001-2002
नदी के डायवरजन हेतु बहाव	773.00 m^3/sec
संभावित अधिकतम बहाव	15473.00 m^3/sec
जलाशय	
पूर्ण बांध स्तर	EL712.00 m
न्यूनतम निचला स्तर	EL709.50 m
पूर्ण बांध स्तर पर कुल भण्डारण	82.50X10^6 m^3
पूर्ण बांध स्तर पर मृतवत भण्डारण	64.2X10^6 m^3
पूर्ण बांध स्तर पर जीवंत भण्डारण	7.9X10^6 m^3
बांध की लम्बाई	20.70 km (approx.)
डी सिल्ट बेसिन	बांध डी सिल्ट बेसिन के तौर पर कार्य करेगा
बांध	
बांध का प्रकार	कंक्रीट ग्रेविटी
बांध का ऊपरी स्तर	EL 715.00 m
बांध पर औसत नदी का स्तर	EL 644.00 m
नदी के स्तर से बांध की ऊँचाई	71.00 m
बांध की ऊपर के स्तर की की लम्बाई	178.00 mm
बांध की ऊपर के स्तर की चौड़ाई	8.00 m
अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	87.00 m

गैर-अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	97.42 m
स्पिलवे	
डिज़ाइन फ्लड (PMF)	15473.00 m^3/sec
स्पिलवे का प्रकार	अपर स्तर स्पिल-वे (यूएलएस) और लोअर स्तर स्पिल-वे (एलएलएस) (स्लूस स्पिल-वे) का संयोजन
ऊर्जा अपव्यय प्रणाली	स्टीलिंग बेसिन
लो लेवल स्पिल वे (अंडर स्लूस स्पिल वे)	
प्रकार	Sluice type
बे/खण्डों की संख्या	छ: (06) (Block No 3 to 8)
खोलने का आकार	8.5 m (W) X 16.0m (H)
गेट के प्रकार व संख्या	Radial, Six (06)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
LLS ब्लॉक की चौड़ाई	87.00m
क्रेस्ट स्तर क्रेस्ट लेवल	EL 660.00 m
अपर लेवल स्पिल वे ओवर फलो	
प्रकार	Ogee with open crest overflow
बे के संख्या	One (01) (Block No. 7)
आकार	5.0m(W)X4.5m(H)
गेट के प्रकार व संख्या	Flap Gate, One (01)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे ब्लॉक की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे क्रेस्ट	EL 707.00 m
नदी डायवरजन	
नदी डायवरजन प्रवाह	773.00 m^3/sec
डायवरजन योजना	कोफ़र डैम और डायवर्सन टनल द्वारा
डायवरजन टनल स्थिति	नदी का वाम तट

टनलों की संख्या	एक (01)
डायवरजन टनल का घेरा व आकार	10.0 m, घोड़े की नाल के आकर में
टनल की लम्बाई	670 m
पावर इंटेक	
इंटेक की संख्या	तीन (03)
इन्वर्ट स्तर	EL685.0
इंटेक डायवरजन 1 और 2 का प्रवाह	277.84m^3/sec(10% अतिरिक्त क्षमता)
इंटेक डायवरजन 3 का प्रवाह	171.26m^3/sec(10% अतिरिक्त क्षमता)
इंटेक गेट का आकार	5.7m(W)X8.0m(H)
प्रेशर शाफ़्ट	
प्रेशर शाफ़्ट की संख्या	तीन आगे छः में विभाजित
प्रेशर शाफ़्ट 1 और 2 हेतु (मुख्य यूनिट)डिज़ाईन प्रवाह	277.84m^3/sec
प्रेशर शाफ़्ट 3 हेतु डिज़ाईन प्रवाह	171.27m^3/sec
पेन स्टॉक का घेरा	7.5 m और 5.4m विभाजन के बाद
पेन स्टॉक की लम्बाई	± 250.0 m
पावर हाऊस	
प्रकार	भूमिगत
स्थान	नदी का राइट बैंक
मशीन हाल का आकार	185.42 m (L) X 22 m(W) X 48.36 m(H)
सामान्य टेल वाटर लेवल	EL 651.20 m
न्यूनतम टेल वाटर लेवल	EL 647.50 m
ग्रोस हेड	59.97m
रेटिड हेड	57.85m
टरबाईन प्रकार	Francis

यूनिट की संख्या	Six (06)
डिज़ाईन प्रवाह	726.95 m3/sec
(मुख्य यूनिट) इंस्टालड क्षमता	4*73MW
इंस्टालड क्षमता (अन्य यूनिट)	1*73MW + 1*17MW
कुल इंस्टालड क्षमता	382MW
टेल रेस टनल	
संख्या	दो
टनल का आकार	10.5m dia & 9.0m dia, Horse Shoe Shaped
टनल की लम्बाई	280m
ऊर्जा उत्पादन	
डिज़ाईन ऊर्जा (मुख्य यूनिट)	987.84GWh
डिज़ाईन ऊर्जा (अन्य यूनिट)	393.93GWh
वार्षिक ऊर्जा	1381.77GWh
वार्षिक लोड फ़ैक्टर (मुख्य यूनिट)	40.04%
वार्षिक लोड फ़ैक्टर (पर्यावरण यूनिट)	51.60

**स्रोत: सुन्नी जल विद्युत परियोजना DPR के लिए इंसेप्शन रिपोर्ट*

1.3.4 परियोजना लागत व् जोखिम का ब्यौरा

इस परियोजना की लागत मार्च 2017 मूल्य स्तर पर आईडीसी और वित्तपोषण शुल्क सहित, 2911.85 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना से वार्षिक ऊर्जा 1299 GWh के उत्पादन का आकलन किया गया है। लागत अनुमान तालिका 1-4 में दिए गए हैं।

इस विशेष परियोजना के लिए संबंधित जोखिमों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, कुछ जोखिम जो परियोजना से जुड़े हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. परियोजना के निर्माणपूर्व , निर्माण और बाद के निर्माण चरणों के दौरान स्थानीय लोगों / राजनीतिक दलों / सामुदायिक संगठन द्वारा आंदोलन और प्रतिरोध।
2. परियोजना, विशेषत: बांध, सुरंगें, शाफ्ट, पुल, नदी के डायवर्सन कार्य के निर्माण के दौरान जोखिम आदि ।

3. विस्फोटक सामग्री और भारी उपकरण जैसे कि गर्डर्स, टर्बाइन, शाफ्ट आदि के परिवहन के दौरान जोखिम।
4. निर्माण के कारण वायु और जल प्रदूषण का खतरा।
5. निर्माण के दौरान प्रवास के कारण स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच झड़पों का जोखिम और क्षेत्र में अपराध की दर में वृद्धि।
6. निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों में नदी में जलाशयों के निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन, आर्द्रता और जल जनित रोगों का खतरा।

तालिका 6-4 सुन्नी बांध परियोजना लागत

मार्च 17 के आकलन पर कुल व्यय	रूपया 2414.20 करोड़
निर्माण के दौरान ब्याज	रूपया 487.46 करोड़
वित्तीय चार्ज	रूपया 10.19 करोड़
कुल बेसिक क़ीमत, निर्माण के दौरान ब्याज व वित्तीय चार्ज सहित	रूपया 2911.85 करोड़
परियोजना के लिए शुल्क निम्नानुसार हैं:	
वर्ष शुल्क	रूपया 5.40/kWh
स्तरित शुल्क	रूपया 5.07/kWh

स्रोत:

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा

जैसा कि विदित है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है जो क्रमशः लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण - I (210 मेगावाट), लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना चरण (382 मेगावाट) है।

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के अप्रवाह में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना और उपरिप्रवाह में 412 MW रामपुर जल विद्युत परियोजना और 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना है ।

विशेष रूप से, वर्तमान में नाथपा - झाकड़ी और कोल बांध परियोजना के बीच लगभग 250 किलोमीटर के सतलुज नदी प्रवाह पर लगातार 6 जल विद्युत परियोजनाएँ चालू हैं। चूंकि सुन्नी

बांध जल विद्युत परियोजना लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण- II के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है। हालाँकि, न्यूनतम विस्थापन के साथ बांध और बिजली घर के लिए सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने के लिए और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अभिन्यास के संबंध में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

इन विकल्पों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है[9]:

- विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 2: डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 डी कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

<u>विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस</u>

नदी के बायीं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस (प्रस्तावित बाँध की धुरी के बांध ± 400 मीटर बहाव) पर एक विकल्प का अध्ययन किया गया। चूंकि, दाएं किनारे की तुलना में बाएं किनारे का ढलान बहुत कोमल है; अत: बाएं किनारे पर सतह बिजली घर की संभावना का अध्ययन किया गया है। यह देखा गया कि पावर हाउस साइट में नाला पंखे शामिल हैं और नाला सामग्री हटाने के बाद पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। हालाँकि, नालों के जलग्रहण क्षेत्र के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नालों में सामग्री के प्रवाहित होने और बिजली घर स्थल पर आने का संभावित खतरा होगा। पावर हाउस हमेशा ढलान के दृष्टिकोण से स्थिरता के कारण असुरक्षित रहेगा। पावर हाउस हमेशा ढलान दृश्य बिंदु की स्थिरता से प्रभावित होता है । इसलिए, वैकल्पिक -1 को खारिज कर दिया गया था।

<u>विकल्प 2: डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 डी कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर</u>

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध और 2 D कवर के साथ भूमिगत पावर हाउस नदी के दाहिने किनारे पर का अध्ययन किया गया था। हालांकि, सीडब्ल्यूसी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कवर पर्याप्त नहीं है। इसलिए, वैकल्पिक -2 को अस्वीकार कर दिया गया था।

[9] SJVN, Inception for Detailed Project Report of Sunni HEP (382 MW), 2018

विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प के साथ-साथ दाहिने किनारे पर सतह के पॉवर हाउस का अध्ययन किया गया था। एचसीडी (HCD), सीडब्ल्यूसी (CWC) के साथ इस विकल्प पर भी चर्चा की गई और बड़े पैमाने पर ढलान काटने और खुदाई कार्य के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

4D कवर वाले भूमिगत पावर हाउस के साथ वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प का अध्ययन किया गया था। विकल्प पर एचसीडी, सीडब्ल्यूसी के साथ चर्चा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, इस विकल्प को सबसे उपयुक्त पाया गया। जीएसआई (GSI), नई दिल्ली ने भी इस विकल्प पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा इस विकल्प का अध्ययन अस्थायी के साथ-साथ स्थायी मोड़ सुरंग के साथ भी किया गया था।

यह देखा गया है कि, स्थायी संरचना के रूप में डायवर्सन टनल का उपयोग करने के लिए, बांध के स्तर को 660 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है यानी स्पिलवे के क्रेस्ट स्तर तक, जो बदले में 6-8 मीटर तक अपस्ट्रीम कोफ़रडैम की ऊँचाई को बढ़ा देगा। इसके अलावा, निर्माण समय भी बढ़ेगा क्योंकि स्थायी लाइन वाले सुरंग के निर्माण के लिए एक और मौसम की आवश्यकता होगी। इसलिए, अस्थायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प -4 का चयन किया गया है।

जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ी है, परियोजना के उद्देश्यों की सफल और समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता स्पष्ट हो रही है। इस अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता दो उद्देश्यों के लिए है: 1, उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए और 2,: कुछ भूमि जलाशय तालाब क्षेत्र के प्रभाव में आने की आशंका है जिसके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जबकि परियोजना प्रस्तावक ने उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया है।

1.5 परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थायें

सुन्नी बिजली परियोजना को 5 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। परियोजना की चरणबद्धता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि डीपीआर अभी भी प्रक्रिया में है।

1.6 मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार

1.6.1 नदी का पथांतर कार्य

नदी घाटी के बाईं ओर पथांतर सुरंग के निर्माण की संभावना है। एक 10 मीटर व्यास, घोड़े की नाल के आकार की पथांतर सुरंग जो 773 m3/s तक के पथांतर आप्लावन (फ्लड) को पास करने के लिए अभिकल्पित की गयी है। उपरिप्रवाह कोफ़्फ़र डैम की ऊँचाई ±18.80 मीटर और अप्रवाह कॉफ़र बांध की ऊँचाई ±9.20 मीटर होगी।

1.6.2 बांध

प्रस्तावित बाँध ±71m ऊँचा, अधिकतम गहरी नींव स्तर ±623, मीटर ऊंचा, ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध 8.5m (W) X 16.0m (H) के आकार वाले 6 अधिप्लव मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। अधिप्लव मार्ग के डिजाइन को 15473m3/.sec के संभावित अधिकतम बाढ़ के अनुरूप बनाया गया है। पूर्ण जलाशय स्तर को 712.0 मीटर और न्यूनतम जलावतलन स्तर 709.50 मी पर रखा गया है। । बांध 82.5 एमसीएम का सकल तालाब और 7.9 एमसीएम (MCM) का लाइव भंडारण प्रदान करेगा। शीर्ष पर बांध की लंबाई 178 मीटर होगी। प्रस्तावित बांध को 11 ब्लाक में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे के सारणी में सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 6-5 बांध खंडों का विवरण

क्र स	विवरण	कुल लम्बाई (मी)	ब्लॉकों की संख्या	ब्लाक न0	टिप्पणी
1.	बाएं किनारे पर NOF सेक्शन	46	2	1 to 2	कुल ब्लाकों = 11
2.	ओवर फ्लो ब्लॉक	87	6	3 to 8	
3.	दाहिने किनारे पर NOF सेक्शन	52	3	9 to 11	

1.6.3 प्रवेश संरचना

जलाशय से भूमिगत बिजली घर तक 744.07cu.m/sec के डिज़ाइन विसर्जन (Discharge) को बदलने के लिए दाहिने किनारे पर अंतरग्राहि (इनटेक) संरचना प्रस्तावित है। प्रवेश संरचना की केंद्र रेखा 712.0 m से 709.50 m होगी। तैरने वाले मलबे व जलमग्न मलबे को रोकने के लिए कचरा स्क्रीन प्रदान की जाएगी। कचरा रैक सफाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कचरा स्क्रीन की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि गुजरने का वेग 1.5 मीटर/सेकेंड से कम हो जैसा कि आईएस: 9761-1995- हाइड्रोपावर इंटेक्स- हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए मानदंड में बताया गया है।

इंटेक -1 और 2 (270.8 cu.m/s प्रत्येक) से विसर्जन मुख्य इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा और इंटेक्स -3 (171.6 cu.m/s) के माध्यम से विसर्जन पर्यावरण इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा।

रोधनलट्ठा (स्टॉपलॉग) गेटों के साथ इनटेक गेट जलाशय में लगाए जाने के दौरान निरीक्षण और रखरखाव को सक्षम करने और अत्यधिक बाढ़ के दौरान दबाव शाफ्ट प्रवेश क्षेत्र के भीतर भारी तलछट जमा पानी को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

1.6.4 दबाव दस्ता/शाफ़्ट

संचालन और रखरखाव के लचीलेपन के लिए, 3 नग दबाव शाफ्ट का प्रस्ताव किया गया है जिसे 729.95 cu.m/s के कुल विसर्जन को पारित करने के लिए छह में विभाजित किया जाएगा।

1.6.5 पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल

171.0 मीटर (L) x 22.5 मीटर (W) x 50.5 मीटर (H) के आकार वाले भूमिगत बिजली घर को दाहिने किनारे पर 382 मेगावाट (4 x 673 मेगावाट - मुख्य इकाइयों, 1 x 73 मेगावाट + 1 x 17 मेगावाट-पर्यावरण इकाइयाँ) की क्षमता के साथ प्रदान किया जाएगा। पावर हाउस गुफा ±226 मीटर के शीर्ष आवरण के साथ पहाड़ी के अंदर ±220 मीटर प्रस्तावित है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हॉल के बीच न्यूनतम 50.0 मीटर रॉक कवर उपलब्ध है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हॉल के बीच न्यूनतम 50.0 मीटर रॉक कवर उपलब्ध है।

1.6.6 टेल रेस (विसर्जनी) सुरंग और आउटफॉल स्ट्रक्चर

टर्बाइनों से निकलने वाले पानी को 2 ड्राफ्ट ट्यूबों के माध्यम से 10.5 मीटर और 9 मीटर व्यास के घोड़े के आकार के विसर्जनी सुरंग में उतारा जाएगा। विसर्जनी सुरंग की लंबाई 280 मीटर होगी। सतलुज नदी तक पानी के विसर्जन के लिए विसर्जनी सुरंग के बाद आउटफिट गेटेड संरचना 647.2 मीटर के सबसे निचले स्तर प्रस्तावित है।

1.6.7 एक्सेस (पहुँच) सुरंग

मशीन हॉल और ट्रांसफार्मर हॉल तक पहुंच सुरंगों को (8.5m स्वास D-प्रकार ±590m) वाहनों के आकार और उनके माध्यम से ले जाने के लिए आवश्यक उपकरणों के आकार के आधार पर, 15 में 1 की अधिकतम ढलान और बड़े वाहनों आवागमन में आसानी के लिए उन्हें जितना संभव हो उतना सीधा करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.6.8 मुख्य प्रवेश सुरंग

मुख्य पहुँच सुरंग लगभग 700 मी लम्बाई के साथ 16 में 1 की अधिकतम ढलान के साथ होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि सुरंग और मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के बीच जंक्शन पर पार्किंग क्षेत्र बनाने के लिए एक बड़ा खंड बनाया जाएगा।

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार सुचारू और निर्बाध निष्पादन के लिए निर्माण से पूर्व, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद किसी भी पनबिजली परियोजना में सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की आवश्यकता होती है[10]:

1. पहुंच मार्ग
   1.1 परियोजना के लिए सड़कें
   1.2 परियोजना क्षेत्र में सड़कें
2. रेल प्रमुख
3. पोर्ट सुविधाएं, (जैसा लागू हो)
4. निर्माण शक्ति की आवश्यकता
5. बिजली की आपूर्ति की सुविधा
6. निर्माण के दौरान और परियोजना के पूरा होने के बाद आवश्यक दूरसंचार सुविधाएं
7. परियोजना उपनिवेश / भवन
8. कार्यालय स्थान
9. कार्यशालाएं
10. पेयजल की सुविधा
11. अन्य

1.8 कार्यबल अपेक्षाएं

परियोजना के निष्पादन के लिए पुल और संपर्क रोड, कार्यालय भवन, कॉलोनियों, कार्यशालाओं, जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए, इसके बाद विभिन्न परियोजना घटकों जैसे डायवर्सन टनल, कॉफ़र बांध, कंक्रीट निर्माण बांध का निर्माण करना , इंटेक स्ट्रक्चर और पेनस्टॉक्स, सरफेस पावर हाउस, टेल रेस चैनल आदि का निर्माण किया जाना चाहिए ।

[10] Authority, 2015

परिणामस्वरूप, 310 व्यक्तियों का कुल अनुमानित स्थायी / नियमित रोजगार और 56,57,500 व्यक्ति-दिन का अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा[11]।

1.9 पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनिकी साध्यता रिपोर्ट

परियोजना के लिए कोई तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तक एसजेवीएनएल द्वारा तैयार नहीं की गई है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। डीपीआर की तैयारी भी प्रगति पर है। हालांकि, परियोजना के सामान्य लेआउट का वर्णन करने वाली एक स्थापना रिपोर्ट तैयार की गई है।

1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां

1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी

RTFCTLARR अधिनियम, 2015 की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी लोक प्रयोजनके लिए भूमि का अर्जन करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत से, उनके साथ, इस तरह से और ऐसी तारीख से जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना हो (अधिनियम की धारा 4) के तहत परामर्श करेगी और परामर्श में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी।

HP RTFCTLARR नियम, 2015 के नियम 3 उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इनमें से FORM-I के भाग-बी के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण शुरू करने से संबंधित नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा भी मामला हो सहित जिला कलेक्टर के संबंधित कार्यालयों में, उप-मंडलाधिकारी और तहसील को उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम और प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर भी प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी (HP RTFCTLARR नियम, 2015)

1.10.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया[12]

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों (और शहरी क्षेत्रों के मामले में समकक्ष निकायों के साथ) में ग्राम सभा के परामर्श से एक सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआइए) अध्ययन करेगी।

[11] Himachal Pradesh Forest Clearance: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2019
[12] Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

- इसके बाद, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में परियोजना से संबंधित विषय पर दो गैर-आधिकारिक समाज वैज्ञानिक, पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की जांच समिति द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर भूमि प्राप्त करने के इरादे का संकेत देने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
- इसके बाद, सरकार अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी।
- इस प्रक्रिया पर किसी भी आपत्ति को कलेक्टर द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का एक विशेष टुकड़ा अर्जित किया जाना चाहिए, तो भूमि का अर्जन करने की घोषणा की जाती है।
- इस घोषणा के प्रकाशित होने के बाद, सरकार भूमि का अर्जन करेगी।
- अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से निर्दिष्ट भूमि के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी

1.10.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार[13]

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ने (RTFCTLARR Act,2013) ने भू अर्जन अधिनियम 1894 की जगह ली, जो औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। पुराने भू अर्जन अधिनियम की त्रुटियों को दूर कर नए RTFCTLARR Act को ताजा करने की कोशिश की गई व भू अर्जन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया।

अधिनियम में भूमालिकों के, औद्योगिकीकरण/ रियल एस्टेट की वृद्धि और ढांचागत उद्योगों के हितों में एकरूपता व भूमि अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। इस तरह अधिनियम का उद्देश्य इसे आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।

अधिनियम में जिन लोगों की जमीन अर्जित की जानी है उनके अनिवार्य पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास और उन्हें उचित प्रतिकर के भुगतान का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार की ओर से जनउद्देश्य या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के लिए अर्जन किया जाता है तो अधिनियम में बढ़े मुआवजें का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार भाव से चार गुणा व शहरी

[13] Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

क्षेत्रों में दुगुना हो सकता है। अधिनियम को भूमालिकों व बाकी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए जरूरी व लाभदायक माना गया।

1.10.3.1 RTFCTLARR अधिनियम की प्रमुख विशेषताए

अधिनियम अर्जन के साथ- साथ R&R के लिए भी प्रावधानों को साफ करता हैं। मौजूदा प्रावधानों से जुड़े मुख्य बदलाव यह हैं (1) भू अर्जन की प्रक्रिया (2) अर्जन से विस्थापित हुए लोगों के अधिकार (3) प्रतिकर की गणना का तरीका (4) सभी तरह के अर्जन के लिए R&R की जरूरत।

1.10.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर

RTFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा।

1.10.3.3 पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन की प्रक्रिया

पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन दो अलग-अलग गतिविधियाँ हैं।

- पुनार्व्यस्थापन भौतिक पुनर्वास के साथ जुड़ा हुआ है या उन्हें एक नए पुनर्वास कॉलोनी में पुनर्स्थापित कर रहा है।
- पुनर्वास पीएपी की आजीविका की बहाली के साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ रखे गए इन दोनों पहलुओं में पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहाली शामिल है।

RTFCTLARR अधिनियम में हर अर्जन के मामले में R&R की आवश्यकता होती है। एक बार अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और R&R योजना तैयार करेगा। यह योजना तब शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थानीय निकायों में चर्चा की जाएगी। R&R योजना पर किसी भी आपत्ति को प्रशासक द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ज़िलाधीश को प्रस्तुत करेगा। ज़िलाधीश योजना की समीक्षा करेंगे और इसे R&R के लिए नियुक्त आयुक्त को सौंपेंगे। एक बार जब आयुक्त R&R योजना को मंजूरी दे देता है, तो सरकार R&R के उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक घोषणा जारी करेगी। तब प्रशासक योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। आयुक्त योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

1.10.4 हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015[14]

हिमाचल प्रदेश ने "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015" को 09 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 के अधिकार की धारा 112 के अंतर्गत "उचित प्रतिकर और पारदर्शिता" का पालन सुनिश्चित करना है, जिसे 2013 का अधिनियम संख्या 30 के रूप में जाना जाता है। इन नियमों को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, केंद्रीय अधिनियम, 2013 पर नियोजित, भूमि अर्जन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य में सामाजिक मूल्यांकन मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया की अनुमति देता है। नियमों का मुख्य आकर्षण हैं- (A) फॉर्म II और III के अनुसार एसआइए और SIMP का संचालन, (B) सार्वजनिक सुनवाई का संचालन करना (C) सहमति।

1.10.4.1 एसआइए और SIMP का संचालन करना

प्रपत्र II: सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार को उसके प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और इसमें लिखित रूप में दर्ज प्रभावित परिवारों के विचार शामिल होंगे। यह प्रपत्र एसआइए रिपोर्ट की संरचना और सामग्री को विस्तृत करता है।

प्रपत्र III: सामाजिक समाघात प्रबंध योजना परियोजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों को लागू करती है और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यह फ़ॉर्म SIMP की सामग्री पर एक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

प्रपत्र II और प्रपत्र III परिशिष्ट में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

1.10.4.2 जन सुनवाई का आयोजन

1. सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को बाहर निकालने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए , निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया की मांग और अंतिम रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और विचारों की तलाश की जानी चाहिए।

[14] The Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015

2. जनसुनवाई की तारीख और स्थल की घोषणा की जाएगी और तीन सप्ताह में सार्वजनिक सूचनाओं और पोस्टरों के माध्यम जिसका अर्जन करने के लिए प्रस्तावित पांच किलो मीटर की भूमि के दायरे में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो में प्रसारण, और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने के अलावा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड प्रतिनिधियों के साथ सीधे संचार के माध्यम से तीन सप्ताह पहले प्रचारित किया जाएगा।
3. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा कि मामला हो, को उपलब्ध कराई जाएगी, प्रभावित क्षेत्रों और कार्यालयों में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर हो सकता है। जिला कलेक्टर, उप-मंडलाधिकारी, तहसीलदारों और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
4. जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक निकाय, नामित भूमि अर्जन और पुनर्वास और पन्र्स्थापन अधिकारी, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जनसुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकाडिंग की जाएगी और उसी के अनुसार लिपिबद्द की जाएगी। यह रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखन अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1.10.4.3 सहमति

राज्य सरकार, संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से फॉर्म-IV के भाग-ए में प्रभावित भूमि मालिकों की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। उसी समय राज्य सरकार पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन के लिए भूमि अधिकारों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि और अन्य राजस्व रिकॉर्डों में शीर्षक, ताकि भूमि मालिकों, भूमि पर रहने वालों और व्यक्तियों के नाम को आरंभ करने के लिए पहचाना जाए।

1.10.4.3.1 ग्राम सभा की सहमति

1. प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई कार्य जाने का उदेश्य है की एसआइए द्वारा दी गयी मुख्य खोजें,सलाहें व् अतिरिक्त जानकारी और लोगों क विचार जो अंतिम रिपोर्ट में डाली जाए।
2. जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के परामर्श से तीन सप्ताह पहले प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थल की सूचना देगा और ग्राम

सभा के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगा।

3. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर रिकॉर्ड में लिए जाएंगे।
4. सहमति को मान्य मानने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कोरम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) में निर्धारित है।
5. प्रस्तावित अर्जन के लिए फॉर्म-IV के भाग-बी में या सहमति देने से बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव में पुनर्वास और पुन्र्स्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रभाव प्रबंधन और शमन के लिए बातचीत की शर्तें होंगी, जो आवश्यक निकाय के द्वारा वचनबद्ध हो, के साथ जिला कलेक्टर या नामित जिला अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध और जिन पर हस्ताक्षर किए गए हो ।

1.10.4.3.2 प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और निजी कंपनियों (PP) के पक्ष में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली स्थिति में सहमति आवश्यक है। चूंकि सुन्नी एचईपी एसजेवीएन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) इस प्रकार है:

भूमि अधिग्रहण, सहमति, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान भी लागू होंगे, जब उपयुक्त सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है, अर्थात्:

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां उप-धारा (1) में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का स्वामित्व सरकार के साथ जारी है।
2. सार्वजनिक कंपनियों के लिए निजी कंपनियों के लिए, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है।

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

2.1 दल विवरण

एसआइए टीम की संरचना निम्न तालिका में दी गई है, जो सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है और पहले भी इस तरह के कई अध्ययन कर चुका है।

तालिका 7-1 टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	ईं. तरुण गुप्ता	BE (AG) PGDPM, PGDMM, PG Disaster Management	पुरुष	प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर संपूर्ण योजना एवं कार्यान्वयन की देखरेख करना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना एवं प्रस्तुत करना
2	डा. रमन शर्मा	पी एच डी	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक गतिशीलता में विशेषज्ञ
3	मंगत चौहान	पीजी पीएम एंड आईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट	पुरुष	रिपोर्ट लेखन संपूर्ण योजना एवं कार्यान्वयन की देखरेख करना समन्वय एवं संचार
4	संगीता ठाकुर	एम ए	महिला	अन्वेषक एवं लिंग विशेषज्ञ
5	संगीता	एम ए	महिला	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी शोधकर्ता

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	लाभ सिंह	एम एस डब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	परवीन	एम एस डब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
3	नितेश शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
4	अरुण शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
5	संदीप राणा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
6	मनोज	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
7	विक्रम	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
8	विरेंद्र शर्मा	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।

2.2.2 उदेश्य

1. क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।
2. प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।
3. प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।
4. क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।
5. क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।
6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।
7. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल तैयार करना (यदि कोई हो) ।
8. HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के प्रपत्र III के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और SIMP तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। एसआइए RTFCTLARR अधिनियम 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में एसआइए अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

आकृति 7-1 अध्ययन पद्यति

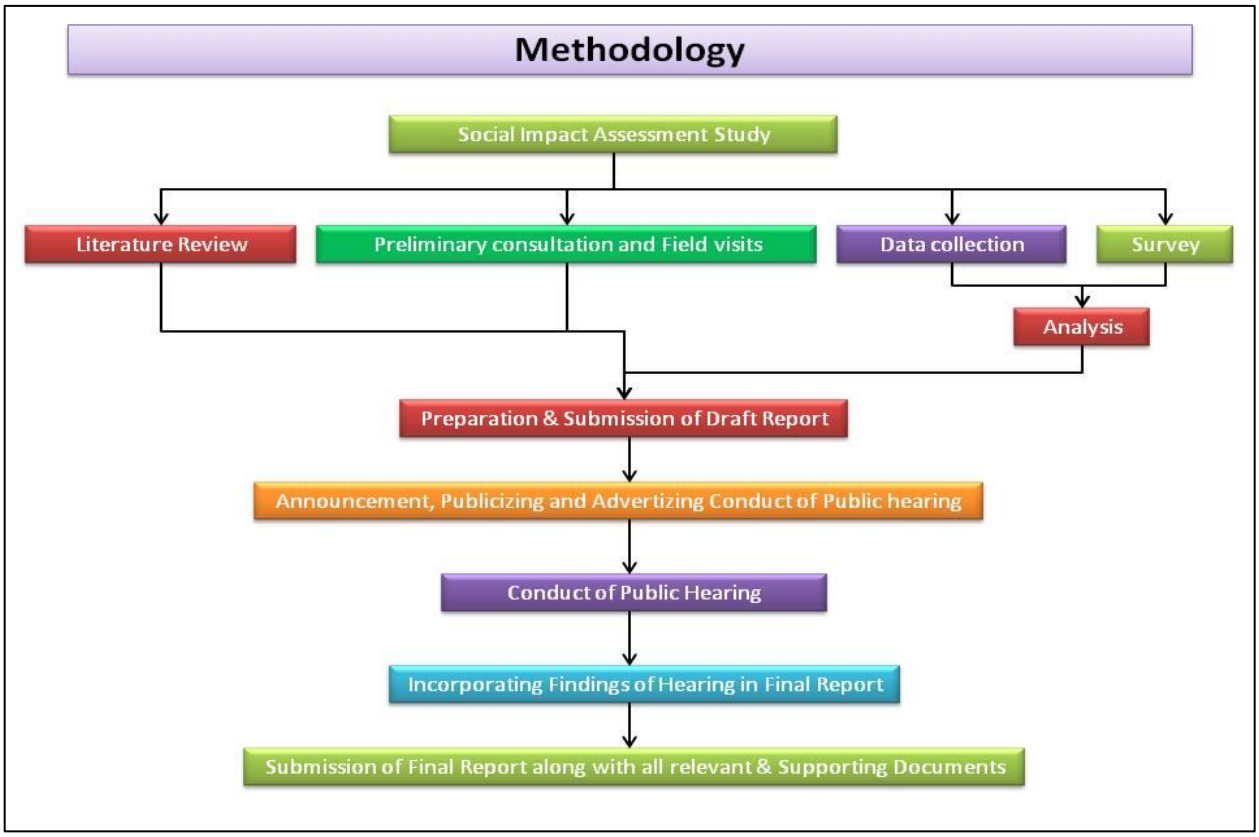

**स्त्रोत: एसआइए टीम*

नीचे दी गई विस्तृत कार्यप्रणाली है जिसे अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है:

1. परियोजना संदर्भ का विश्लेषण
    a. साहित्य समीक्षा
    b. माध्यमिक डेटा
2. हितधारकों की पहचान और विश्लेषण
    a. माध्यमिक डेटा
    b. प्राथमिक डेटा
    c. साइट विश्लेषण
    d. विभिन्न प्राथमिक सर्वेक्षण (संकेतक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)
3. सामाजिक कारकों और चर की पहचान
    a. प्राथमिक सर्वेक्षण (गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)

   b. एफजीडी (हितधारक प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी / अधिकारी)
   c. हितधारक परामर्श
4. डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता मूल्यांकन
   a. प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र का विश्लेषण
   b. एफजीडी से तैयार किए गए संदर्भ
   c. स्टेकहोल्डर परामर्श से तैयार किए गए निष्कर्ष
   d. साइट सर्वेक्षण से अवलोकन
5. हितधारकों से परामर्श और शमन योजनाओं का विकास
   a. एफजीडी और जनसुनवाई आयोजित करना
   b. एफजीडी और जन सुनवाई से निष्कर्षों और निष्कर्षों की खोज में शमन योजनाओं का विकास
6. शमन योजना और जन भागीदारी को लागू करना
   a. कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित प्राधिकारियों/अधिकारियों और सार्वजनिक भागीदारी के समन्वय में
7. सक्रिय हितधारक भागीदारी के साथ निगरानी सुनिश्चित करना और इसे संशोधित करना

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंता करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, आगामी सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. प्राथमिक हितधारक: इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है। ।
2. द्वितीयक हितधारक: इनमें व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज / राजनीतिक / धार्मिक / गैर सरकारी संगठन, युवक और महिला मंडल और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हैं। ये हितधारक सीधे अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
3. संस्थागत हितधारक: उनमें सरकार शामिल है; अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कि पंचायत, डीसी ऑफिस, पुलिस आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े या प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की जाती है। राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना हैंड बुक, जिला गजेटियर, जिला सांख्यिकी, मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार योजनाओं, RTFCTLARR अधिनियम,2013, HP RTFCTLARR नियम, 2015, R&R पालिसी और सेवा क्षेत्रों के बारे में दस्तावेज जिसमें संबंधित जिलों / ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर सरकारी स्रोत से एकत्र किए गए थे। सरकारी सूत्रों और समीक्षा की। ऐसे प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने हेतु की जाती है।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई है । इन स्रोतों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है:

- **माध्यमिक स्रोतों से डेटा**

  माध्यमिक स्रोतों की जानकारी कई क्षेत्रों से एकत्र की गई थी जैसे कि जनगणना डेटा, सांख्यिकीय हस्तपुस्तिकाएं, संबंधित विभाग और अन्य साहित्य। सूचना के ये स्रोत प्राथमिक डेटा के पूरक हैं जो प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे । विस्तृत क्षेत्र जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के बारे में समझ बनाई गई ।

- **प्राथमिक स्रोत**

प्राथमिक डेटा घरेलू सर्वेक्षणों, क्षेत्र दौरों और केंद्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्र किया गया। घरेलू सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम एसआईए (एसआइए) टीम द्वारा तैयार किए गए थे और किसी भी संभावित अंतर की जांच के लिए अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया गया था। प्रश्नावली को पेशेवर सर्वेक्षकों / प्रगणकों द्वारा प्रशासित किया गया था जिन्हें एसआईए के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना क्षेत्र को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए परियोजना स्थल पर ले जाया गया। डेटा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा को आउटपुट तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उचित जांच और तार्किक जांच के बाद एमएस एक्सेल पर डिजिटल किया गया था।

- **अध्ययन के उपकरणों की तेयारी**

प्राथमिक हितधारकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने और उन पर प्रभाव की तीव्रता को इकट्ठा करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुझावों और संशोधन के लिए एक मसौदा प्रश्नावली विकसित कर हि ० प्र ० एसआईएयू (HP एसआइए U) को प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था। गांवों में विभिन्न हितधारकों द्वारा कथित सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित निर्णय लेने आदि, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव सहित उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अर्जन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, महिलाओं की भूमिका के कारण किसी भी सामान्य संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समूहबद्ध चर्चा आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की गईं।

- **प्राथमिक सर्वेक्षण**

एक पूर्व संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक हितधारकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्नावली में पीएएफ की पहचान, पीएएफ के परियोजना और पुनर्वास और पुन्र्स्थापन बारे विचार सहित, उनके सामाजिक प्रोफ़ाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार के खर्च, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक / स्व-रोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय जैसे पहलू शामिल थे । प्रश्नावली के अधिकांश भाग को पीएएफ की राय और विचारों को प्रति बिंबित करने वाले लोगों को छोड़कर पूर्व-कोडित किया गया है, जिन्हें खुले अंत में छोड़ दिया गया है।

- **फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा**

अध्ययन का एक पहलू हितधारकों, जन प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श करना था। परामर्शों ने हितधारकों और एसआईए टीम के बीच संचार की राह खोल दी। इससे समुदाय द्वारा महसूस किए गए प्रभावों की पहचान करने में मदद मिली ।

- **डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण**

कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले पांच प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया था।

आकृति 7-2 केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें

2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग

अध्ययन के लिए, टीम ने राजस्व विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी पीएएफ को कवर करने का लक्ष्य रखा। प्राथमिक डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था:

1. मात्रात्मक तकनीक: प्राथमिक हितधारकों के बीच एचएच सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली ।
2. गुणात्मक तकनीक: गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, एफजीडी और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

एसआइए और SIMP को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुन्र्स्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टेकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

आकृति 7-3 सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
क	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर		
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण		प्राथमिक जनगणना सार
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण	*जनगणना,2011*
	साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	परिवार सर्वेक्षण	*जनगणना,2011*
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण	
4.	रिश्तेदारी पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण	
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
6.	प्रशासनिक संगठन	फ़ोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
7.	राजनीतिक संगठन।	समूह चर्चा	सरकारी विभाग
8.	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	फ़ोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
9.	भूमि का उपयोग और आजीविका	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे, जमाबंदी के दस्तावेज
	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततीमा , जमाबंदी के दस्तावेज
	पशु	परिवार सर्वेक्षण	
	औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार।	परिवार सर्वेक्षण, फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	एस ई सी सी डाटा इकनोमिक कास्ट सेंसुस डाटा
	घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन	परिवार सर्वेक्षण	
	प्रवास	परिवार सर्वेक्षण, फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	घरेलू आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण	
	आजीविका की प्राथमिकताएँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
10.	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	क्रेडिट तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	मज़दूरी दर	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
11.	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सड़कें, परिवहन	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सिंचाई की सुविधा	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बाजारों तक पहुंच	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	पर्यटक के लिए स्थल	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका संवर्धन कार्यक्रम	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	परिवेश/वातावरण की गुणवत्ता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	धारणाएँ, सौंदर्य गुण, आसक्ति और आकांक्षाएँ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निपटान का तरीका	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे , जमाबंदी के दस्तावेज
12.	सामुदायिक और नागरिक स्थान	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली आदि सहित)	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सार्वजनिक सेवा संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	सुरक्षा, अपराध, हिंसा	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	महिलाओं के लिए सामाजिक एकत्रीकरण बिंदु।	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
ख	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र		
1	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	रोजगार का स्तर और प्रकार	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	अंतर-घरेलू रोजगार पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	जीवन स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	उत्पादक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आर्थिक निर्भरता, या भेद्यता	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्रभाव का जोखिम	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की आजीविका के विकल्प तक पहुँच	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
2	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, पानी, जंगलों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
3	निजी संपत्ति, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आवास सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव।	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निजी परिसंपत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
4	स्वास्थ्य पर असर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है: (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
5	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अपराध और अवैध गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अव्यवस्था का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव। सामाजिक प्रभावों का प्रकार, समय, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के चरणों के साथ निकटता से संबंधित होगी।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पूर्व-निर्माण चरण • सेवाओं के वितरण में रुकावट • उत्पादक निवेश में गिरावट • जमीन की अटकलें • अनिश्चितता का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	निर्माण चरण • विस्थापन और पुनर्वास • प्रवासी निर्माण कार्यबल की सूजन • स्वास्थ्य उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्माण स्थल के करीब रहते हैं	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	ऑपरेशन का चरण • निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी • परियोजना के आर्थिक लाभ • नए बुनियादी ढांचे पर लाभ • सामाजिक संगठन के नए पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	डी-कमीशन चरण • आर्थिक अवसरों का नुकसान • पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका पर इसका प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	विभेदक प्रभाव • महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों पर प्रभाव • जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट और वल्नेरेबिलिटी और रेजिलिएशन मैपिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	संचयी प्रभाव • प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव • परियोजना क्षेत्र में सीधे तौर पर नहीं बल्कि स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित लोगों पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

**स्रोत: एसआइए दल*

2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

सार्वजनिक सुनवाई का कार्यक्रम निम्नलिखित था जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया गया।

क्रम	ज़िला	उपखण्ड	पंचायत	तिथि
1	शिमला	कुमारसैन	मोगरा	11/01/2024
2	शिमला	शिमला ग्रामीण	भरारा	07/02/2024
3	शिमला	शिमला ग्रामीण	चेबरी	12/01/2024
4	मंडी	करसोग	परलोग और शाउट	16/01/2024
5	मंडी	करसोग	बिंदला और सरत्योला	16/01/2024

सार्वजनिक सुनवाई स्थानीय निवासियों, समुदाय के नेताओं और हितधारकों के लिए सुन्नी बांध परियोजना के सामाजिक प्रभाव के संबंध में अपनी राय, चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करने का

एक मंच है। माहौल सक्रिय जुड़ाव का था, क्योंकि उपस्थित लोगों को परियोजना प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

इन सुनवाइयों के दौरान हुई चर्चाओं में परियोजना के सामाजिक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था में संभावित बदलाव, समुदायों का विस्थापन और पर्यावरणीय विचार शामिल थे। उपस्थित लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं को विधिवत नोट किया गया, और परियोजना प्रतिनिधियों ने सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट में उल्लिखित शमन उपायों पर स्पष्टीकरण प्रदान किया।

स्थानीय और परियोजना प्रभावित लोगों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ और आशंकाएँ:

1. परियोजना समर्थकों द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है वह पीढ़ियों से विरासत में मिली है और भूमि के इन टुकड़ों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आजीविका अर्जित की गई है, इसलिए या तो भूमि के बदले भूमि या पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।
2. लुनसु में कई लोग तब तक अधिक भूमि प्राप्त करने का विरोध व्यक्त कर रहे हैं जब तक कि मुख्य भूमि के अधिग्रहण से संबंधित पहले किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते और पर्याप्त रूप से हल नहीं किया जाता।
3. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के चिन्हीकरण के दौरान कई घर छोड़ दिए गए हैं, जबकि ये घर डंपिंग साइट के साथ-साथ बांध स्थल के नजदीक होने के कारण परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान पूरी तरह से प्रभावित होंगे।
4. कई लोगों ने यह चिंता जताई है कि एक ही खसरे की जमीन का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जा रहा है, लेकिन एक हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिसका भूमि के लिए कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि ऐसे में पूरे खसरे की जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।
5. ज्यादातर लोगों की मांग थी कि रेट अलग-अलग न हों और सभी तरह की जमीन के लिए एक ही रेट दिया जाए.
6. ज्यादातर लोगों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने से इनकार किया जा रहा है जबकि बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है.
7. परियोजना गतिविधियों के कारण स्थानीय गांवों को जोड़ने वाले कई स्थानीय रास्ते नष्ट हो रहे हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं पर असर पड़ रहा है। इसलिए सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा सकते हैं।

8. परलोग पंचायत में लोगों को चिंता थी कि जलाशय के कारण कई सड़कें, अंत्येष्टि स्थल और पुल डूब जाएंगे, अच्छा होगा यदि इनका निर्माण कार्य इनके डूबने से पहले ही हो जाए।
9. लोगों ने परियोजना गतिविधियों के कारण उनके घरों में आई दरारों का मुद्दा उठाया और उचित सर्वेक्षण और मुआवजे की मांग की।
10. जिन लोगों की भूमि डंपिंग क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उन्होंने बताया कि इस भूमि में कई जल निकाय (बावड़ी आदि) मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल जल के अभाव वाली अवधि में जानवरों, वन्य जीवों के साथ-साथ लोगों द्वारा पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

3 भूमि निर्धारण

यह अध्याय सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना द्वारा अर्जित की जाने वाली कुल भूमि के विवरण पर केंद्रित है, जिसमें परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि की कुल आवश्यकता और विभिन्न पंचायतों के तहत खरीदी जाने वाली भूमि का उपयोग शामिल है। उपलब्ध नक्शे और प्राथमिक सर्वेक्षण सहित प्राथमिक स्रोतों का उपयोग भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए भूमि के स्वामित्व पैटर्न, हस्तांतरण और उपयोग पर एक संक्षिप्त विवरण का भी आकलन किया गया था।

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

शिमला और मंडी जिले में विभिन्न पंचायतों में सुन्नी जल विद्युत परियोजना के तहत अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के उद्देश्य या इच्छित उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

आकृति 8-1 भूमि सूची

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य	शीर्षक धारकों की संख्या
शिमला	चेबड़ी	लूँसु	01-99-43	डम्पिंग	130
		मूँगना	3-25-83	डम्पिंग	64
	भराढ़ा	जैशी	00-16-41	जलाशय	24
		भराढ़ा	00-00-76	जलाशय	2
	मोगरा	मजरोग	00-01-33	जलाशय	9
शिमला जिले में कुल			**5-43-76**		**229**
मंडी	बिंदला	भौरा	00-63-04	जलाशय	67
	सरत्योला	जकलीन	00-17-67	जलाशय	5
		मांगन	00-08-98	जलाशय	1
	परलोग	फ़ाफ़न	01-16-46	जलाशय	51
		परलोग	00-27-15	जलाशय	47
		बेलुढाँक	00-44-87	जलाशय	59
	शौट	खार्याली	00-89-06	जलाशय	37

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य	शीर्षक धारकों की संख्या
मंडी जिले में कुल			**3-67-23**		**267**
कुल योग			**9-10-99**		**496**

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र

वर्तमान भूमि अधिग्रहण योजना के अनुसार, प्रस्तावित सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) के लिए कुल 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि में पूरी तरह से निजी संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें 496 भूस्वामियों के स्वामित्व हैं। नीचे दी गई तालिका परियोजना से प्रभावित कुल सरकारी और निजी भूमि और उसके इच्छित उपयोग का अवलोकन प्रदान करती है:

तालिका 8-1 विभिन्न परियोजना घटकों के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता

क्र स	अंग	सरकारी भूमि है०)	निजीभूमि (है०)	कुल (है०)
1	जलाशय क्षेत्र		3-75-73	3-75-73
2	डंपिंग साइट		5-25-26	5-25-26
	कुल		**9-10-99**	**9-10-99**

मानचित्र 8-1 परियोजना के प्रभाव में क्षेत्र

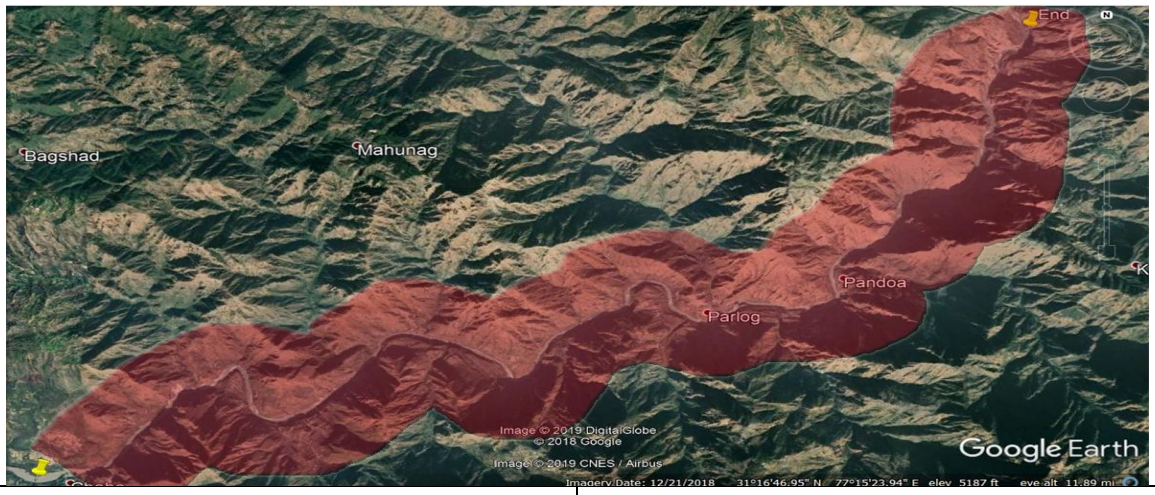

मानचित्र 8-2 परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा

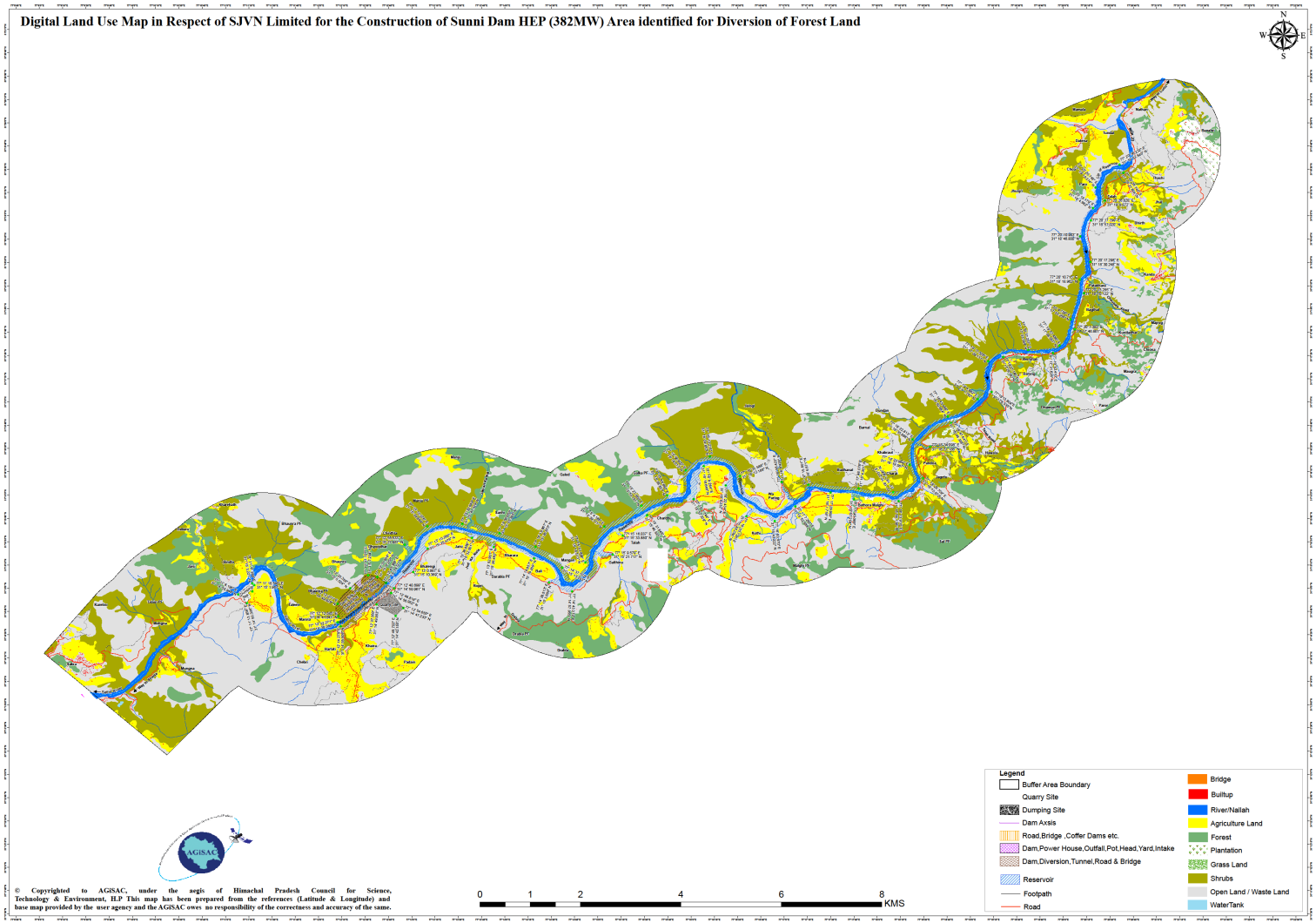

3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

चयनित भूमि की कुल माप 9-10-99 हेक्टेयर है। इसमें शिमला और मंडी नामक दो जिलों के कुल 12 गाँव शामिल हैं जिनमें 496 परिवार रहते हैं। दोनों जिलों में विभिन्न मदों के तहत अर्जित की जा रही भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8-2 परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि कि आवश्यकता

क्रम संख्या	घटक	जिला शिमला (हे.)	जिला मंडी (हे.)
1	डंपिंग	5-25-26	00
2	जलाशय	0-18-50	3-67-23
Total		**5-43-76**	**3-67-23**

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम (SJVN)*

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग

परियोजना के लिए जिम्मेदार इकाई ने परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी या पट्टे पर नहीं दी है। फिर भी, अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि का नियोजित उपयोग नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 8-3 अर्जित भूमि का उपयोग

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य
शिमला	चेबड़ी	लूँसु	01-99-43	डम्पिंग
		मूँगना	3-25-83	डम्पिंग
	भराढ़ा	जैशी	00-16-41	जलाशय
		भराढ़ा	00-00-76	जलाशय
	मोगरा	मजरोग	00-01-33	जलाशय
शिमला जिले में कुल			**5-43-76**	
मंडी	बिंदला	भौरा	00-63-04	जलाशय
	सरत्योला	जकलीन	00-17-67	जलाशय
		मांगन	00-08-98	जलाशय
	परलोग	फ़ाफ़न	01-16-46	जलाशय
		परलोग	00-27-15	जलाशय

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	उपयोग का उद्देश्य
		बेलुढाँक	00-44-87	जलाशय
	शौट	खार्याली	00-89-06	जलाशय
मंडी जिले में कुल			**3-67-23**	
कुल योग			**9-10-99**	

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम*

3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

सुन्नी बांध एचईपी को शिमला और मंडी जिलों के 12 गांवों में 9-10-99 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसमें कुल 90 खसरे शामिल हैं। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

तालिका 8-4 अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा

जिले का नाम	पंचायत का नाम	क्र स	गांव का नाम	कुल निजी भूमि (हेक्टेयर)	कुल खसरा संख्या
शिमला	चेबड़ी	1	लूँसु	01-99-43	24
		2	मूँगना	3-25-83	1
	भराढ़ा	3	जैशी	00-16-41	4
		4	भराढ़ा	00-00-76	3
	मोगरा	5	मजरोग	00-01-33	1
मंडी	बिंदला	6	भौरा	00-63-04	7
	सरत्योला	7	जकलीन	00-17-67	3
		8	मांगन	00-08-98	1
	परलोग	9	फ़ाफ़न	01-16-46	12
		10	परलोग	00-27-15	5
		11	बेलुढाँक	00-44-87	14
	शौट	12	खार्याली	00-89-06	15
कुल योग				**9-10-99**	**90**

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम*

मानचित्र 8-3 प्रस्तावित अर्जन का स्थान

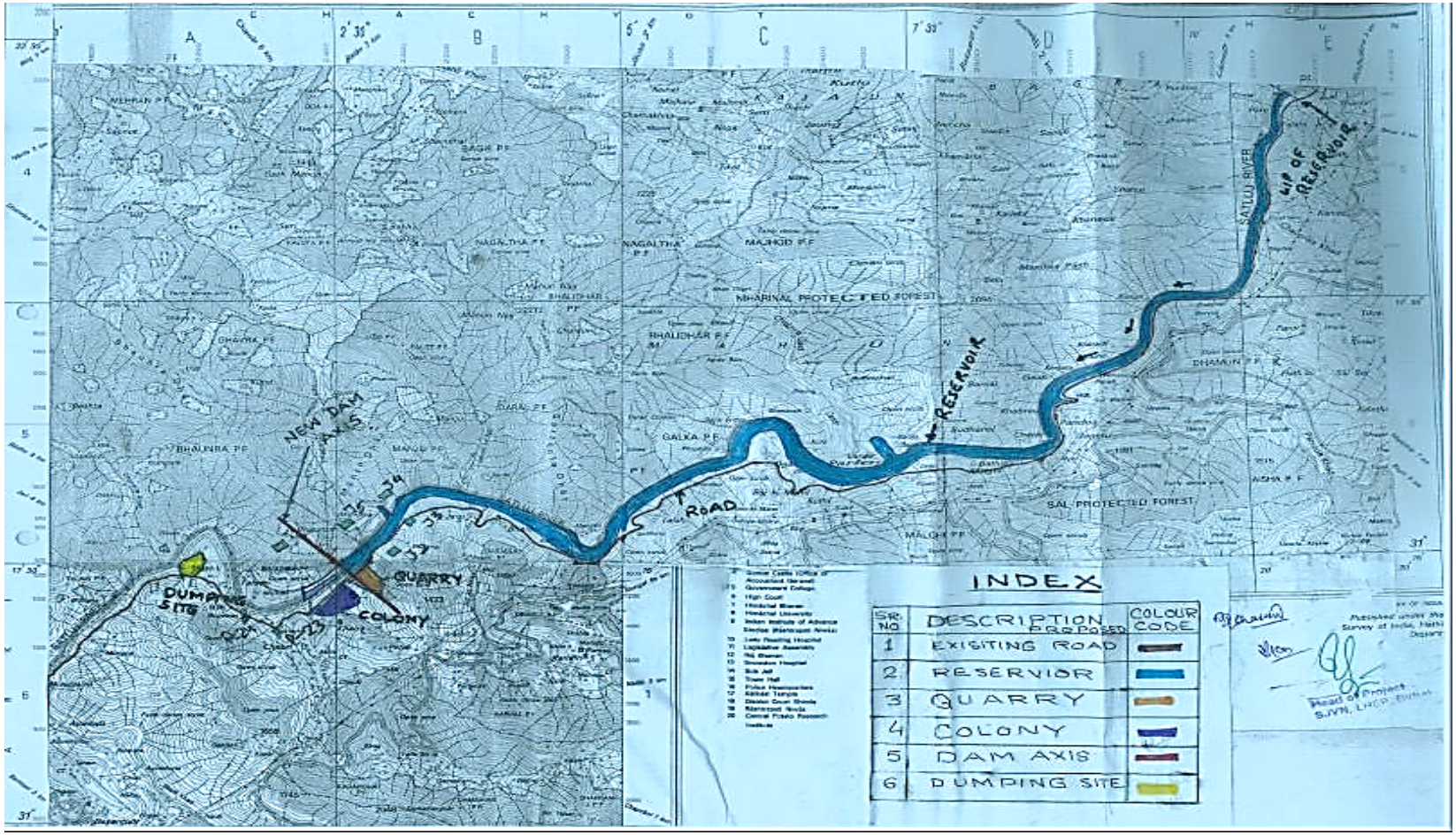

3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति, और वर्गीकरण

परियोजना के तहत दोनों जिलों में अधिग्रहित की जा रही कुल 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि में से 4-87-75 हेक्टेयर पर खेती की जाती है और 4-13-24 हेक्टेयर पर खेती नहीं की जाती है। शिमला जिले में अधिग्रहण के तहत कुल 5-43-76 हेक्टेयर भूमि में से 2-88-30 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और 2-55-46 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है। इसी प्रकार, मंडी जिले में अधिग्रहण के तहत कुल भूमि 3-67-23 में से 1-99-45 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और 1-77-78 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है।

3.6.1 सिंचाई क्रम

अधिग्रहण के तहत कुल 9-10-99 हेक्टेयर भूमि में से केवल 2-85-97 हेक्टेयर भूमि सिंचित है और शेष 2-01-78 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। नीचे दी गई तालिका शिमला और मंडी जिले में अधिग्रहण के तहत गांवों में सिंचित और असिंचित भूमि का वितरण दर्शाती है:

तालिका 8-5 अर्जन के तहत भूमि का सिचाई क्रम

क्रम संख्या	जिला	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	2-13-99	0-74-31	5-43-76
2	मंडी	0-71-98	1-27-47	3-67-23
	कुल	2-85-97	2-01-78	9-10-99

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम*

3.7 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व पैटर्न

जिला शिमला और मंडी में कुल 496 स्वामित्व धारकों में से जिनकी भूमि/संपत्ति परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, 6 एकल स्वामित्व धारक हैं और शेष 490 संयुक्त धारक हैं। नीचे दी गई तालिका 3-6 एकल और संयुक्त मालिकों वाले ग्रामवार खसरों का वितरण दर्शाती है:

तालिका 8-6 होल्डिंग/ स्वामित्व आकार और पैटर्न/क्रम

ज़िला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा नo	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
शिमला	चेबड़ी	1	लूँसु	24	01-99-43	2	128	130

ज़िला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा नo	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
		2	मूँगना	1	3-25-83	0	64	64
	भराढ़ा	3	जैशी	4	00-16-41	0	24	24
		4	भराढ़ा	3	00-00-76	0	2	2
	मोगरा	5	मजरोग	1	00-01-33	0	9	9
मंडी	बिंदला	6	भौरा	7	00-63-04	0	67	67
	सरत्योला	7	जकलीन	3	00-17-67	0	5	5
		8	मांगन	1	00-08-98	1	0	1
	परलोग	9	फ़ाफ़न	12	01-16-46	2	49	51
		10	परलोग	5	00-27-15	0	47	47
		11	बेलुढाँक	14	00-44-87	0	59	59
	शौट	12	खार्याली	15	00-89-06	1	36	37
कुल				**90**		**6**	**490**	**496**

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

कुल 496 स्वामित्वधारकों में से 490 (98.79%) संयुक्त मालिक हैं और 4 (1.21%) एकल मालिक हैं। तालिका 3-7 स्वामित्व के पैटर्न/क्रम को दर्शा रहा है

तालिका 8-7 स्वामित्व का पैटर्न/क्रम

क्र स	ज़िला	कुल मालिक	संयुक्त स्वामित्व	एकल स्वामित्व
1	शिमला	229	227	2
2	मण्डी	267	263	4
कुल		1847	496	490

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में छोटी जोतों की बहुतायत है। जोत का औसत आकार 0.0705 हेक्टेयर है। कुल 90 खसरों में से 99% का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से कम है, केवल 1% का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बीच है और केवल एक खसरे का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर से अधिक है जिसे परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है।

तालिका 8-8 जोत का आकार

वर्ग	स्वामित्व संख्या %
0 से 0.5 हेक्टेयर के बीच	99%
0.5 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बीच	1%
कुल	

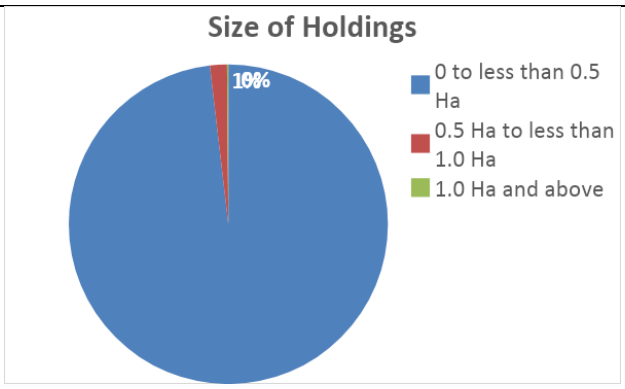

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

शिमला और मंडी जिलों में क्रमशः कुल 229 और 267 शीर्षक धारक हैं। सुन्नी परियोजना के लिए जिला शिमला से कुल 33 खसरे, जिनका कुल क्षेत्रफल 5-43-76 हेक्टेयर है और जिला मंडी से 57 खसरे, जिनका कुल क्षेत्रफल 3-67-23 हेक्टेयर है, का अधिग्रहण किया जा रहा है। केवल 3 घराट प्रभावित हो रहे हैं और प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी भी पीएएफ को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका दोनों जिलों में भूमि (ग्रामवार) का विस्तृत वितरण देती है:

तालिका 8-9 भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टयर)
1	शिमला	लूँसु	24	130	0	01-99-43
2		मूँगना	1	64	0	3-25-83
3		जैशी	4	24	1	00-16-41
4		भराढ़ा	3	2	1	00-00-76
5		मजरोग	1	9	0	00-01-33
शिमला में कुल			**33**	**229**	**2**	**5-43-76**
1	मंडी	भौरा	7	67	0	00-63-04
2		जकलीन	3	5	0	00-17-67
3		मांगन	1	1	0	00-08-98
4		फ़ाफ़न	12	51	0	01-16-46

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टयर)
5		परलोग	5	47	0	00-27-15
6		बेलुढाँक	14	59	1	00-44-87
7		खार्याली	15	37	0	00-89-06
मंडी में कुल			**57**	**267**	**1**	**3-67-23**
कुल			**90**	**496**	**3**	**9-10-99**

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम*

3.9 सम्पति नुक्सान की किस्मे

परियोजना के प्रयोजन के लिए, कुल स्वामित्व धारकों में से, 493 स्वामित्व धारक संपत्ति के रूप में भूमि खो रहे हैं, जबकि केवल 3 शीर्षक धारक भूमि और संरचना (घराट) दोनों खो रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान किसी भी मालिक को केवल संरचना खोते हुए नहीं पाया गया। प्रस्तावित अधिग्रहण से कोई भी पीएएफ विस्थापित नहीं होगा।

3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन

पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए सर्कल दरें राजस्व विभाग से नीचे उल्लिखित श्रेणियों के लिए प्राप्त की गई है

श्रेणी- I (0-25 मीटर) संपत्ति / भूमि

जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके किसी भी बिंदु पर सड़क से 25 मीटर की दूरी तक जमीन है।

श्रेणी- II (20% <आधार दर) (25-50 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- III (40% <आधार दर) (50-100 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- IV (50% <आधार दर) (100-1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- V (60% <आधार दर) (> 1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 1000 मीटर या उससे अधिक नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों से विभिन्न दूरी पर स्थित खेती और गैर-खेती वाली भूमि के प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए विभिन्न दरें उपलब्ध हैं। संबंधित पटवार सर्कल के तहत विभिन्न गांवों में खेती और गैर-खेती की जमीनों के मूल्य नीचे तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत सर्किल दरें भूमि की प्रति बिस्वा/ रुपये में हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रचलित दरों में उच्चतम हैं।

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम को पिछले तीन वर्षों में भूमि स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश एचपी एसआईएयू द्वारा प्रदान की गई सूची की तुलना में एकमात्र अपवाद उन मामलों में है, जहां भूमि मालिकों की मृत्यु हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि स्वामित्व का स्वचालित हस्तांतरण उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हो गया है। हालाँकि, स्वामित्व में इन परिवर्तनों को राजस्व विभाग के साथ आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया है।

कई वर्तमान जमींदारों ने उल्लेख किया है कि, उनकी बहनों की शादी के बाद, भाई प्रभावी रूप से भूमि का स्वामित्व ले लेते हैं क्योंकि वे इसकी सुरक्षा और कृषि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह भूमि उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसे और विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन पर खेती में लगी हुई हैं। हालाँकि, कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, इनमें से कोई भी हस्तांतरण आधिकारिक तौर पर राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

तालिका 8-10 1-04-2018 से 31-03-2019 तक परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षे० इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार क़ीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार क़ीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार क़ीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार क़ीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त					
1	मंडी	तलहाड	बिंदला	भौरा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	1532	1277	1226	1022	919	766	766	638	613	511
3		परलोग	परलोग	फ़ाफ़न	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288
4		परलोग		परलोग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288
5		परलोग		बेलुढाँक	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षे० इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार क़ीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार क़ीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार क़ीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार क़ीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त					
						अन्य सड़क	583	486	467	389	350	292	292	243	233	194
6		परलोग	शौट	खार्याली	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	558	465	446	372	335	279	279	232	223	186
7		सर त्योला	सर त्योला	जकलीन	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	1122	935	898	748	673	561	561	468	449	374
8	Shimla	करयाली	भराढ़ा	भराढ़ा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376
9		करयाली		जैशी	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376
10		कांगल	मोगरा	मजरोग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	857	714	685	571	514	428	428	357	343	286

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षे० इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार क़ीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार क़ीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार क़ीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार क़ीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त					
						राज्य राजमार्ग	714	595	571	476	428	357	357	298	286	238
						अन्य सड़क	571	476	457	381	343	286	286	238	228	190
12		चेबड़ी	चेबड़ी	लूँसु	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564
						राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470
						अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से शिमला और मंडी जिलों के 12 गांवों के 496 लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्येक गांव में अधिग्रहण से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 9-1 परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs)

जिले का नाम	पंचायत का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम	शीर्षक धारकों की कुल संख्या	खसरा का कुल क्षेत्रफल	संपर्क किए गये भू स्वामी
शिमला	चेबड़ी	1.	लूँसु	130	24	54
		2.	मूँगना	64	1	36
	भराढ़ा	3.	जैशी	24	4	18
		4.	भराढ़ा	2	3	1
	मोगरा	5.	मजरोग	9	1	4
मंडी	बिंदला	6.	भौरा	67	7	28
	सरत्योला	7.	जकलीन	5	3	3
		8.	मांगन	1	1	1
	परलोग	9.	फ़ाफ़न	51	12	22
		10.	परलोग	47	5	32
		11.	बेलुढाँक	59	14	26
	शौट	12.	खार्याली	37	15	26
कुल				496	90	251

**स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम*

4.1.1 किराएदार / क़ब्ज़ाधारी

सर्वेक्षण के दौरान अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई भी किरायेदार नही पाया गया सभी प्रभावित परिवार अपने परिवारों के साथ रहने के लिए घरों का उपयोग करते हैं और स्वयं द्वारा खेती की करते है

4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

एसटी श्रेणी में आने वाले कोई भी प्रभावित परिवार या पारंपरिक वनवासी नहीं हैं, जिन्होंने अपना कोई वन अधिकार खो दिया है।

4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

साक्षात्कार और एफजीडी के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीणों की निर्भरता पास की वन भूमि पर थी, हालांकि ऐसी कोई अतिरिक्त वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि आवंटित की गई हो और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन हो

4.1.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

अधिग्रहण के तहत प्रस्तावित कुल 9-10-99 हेक्टेयर भूमि में से 4-87-75 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और केवल 2-85-97 हेक्टेयर (18%) भूमि सिंचित होती है। इस कृषि योग्य भूमि के सभी मालिकों ने साझा किया कि वे अधिग्रहण से पहले 3 साल से अधिक समय से कृषि से अपनी आजीविका का कुछ हिस्सा कमा रहे हैं।

4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एसआईए टीम द्वारा पीएपी के पास उपलब्ध संपत्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई थी, जैसे वाहन, घरेलू उपकरण, उनकी भूमि पर उपयोगिताएं, पशुधन, पेड़, आदि। उपलब्ध संपत्तियों की स्थिति न केवल क्षेत्र में जीवन स्तर को इंगित करती है, बल्कि पीएपी की सामर्थ्य का एक संकेतक भी। नीचे विभिन्न उपलब्ध परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें 251 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया था जो परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं:

तालिका 9-2 उत्पादक आस्तियों की सूची

क्र स	वर्ग	विवरण	पीएपी संख्या
1.	वाहन	कार	13
2.		बाइक / स्कूटर	17
3.	घरेलू उपकरण	फ्रिज	213
4.		वॉशिंग मशीन	45
5.		पंखा	168
6.		एयर कंडीशनर	0
7.		रूम हीटर	112
8.		टेबल फैन	13
9.		टीवी	248
10.		रेडियो	43
11.		कंप्यूटर	0
12.		मोबाइल फोन	243
13.		माइक्रोवेव ओवन	4
14.		गीज़र	8

**स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण*

तालिका 9-3 भूमि पर आस्तियों की सूची

क्र स	भूमि पर आस्तिया	प्रभाव के अधीन (संख्या .)
1.	फलों वाले पेड़ों की संख्या	43
2.	गैर-फल देने वाले पेड़ों की संख्या	23
3.	गौशाला	0
4.	घराट	3
5.	पानी की टंकी	0
6.	स्टोर	0
7.	पानी की पाइपलाइन	0
8.	बिजली के खम्बे	0
9.	शौचालय/स्नानघर	0
10.	रसोई	0

**स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण*

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में पीएपी के स्वामित्व वाले सभी पशुधन को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 9-4 पशुधन की सूची

पशुधन	संख्या
गाय	211
भैंस	3
भेड़	24
बकरी	18
पोल्ट्री पक्षी	22
बैल / बुल	18
खच्चर	4

**स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण*

सर्वेक्षण के अनुसार , निजी भूमि के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण भूमि जहां ग्रामीणों के पास आर्थिक और सामाजिक निर्भरता थी, तथा अर्जन के तहत आ रही थी वह वन भूमि और सतलुज नदी के तट पर श्मशान भूमि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि है ।

5 सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 7 पंचायतों में कुल जनसंख्या जहां आगामी सुन्नी एचईपी के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है, 8242 है और घरों की कुल संख्या 1713 है। इन गांवों में कुल जनसंख्या में से 4171 (50.60%) हैं महिलाएं और 4071 (49.40%) पुरुष हैं। परिवारों और जनसंख्या का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 10-1 परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण

ज़िला	क्रमांक	पंचायत	गाँव की संख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
शिमला	1	चेबड़ी	6	659	640	1299	278
शिमला	2	भराढ़ा	5	562	530	1092	292
शिमला	3	मोगरा	5	528	551	1079	234
मंडी	4	बिंदला	6	513	494	1007	172
मंडी	5	परलोग	9	348	302	650	156
मंडी	6	सरत्योला	13	435	411	846	161
मंडी	7	शौट	12	1126	1143	2269	420
कुल जोड़			56	4171	4071	8242	1713

**स्रोत: जनगणना, 2011*

5.1.1 लिंगानुपात

2011 की जनगणना के अनुसार, 7 पंचायतों में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 968 महिलाएं है, जो राज्य के औसत 972 और राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात 986 से थोड़ा कम है। जबकि इन पंचायतों में बाल लिंग अनुपात 1041 है जो राज्य के बाल लिंग अनुपात 909 और राज्य के ग्रामीण औसत 986 से अधिक है। नीचे दिए गए बच्चों की आबादी का एक पंचायत वार विस्तृत वितरण है:

तालिका 10-2 परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या

जिला	क्रमांक	पंचायत	गांवों की संख्या	पुरुष	महिलाएं	कुल
शिमला	1.	चेबड़ी	6	82	64	146
शिमला	2.	भराढ़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं			
शिमला	3.	मोगरा	5	47	64	111
मंडी	4.	बिंदला	6	76	72	148
मंडी	5.	परलोग	9	41	35	76
मंडी	6.	सरत्योला	13	45	47	92
मंडी	7.	शौट	12	138	165	303
कुल जोड़			51	429	447	876

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

5.1.2 सामाजिक समूह

जनगणना 2011 के अनुसार, 9 प्रभावित पंचायतों में कुल 1112 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनमें से 576 पुरुष और 536 महिलाएँ हैं। इन पंचायतों में कुल 8 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जिनमें से 4 पुरुष और 4 महिलाएँ हैं।

तालिका 10-3 परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

ज़िला	क्र० स०	पंचायत	गाँव की संख्या	अनु० जा० पुरुष	अनु० जा० महिलाएँ	अनु० जा० जनसंख्या	अनु० ज०जा० पुरुष	अनु० ज०जा० महिलाएँ	अनु० ज०जा० जनसंख्या
शिमला	1	चेबड़ी	6	48	46	94	0	0	0
शिमला	2	भराढ़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं						
शिमला	3	मोगरा	5	52	50	102	0	0	0
मंडी	4	बिंदला	6	201	186	387	0	0	0
मंडी	5	परलोग	9	98	86	184	0	0	0
मंडी	6	सरत्योला	13	7	7	14	4	4	8
मंडी	7	शौट	12	170	161	331	0	0	0
कुल जोड़			**51**	**576**	**536**	**1112**	**4**	**4**	**8**

**स्रोत: जनगणना, 2011*

5.1.3 साक्षरता

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% है और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण की साक्षरता दर 82% है। परियोजना प्रभावित पंचायतों की कुल जनसंख्या 7150 में से 5014 (70.12%) जनसंख्या साक्षर है। इस 5014 साक्षर आबादी में से 2819 (56.25%) पुरुष और 2195 (43.77%) महिलाएं हैं। शेष 2136 निरक्षर आबादी में 790 (36.98%) पुरुष और 1346 (63.01%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में साक्षरता स्थिति का गाँववार विस्तृत वितरण दिया गया है:

तालिका 10-4 परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति

ज़िला	क्र स	पंचायत	गाँव की संख्या	साक्षर			निरक्षर		
				पुरुष	महिलाएँ	कुल	पुरुष	महिलाएँ	कुल
शिमला	1	चेबड़ी	6	531	420	951	128	220	348
शिमला	2	भराढ़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं						
शिमला	3	मोगरा	5	437	363	800	91	188	279
मंडी	4	बिंदला	6	400	319	719	113	175	288
मंडी	5	परलोग	9	278	177	455	70	125	195
मंडी	6	सरत्योला	13	329	240	569	106	171	277
मंडी	7	शौट	12	844	676	1520	282	467	749
कुल जोड़			**51**	**2819**	**2195**	**5014**	**790**	**1346**	**2136**

**स्रोत: जनगणना, 2011*

5.2 आर्थिक प्रोफ़ाइल

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना पंचायतों में कुल 7150 लोगों में से 4691 (65.60%) कुल कार्यबल (मुख्य + सीमांत) है। 4691 के इस कार्यबल में से 2430 (51.80%) पुरुष और 2261 (48.19%) महिलाएं हैं। परियोजना क्षेत्र में पंचायतवार कार्यबल तालिका 5-5 में दर्शाया गया है।

5.3 आय और गरीबी स्तर

परियोजना क्षेत्र में आय का मुख्य स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 496 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 111 की वार्षिक घरेलू आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लगभग 48 लोगों की घरेलू आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना के बीच है। उनमें से 22 की घरेलू आय सालाना 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है, लगभग 15 की सालाना आय 10 लाख से 12.5 लाख के बीच है।

तालिका 10-5 परियोजना क्षेत्र कार्य बल

ज़िला	क्र स	पंचायत	गाँव की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल कार्यबल		
					पुरुष	महिलायें	कुल
शिमला	1	चेबड़ी	6	1299	429	417	846
शिमला	2	भराढ़ा	पंचायत का गठन 2011 के बाद हुआ है इसलिए जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं				
शिमला	3	मोगरा	5	1079	362	372	734
मंडी	4	बिंदला	6	1007	349	321	670
मंडी	5	परलोग	9	650	233	192	425
मंडी	6	सरत्योला	13	846	270	241	511
मंडी	7	शौट	12	2269	787	718	1505
कुल जोड़			51	7150	2430	2261	4691

**स्रोत: जनगणना, 2011*

5.4 दुर्बल समूह

दुर्बल समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर होंगे (जैसे कि जहां विकलांगता, बीमारी, उम्र, लिंग या किसी अन्य विशेषता के कारणों से वयस्क घर के लिए एक पर्याप्त आजीविका प्रदान करने में असमर्थ हैं), और ऐसे समूह किसी भी उपलब्ध स्रोत से पर्याप्त आय प्रदान करने के लिए जिनके पास संसाधन बंदोबस्त अपर्याप्त हैं ।

भेदभाव का सामना करने वाले संवेदनशील समूहों में शामिल हैं- महिलाएं, वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोग आदि। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई कमजोरियों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक पितृसत्तात्मक समाज में, विकलांग महिलाओं को एक महिला होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

5.5 भूमि उपयोग और आजीविका

अधिग्रहण के तहत कुल 09-10-99 हेक्टेयर भूमि में से, 4-87-75 भूमि पर खेती की जाती है और 4-13-24 हेक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जाती है। अधिग्रहण के तहत कुल भूमि का केवल 2-85-97 भाग सिंचित है और शेष 2-01-78 हेक्टेयर असिंचित है। नीचे दी गई तालिका में अधिग्रहण के तहत खेती/असिंचित और सिंचित/असिंचित भूमि का जिलेवार वितरण दिया गया है:

तालिका 10-6 परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग

क्रम संख्या	जिला	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	खेती के अंतर्गत भूमि	खेती रहित भूमि	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	2-13-99	0-74-31	2-88-30	2-55-46	5-43-76
2	मंडी	0-71-98	1-27-47	1-99-45	1-67-78	3-67-23
	कुल	2-85-97	2-01-78	4-87-75	5-43-24	9-10-99

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

किसी अर्थव्यवस्था का फसल पैटर्न एक निश्चित समय पर किसानों द्वारा विभिन्न फसलों को दिए जाने वाले सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। सीमित भूमि संसाधनों के साथ, आर्थिक, संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी कारकों में परिवर्तन के अनुसार क्षेत्र में फसल पैटर्न (फसल-संयोजन) बदल जाता है। परियोजना क्षेत्र की कुल PAP में से, लगभग 91% अपनी भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं जो कि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इन 91% में से, लगभग 93% सीजन के अनुसार विभिन्न फसलें उगाते है । रबी सीजन (अक्टूबर से फरवरी) की प्रमुख फसलें गेहूं और तेल के बीज हैं। खरीफ के मौसम (जुलाई से सितंबर) में मक्का, दालें, तेल के बीज और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। नीचे दिए गए विभिन्न मौसमों में PAP द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का विवरण दिया गया है:

तालिका 10-7 परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें

क्र.सं.	मौसम	फसल का नाम	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	फसल 5	फसल 6	फसल 7	फसल 8	फसल 9
			परियोजना से प्रभावित शामिल लोगो का %								
कृषि											
1.	रब्बी	गेंहू/अनाज	94.64%	77.16%	4.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2.		सब्जिया	0.69%	1.56%	7.96%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.		अन्य खाद्य फसल	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.		मक्का	0.00%	0.52%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5.		दालें	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.		तेल के बीज	0.00%	0.87%	20.24%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.	खरीफ	गेंहू/अनाज	0.00%	0.17%	2.60%	0.61%	0.69%	0.78%	0.00%	0.09%	0.00%
8.		दालें	0.00%	0.87%	1.82%	30.36%	22.75%	4.76%	0.61%	0.52%	0.26%
9.		तेल के बीज	0.09%	0.09%	0.61%	4.50%	7.53%	11.68%	0.95%	1.38%	0.26%
10		सब्जिया	0.00%	0.00%	0.43%	5.62%	4.33%	4.50%	1.64%	1.64%	0.35%
11		मक्का	0.00%	9.95%	41.44%	28.20%	3.03%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
12		मसाले	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%
13	ज़ैद	फलिया	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14		सब्जिया	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15.		तेल के बीज	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
बागवानी											
1.	बाग़वानी	सेब	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.52%	0.78%	0.78%	0.17%	0.00%
2.		पालम	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.35%
3.		अमरुद	0.00%	0.00%	0.09%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.		अनार	0.00%	0.00%	0.43%	0.09%	0.00%	0.17%	0.87%	0.43%	0.09%
5.		आम	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.09%	0.09%	0.17%	0.52%	0.35%
6.		नींबू	0.00%	0.00%	0.61%	0.69%	0.61%	0.09%	0.35%	0.35%	0.52%
7.		आड़ू	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण											

आकृति 10-1 परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलें

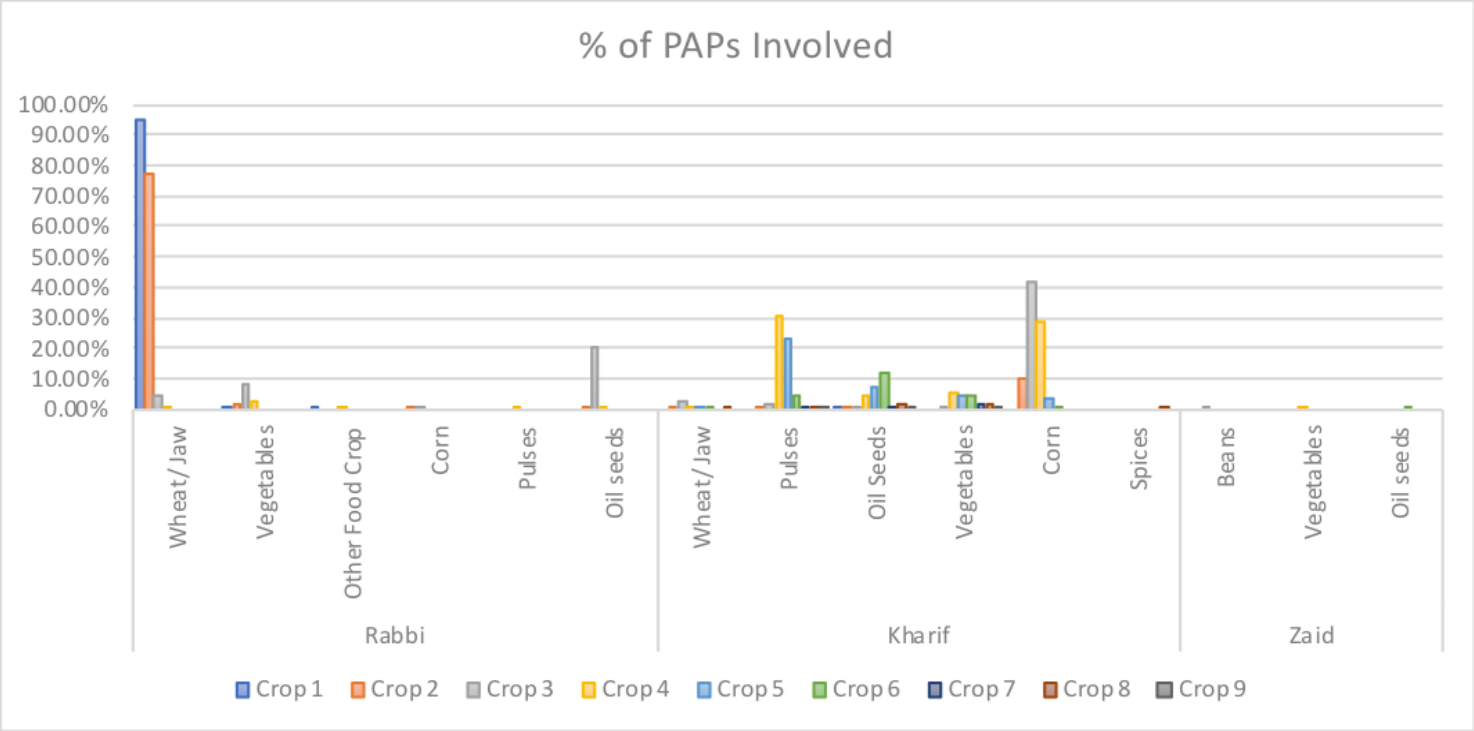

**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

1% से भी कम पीएपी बागवानी में कार्यरत है जिसमे मुख्य फल अमरुद, पलम, अनार और आम है।

5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

कुल 4691 उपलब्ध कार्यबल में से, 4602 काम कर रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्य में संलिप्त है है। 503 सरकारी कर्मचारी हैं, 1364 MGNREGA के अंतर्गत काम करते हैं, 972 निजी नौकरी कर रहे हैं, 228 दिहाड़ी मजदूर हैं और 251 कुछ अन्य काम कर रहे हैं जिनमें दुकानदार, ड्राइवर, विक्रेता, निर्माण श्रमिक आदि शामिल हैं।

आकृति 10-2 बागवानी कार्यों से संबंधित पीएपी

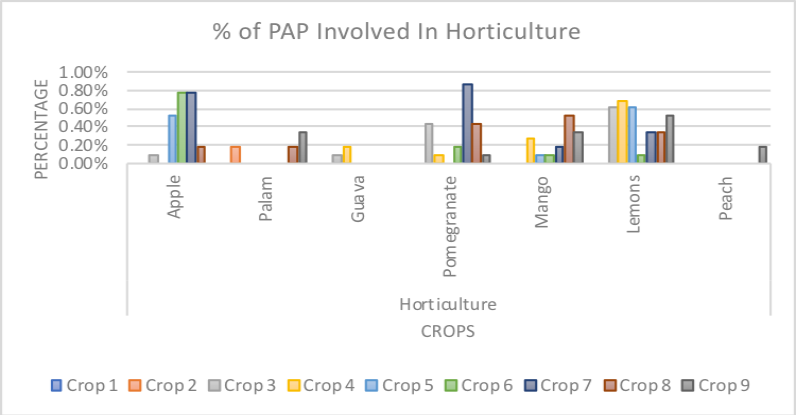

**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

कई सामाजिक और प्राकृतिक कारक जैसे शिक्षा, लिंगानुपात, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कृषि-जलवायु परिस्थितियों, एक क्षेत्र की संस्थागत स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क सहित आजीविका के विकल्पों और विकल्पों की उपलब्धता स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं।

एक क्षेत्र की कृषि संरचना भूमि के स्वामित्व और संचालन के संबंध में किसानों की विभिन्न श्रेणी की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करती है। चूंकि भूमि पीएपी की एक महत्वपूर्ण आय पैदा करने वाली संपत्ति के रूप में बनती है, भूमि धारण पद्धति के कारण कृषि संरचना में बदलाव, सापेक्ष समृद्धि या परियोजना गांवों के विभिन्न वर्गों के ह्रास को दर्शाता है।

चूंकि अधिकांश लोग किसान हैं, इसलिए जलवायु परिस्थितियों और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिस्थितियां कृषि पद्धति के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक प्रभाव हैं। मानव गतिविधि पर जलवायु के प्रभाव इतने महत्वपूर्ण और विविध हैं कि किसानों ने जान-बूझकर इसे अपने अस्तित्व के लिए जानने और समझने की कोशिश की है।

ऐसी स्थिति में जब भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और विकास प्रक्रिया कृषि से गैर-कृषि तक बढ़ती जनसंख्या के अनुपातिक हस्तांतरण का कारण नहीं बनती है, तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों और परिवारों की पूर्ण संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी । इससे विकास के दौरान सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि होगी। वास्तव में, दी गई संरचना उस क्षेत्र के लिए एक पूर्व शर्त निर्धारित करती है जिस क्षेत्र में उत्पादक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दर भूमि धारण की मौजूदा संरचना से प्रभावित है। बदले में, संरचना ही प्रौद्योगिकी के प्रभाव में रूपांतरित हो जाती है।

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में, भूमि स्वामित्व वितरण एक विशिष्ट चरित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें किसानों का एक बड़ा हिस्सा सीमांत है और बहुत कम लोगों को किसी भी मानक द्वारा बड़ा माना जा सकता है। वितरण एक तिरछा पैटर्न का अनुसरण करता है। इस तरह का एक पैटर्न विभिन्न स्तरों के बीच भूमि जोतों के असमान वितरण की तस्वीर देता है और उच्च स्तर की असमानता को इंगित करता है। हिमाचल प्रदेश की कृषि संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता छोटे स्तर के किसान की निरंतरता है, जो संख्या और क्षेत्र दोनों में है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि कृषि विकास ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है, जैसे कि सिंचाई का प्रसार और गुणवत्ता, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की सीमा और ग्रामीण सड़कों का प्रसार। मानव कौशल के स्तर के साथ, अच्छा बुनियादी ढांचा न केवल उत्पादन में जाने वाले मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाता है और इसलिए विकास में मदद करता है, यह अधिक निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करता है, जिससे आगे वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

5.8 रिश्तेदारी पद्धति

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पारित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी "देवभूमि" में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों / पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी इच्छा अन्यथा नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम राजस्व विभाग के साथ अद्यतन नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व अपने बच्चों / पत्नी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के कई वर्तमान भूस्वामियों ने साझा किया कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है और भूमि को विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन की खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन

परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित संगठन की उपस्थिति है :

प्रशासनिक संगठन

1. पंचायत
2. पटवार कार्यालय
3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
4. बिजली विभाग
5. कृषि विभाग
6. लोक निर्माण विभाग (PWD)

राजनीतिक संगठन

1. भाजपा
2. कांग्रेस
3. सीपीएम

समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन

1. मन्दिर
2. महिला मन्डल
    a. जागृति महिला मन्डल
    b. दुर्गा महिला मन्डल जैशी
    c. जागृती महिला मन्डल बेलुधांक
3. युवा जागरण मंच और युवक मण्डल
    a. युवक मन्डल जैशी
    b. युवक मन्डल बेलुधांक
    c. युवक मन्डल चेबरी

5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने के लिए, हमें दो जिलों यानी शिमला और मंडी के इतिहास और गतिशीलता को समझने की आवश्यकता है।

जिला शिमला

वर्तमान शिमला जिले में 19 छोटे पूर्ववर्ती शिमला पहाड़ी राज्य शामिल हैं जिन्हें 1948 में हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और महासू जिले का हिस्सा बनाया गया था। इन राज्यों के अलावा, पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और कोटखाई, कोटगढ़, शिमला शहर और प्रांतीय सरकार के जुतोग छावनी के क्षेत्र भी अलग-अलग चरणों में स्वतंत्रता के बाद जिले में शामिल किए गए थे।

19 वीं शताब्दी की शुरुआत में शिमला जिले की लगभग सभी रियासतें गोरखा आक्रमणों के अधीन थीं और वर्ष 1815 में आजाद हुई थीं जब गोरखा अंग्रेजों से हार गए थे और नेपाल भाग गए थे। नतीजतन, संबंधित शासकों के क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के तहत उन्हें बहाल किए गए थे। चूंकि सभी राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से छोटे आकार के थे, इसलिए ये पंजाब हिल्स राज्यों के तत्कालीन अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में थे।

ये शासक अपने राज्यों के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे। लगभग सभी राज्यों की स्थापना 8 वीं शताब्दी के बाद मैदानी इलाकों के साहसी लोगों द्वारा की गई थी। निकटतम शहरी स्थानीय निकाय यानी सुन्नी को 1991 की जनगणना में नारकंडा, जुब्बल, कोटभाई और चौपाल के साथ अधिसूचित क्षेत्र समितियों के रूप में बनाया गया था।

मण्डी ज़िला

15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन पर मंडी और सुकेत की तत्कालीन रियासतों के समामेलन से मंडी जिला का गठन हुआ था। डॉ0 जे हचिंसन और डॉ0 वोगेल ने राज्यों के राजनीतिक इतिहास में अधिकांश राज्यों की तरह अनुमान लगाया। मंडी इसकी राजधानी से अपना नाम लेती है जो ब्यास के बाएं किनारे पर स्थित है। मंडी एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ बाजार है और यह संभवतः संस्कृत शब्द मंडपिका 'के साथ जुड़ा हो सकता है जिसका अर्थ एक खुला हॉल या शेड है और इसे संस्कृत के मूल शब्द' मंड 'से लिया गया है जिसका अर्थ है सजाना या वितरित करना।

सुन्नी खैरा गाँव (बांध स्थल) से लगभग 25 किमी दूर स्थित परियोजना क्षेत्र की निकटतम नगर पालिका है। राज्य की राजधानी शिमला परियोजना क्षेत्र से 44 किमी दूर स्थित है। क्षेत्र एमडीआर 22 के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो नदी के समानांतर चलता है।

5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

परियोजना क्षेत्र निचले हिमालयी बेल्ट की पहाड़ी स्थलाकृति पर स्थित है। इस क्षेत्र में समृद्ध हरे वातावरण के साथ पर्णपाती देवदार के जंगल और ग्रामीण पृष्ठभूमि है। परियोजना क्षेत्र की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। निचले हिमालयी बेल्ट में होने के कारण, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में न तो अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है और न ही सर्दियों का। औसत वार्षिक तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस से लेकर चरम गर्मियों के तापमान तक लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दौरान चरम न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों की अच्छी मात्रा है। सर्वेक्षणों के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों जैसे तेंदुए, जंगली जानवर, हिमालयी मोनाल, लाल जंगल फाउल (जंगली मुर्ग़ा), लोमड़ी, खरगोश आदि दिखाई देते हैं। राज्य को सतलुज, स्वच्छ वायु और घने वन आवरण से पानी के पर्याप्त संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

6 सामाजिक प्रभाव

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजो की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, एसआइए सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (IOCPGएसआइए 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा करने का एक पारंपरिक तरीका निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तनों के रूप में है:

- लोगों की जीवनशैली - यानी, वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और दिन-प्रतिदिन एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं;
- उनकी संस्कृति - अर्थात्, उनकी साझा मान्यताएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;
- उनका समुदाय - इसका सामंजस्य, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;
- उनकी राजनीतिक प्रणाली - लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने की हद तक, लोकतांत्रिकरण का स्तर और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए संसाधन;
- उनका पर्यावरण - हवा और पानी की गुणवत्ता का लोग उपयोग करते हैं; भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता वे खाते हैं; खतरे या जोखिम, धूल और शोर का स्तर जो वे सामने आते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी भौतिक सुरक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण;

- उनका स्वास्थ्य और भलाई - स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई की स्थिति है और न केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति;
- उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार - विशेष रूप से चाहे लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हों, या व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करते हैं जिसमें उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- उनके भय और आकांक्षाएँ - उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी धारणाएँ, उनके समुदाय के भविष्य के बारे में उनकी आशंकाएँ, और उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएँ;
- एसआइए के संचालन की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रस्तावित अर्जन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था। प्रभावों की पहचान करने की रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन
चरण 2: विभिन्न पीएपी की पहचान
चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी
चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और एफजीडी का संचालन चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

जल-विद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन से आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यह संपत्ति के अधिकार और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और आशंका पैदा कर सकता है। विकास परियोजनाएं अलग-अलग समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं। कई लोगों को फायदा होता है जब कुछ खोते है । अक्सर, प्रभाव दुर्बल समूहों के लिए जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, विधवा, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति, BPL परिवार, आरक्षित श्रेणियों के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति, के लिए विशेष रूप से गंभीर होते हैं।

क्षेत्र में, लगने वाले सुन्नी जल विद्युत परियोजना परियोजना के लिए लोगों के मन में एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी भूमि के आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया

जाए और केवल 8% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और माध्यमिक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार में वृद्धि, व्यवसाय के अवसर के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही, उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से कम नहीं होने पर परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि सहित दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है इस आशंका के बारे में चिंताएं थीं । इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, पीएएफ की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वितिय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार ठीक से विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित नही है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

कुल 3 घराट निजी संरचनाओं के रूप में अधिग्रहण के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण से कुछ कुहल भी प्रभावित होंगे।

बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के विवरण पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है। पीएपी के साथ-साथ ग्रामीण भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अधिग्रहण करने वाली संस्था उन्हें कैसे विकल्प प्रदान करेगी ताकि इससे उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न आए। ग्रामीणों को मवेशियों के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए निकटवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वे वस्तुओं की खपत में वृद्धि करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने इस परियोजना के लिए श्रम के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा,

भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के दौरान, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण कम और बेहतर जीवन का माहौल बना सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में हुई वृद्धि के कारण लोगों को बदले हुए जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में अध्ययन द्वारा पाई गई विभिन्न संभावित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का सार नीचे दिया गया है:

तालिका 11-1 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
पूर्व-निर्माण चरण	• क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। • आगामी परिवर्तनों जैसे जल स्तर में वृद्धि, आर्द्रता, भूस्खलन में वृद्धि आदि। का संदेह और भय • श्मशान घाट का नुकसान • आम संपत्ति के नुकसान जैसे कि पीने के पानी के संसाधन, घाट, आदि का जीवन की	• आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतें बढ़ सकती हैं। • पीएएफ की वित्तीय स्थिति में अचानक आए प्रतिकर के कारण, उनकी क्रय क्षमता बदल सकती है और इससे वितिय कुप्रबंधन का जोखिम भी बढ़ जाएगा। • बुनियादी ढांचे के नुकसान जैसे कि रोपवे, मौजूदा	आगामी परियोजना के कारण लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च पैटर्न में बदलाव के साथ, सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा।

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	सिंचाई सुविधाएं आदि परियोजना प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। • वन भूमि का अर्जन ग्रामीणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि उन पर पास चारा और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए उच्च निर्भरता है।	
निर्माण चरण	• निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रवासन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा । • प्रवासन से मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों पर भी दबाव बढ़ा सकता है। • सामाजिक विभाजन उन लोगों के बीच पैदा हो सकता है जो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और जो लोग अप्रभावित रहते हैं। • आगामी परियोजना की वजह से क्षेत्र के समग्र विकास के कारण निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। • आंतरिक प्रवासन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो सकती है।	• स्थानीय लोगों और पीएएफ के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि। • स्थानीय लोगों के पास प्रयोज्य आय में वृद्धि। • आर्थिक गतिविधियों और खपत पैटर्न में वृद्धि। • आंतरिक प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ होगा।	इन-माइग्रेशन के कारण लोग दूसरे राज्यों से आएंगे और अपनी संस्कृति, विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, कपड़ों के पैटर्न आदि को लेकर आएंगे, जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और स्थानीय आवासों की परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं। .

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	• बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है। • यह क्षेत्र निर्माण, खदान आदि के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों में वृद्धि कर सकता है। • निर्माण चरण के दौरान भारी परिवहन से आसपास के गांवों में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है।		
निर्माण के बाद का चरण	• निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और यह क्षेत्र बेहतर जीवन के माहौल का गवाह बन सकता है। • निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।	निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है। निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के बाहर प्रवास के कारण क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट देख सकता है। फंड के कारण LADA क्षेत्र निर्माण चरण के बाद भी बुनियादी ढांचे के विकास में और सुधार देख सकता है।	सांस्कृतिक स्थिरता शायद इस चरण के दौरान देखी जाए .

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इस परियोजना में यह सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से पाया गया है कि लोगों को उम्मीद है कि भूमि अर्जन से उन्हें बेहतर मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा, जो उन्हें अपनी भलाई में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस

किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपूरणीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभावों, संपत्ति का प्रकार और स्वामित्व, प्रभाव का प्रकार और इसकी परिमाण और प्रभावित संपत्ति के विवरण की एक सूची उत्पन्न करना था। प्रभावों के प्रमुख निष्कर्षों और परिमाणों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई है।

6.3.1 भूमि मालिको पर प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना में डंपिंग क्षेत्र के लिए भूमि की आवश्यकता है, अधिग्रहण के तहत 3 घराट संरचनाएं आ रही हैं। 96% ने अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर अलग-अलग तरह से कृषि/बागवानी करने की सूचना दी है। प्रत्याशित प्रभाव भूमि का नुकसान होगा जो प्रभावित परिवारों को उनकी कृषि आय से वंचित कर देगा और जीवन के तरीके को बदल देगा। इसके अलावा, इस परियोजना में निर्माण कार्य शामिल है जो वायु और जल प्रदूषण के कारण निकटवर्ती भूमि मालिकों और अन्य लोगों को प्रभावित करेगा।

6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव

अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर प्राथमिक आजीविका गतिविधि कृषि और बागवानी है। हालाँकि कोई भी हितधारक अपने मुख्य आय स्रोत के रूप में कृषि पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश हितधारकों के परिवार का कम से कम एक सदस्य सेवा क्षेत्र में काम करता है जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। हालाँकि, कुल भूमि मालिकों में से 211 ने बताया कि कृषि उनकी कुल पारिवारिक आय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीएएफ की आय के विवरण पर पहले ही उपरोक्त अध्याय में चर्चा की जा चुकी है

साथ ही, सर्वेक्षण के दौरान कोई किरायेदार/पट्टेदार नहीं मिला। हितधारकों ने बताया कि चूंकि भूमि का आकार छोटा है, इसलिए सभी कृषि/बागवानी कार्य परिवार द्वारा ही किए जाते हैं। मौसमी कृषि श्रमिकों को भी अल्प अवधि के लिए नियोजित किया जाता है लेकिन यह श्रमिक अस्थायी होता है और अक्सर पलायन कर जाता है।

6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

6.3.3.1 निजी संपत्ति का नुकसान

प्रस्तावित निर्माण गतिविधि या जलमग्नता के कारण नदी चैनल के पास स्थित कोई भी आवासीय संरचना प्रभावित नहीं होगी। भूमि के अलावा, कुल 3 घराट भी स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में अधिग्रहण के अंतर्गत आ रहे हैं।

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण नष्ट होने वाली आवासीय संरचनाओं और उससे जुड़ी संपत्तियों का गांववार विवरण दिया गया है।

गौरतलब है कि फलदार और गैरफलदार पेड़ों के आंकड़े उत्तरदाताओं के अनुसार हैं। हालाँकि, पेड़ों की वास्तविक संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का आकलन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित प्रभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के वन क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए अलग से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, परियोजना के अंतर्गत आने वाली कुल निजी भूमि 9-10-99 हेक्टेयर है। उत्तरदाताओं में से कई ने यह भी अनुमान लगाया कि जलाशय निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण आर्द्रता में भी वृद्धि होगी, जल जनित रोगों का खतरा, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल प्रदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात भारी वाहनों का आवागमन आदि में वृद्धि होगी ।

6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

सामुदायिक स्वामित्व वाली संपत्ति (वनभूमि, जल निकाय, चरागाह भूमि, घाट, श्मशान आदि) तक पहुंच की हानि की अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए माना जाता है और उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते । लेकिन इसका अभाव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

तालिका 11-2 संरचनाओं की हानि

ज़िला	गाँव	आवासीय संरचनाएँ	स्वतंत्र शौचालय संरचनाएं	स्वतंत्र रसोई संरचनाएं	गौशाला	घराट
शिमला	लूँसु	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
शिमला	मूँगना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

ज़िला	गाँव	आवासीय संरचनाएँ	स्वतंत्र शौचालय संरचनाएं	स्वतंत्र रसोई संरचनाएं	गौशाला	घराट
शिमला	जैशी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
शिमला	भराढ़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
शिमला	मजरोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	भौरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	जकलीन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	मांगन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	फ़ाफ़न	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	परलोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मंडी	बेलुढाँक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
मंडी	खार्याली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल						**3**

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

चूंकि भूमि का अर्जन नदी के किनारे रैखिक रूप से हो रहा है, इसलिए निजी भूमि के अलावा दोनों किनारों पर निकटवर्ती वन क्षेत्र भी परियोजना के तहत आ रहा है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों को ग्रामीणों द्वारा चराई के मैदान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मोगरा पंचायत में वनों पर निर्भरता सबसे अधिक पाई गई।

इसके अलावा, निर्माण चरण के दौरान लोगों, सामग्री, उपकरण और प्रवासन में वृद्धि होगी जो उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, इसलिए इसे पहले से मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट है की प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सार्वजनिक उपयोगिताओं / सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ती आर्द्रता, जल जनित रोगों की चपेट में आने, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाएगा ।

उत्तरदाताओं को स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना के बारे में भी आशंका थी। उन्होंने कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों

में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव

लिंग समानता: भूमि के प्रस्तावित अर्जन के संभावित प्रभावों में से एक भूमि की हानि के कारण परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, तो भी वे आजीविका कमाने के लिए गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। संभावित रूप से एक और प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति का ह्रास है क्योंकि उनमें से कई का भूमि पर कागजों पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए वे भूमि-क्षति के प्रतिकर के लिए योग्य नहीं होंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीएपी की श्रेणी में आते हैं।

चूंकि परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, आजीविका गतिविधियों का एक स्रोत भूमि पर निर्भर है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि घर की महिलाएं भी पुरुषों के साथ क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को अंजाम देने में भाग लेती हैं। कृषि के अलावा, दिन के दौरान महिलाएं अन्य गतिविधियों जैसे मवेशियों और मुर्गी पालन, घर के लिए मवेशियों का चारा और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना आदि में अधिक शामिल पाई गईं। हालांकि ये गतिविधियां महिलाओं की आर्थिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, किसी भी घर में इसकी मात्रा निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

6.4 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

प्रभावित भूस्वामियों के साथ परामर्श अनैच्छिक पुनर्वास के विषय में मुद्दों के समाधान का प्रारंभिक बिंदु था, इस परियोजना से प्रभावित लोगों को भूमि अर्जन के कारण उनके नुकसान के बारे में आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं ने साझा किया कि सुन्नी जल विद्युत परियोजना गतिविधियों के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे। इनमें परियोजना के भीतर और अग्रामी व अधोग्रामी संबंधों के दायरे में रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि शामिल है। उत्तरदाताओं के अनुसार भूमि के मूल्य में वृद्धि एक और बड़ी सकारात्मक बात है। उनमें से अधिकांश का मानना था कि यह व्यापार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश पैदा करेगा। इसके अलावा, उनमें से कुछ को उम्मीद है कि एक बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण औसत वाहनों की गति में वृद्धि होगी और परिवहन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी। अधिकांश पीएपी समग्र विकास के बारे में भी

सकारात्मक थे, विशेष रूप से अवसंरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक) जो आगामी जल विद्युत परियोजना के कारण परियोजना गांवों में होंगे।

उत्तरदाताओं को कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता लग रही है इनमें से मुख्य भूमि की हानि थी। यह अपने आप में उनकी आजीविका, जीवन के मार्ग और सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। अगला प्रभाव राज्य के विभिन्न हिस्सों से या अलग-अलग राज्यों से प्रवासियों की आमद से संबंधित है- जो स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच टकराव पैदा कर सकता है, उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए घुसपैठ, बुनियादी ढांचे पर, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव बनाएगा ।

तालिका 11-3 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
1	सकारात्मक प्रभाव	समग्र रूप से समाज का विकास / उत्थान	94%
2		जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग	94%
3		रोजगार के अवसर में वृद्धि	90%
4		आर्थिक स्थिति में सुधार	94%
5		ग्राम और ग्रामीणों का समग्र उत्थान	43%
6		बेहतर सेवाओं की उपलब्धता	92%
7		व्यापार के अवसर में वृद्धि	93%
8		भूमि की कीमत में वृद्धि	93%
9		कस्बों तक बेहतर पहुंच	93%
10		जीवन की बेहतर गुणवत्ता	92%
11		अन्य	0%
12	नकारात्मक प्रभाव	जमीन का नुकसान	96%
14		आजीविका का नुकसान	12%
16		वित्तीय सुरक्षा का खतरा	7%
17		संपत्ति का नुकसान (निजी और सार्वजनिक दोनों)	75%
18		प्रदूषण में बड़ोतरी	85%
19		बाहरी लोगों के आने से विरोध	69%
20		जीवन की गुणवत्ता में गिरावट	19%

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
21		परियोजना के निष्पादन के दौरान / बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	58%
22		मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव	55%
23		स्वास्थ्य के खतरों की आशंका (एचआईवी / एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि)	68%
24		अन्य	0%

**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

आकृति 11-1 पीएपी द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

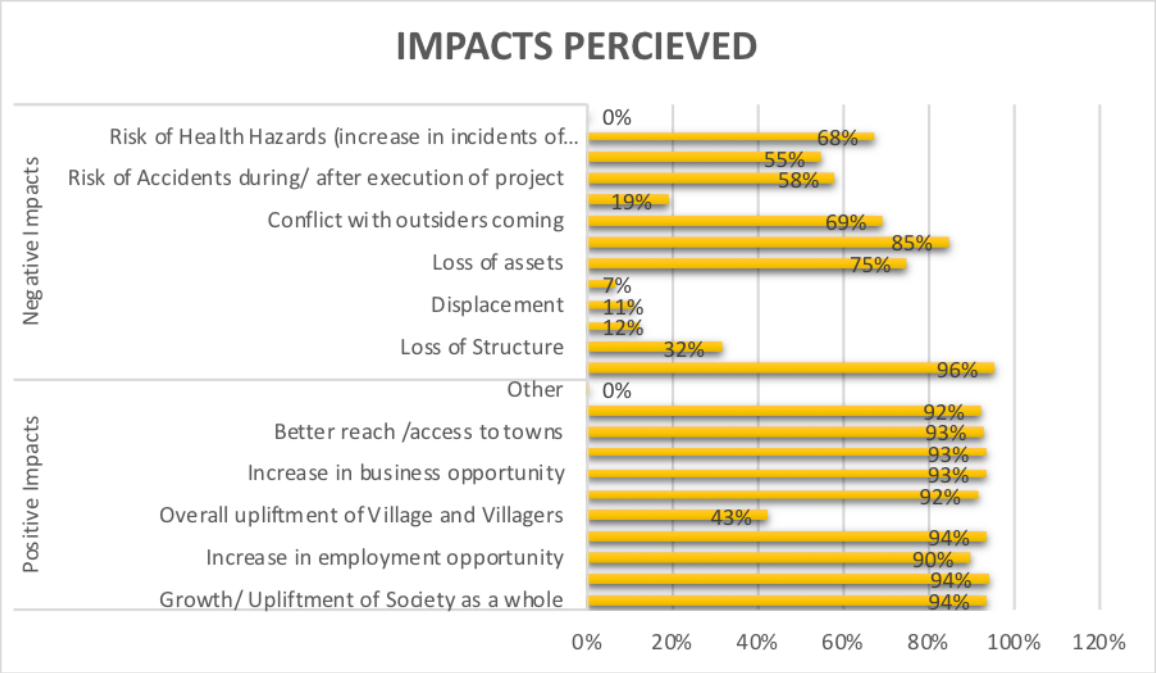

**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

नकारात्मक प्रभावों से इतर , लोग आशावादी है कि आगामी परियोजना के साथ सकारात्मक प्रभाव आएँगे। समग्र रूप से कुल मिलाकर जीवन की बेहतर गुणवत्ता, समाज के विकास / उत्थान, जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यवसाय के अवसर और भूमि की कीमतों में वृद्धि, पड़ोसी शहरों के साथ बेहतर संपर्क के कारण उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे और दुर्घटनाओं का खतरा, भूमि, संरचना और परिसंपत्तियों के नुकसान के अलावा, लोगों ने निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषण के बढ़ते स्तर,

आजीविका की हानि, वित्तीय सुरक्षा पर जोखिम, निर्माण कार्यों के लिए अपने गांवों में आने वाले बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, स्वास्थ्य खतरों के जोखिम, दबाव के लिए अपनी चिंता दिखाई।

6.5 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 87% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आगामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके उद्देश्य और प्रतिकर के बारे में आंशिक रूप से अवगत थे। 8% ने कहा कि वे पूरी तरह से जागरूक हैं और 5% ने बताया कि वे इस परियोजना, इसके उद्देश्य और पात्र प्रतिकर के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं।

तालिका 11-4 सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

जागरूकता	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता	परियोजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता	पात्र प्रतिकर के बारे में जागरूकता
पूरी तरह से	8%	8%	5%
आंशिक रूप से	87%	87%	87%
बिल्कुल नहीं	5%	5%	8%
कुल	100%	100%	100%
**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*			

सर्वेक्षण के दौरान 99.5% उत्तरदाताओं ने परियोजना के बारे में और अधिक जानने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की, इसका उद्देश्य, व्यक्तियों / परिवारों / गाँवों को लाभ, पूरे प्रतिकर के लिए वे पात्र हैं और व्यक्तियों / परिवारों / गाँव पर सकारात्मक / नकारात्मक प्रभावों के लिए संभव है।

तालिका 11-5 पीएपी के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का स्रोत	
रेडियो	2%
समाचार पत्र	2%
सरकारी अधिकारी	17%
अन्य ग्रामीण	78%
अन्य	1%
**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*	

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 78% पीएपी को अन्य ग्रामीणों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला, 17% को इसके बारे में कुछ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पता चला, 2% को परियोजना और रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तावित अर्जन के बारे में जानकारी मिली।

6.6 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान, 91% लोगों ने कहा कि उन्हें आगामी सुन्नी जल विद्युत परियोजना परियोजना या प्रस्तावित अर्जन पर कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर 8% ने जल विद्युत परियोजना परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित अर्जन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और शेष 1% इस के बारे में निश्चित नहीं थे।

तालिका 11-6 पीएपी द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति

हाँ	8%
नही	91%
कह नही सकते	1%
कुल	100%
**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*	

6.7 प्रतिकर वरीयताएँ

सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश पीएपी ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नकद मुआवजे की मांग की।

6.7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 61% पीएपी ने कहा कि वे कृषि या नए घर के लिए जमीन खरीदने के लिए प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग करेंगे, लगभग 25% ने कहा कि वे इसे भविष्य में उपयोग के लिए बैंक में बचाएंगे, 2% ने जवाब दिया कि वे इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करने के लिए चाहेंगे, लगभग 12% लोगों ने कहा कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है कि वे प्राप्त प्रतिकर का उपयोग कैसे करेंगे और 1% से भी कम ने प्रतिकर राशि के साथ एक नया घर खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की।

तालिका 11-7 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राप्त प्रतिकर का उपयोग	प्रतिक्रियाओं का %
1. कृषि / आश्रय के लिए भूमि खरीदकर	61.41%
2. घर खरीदने के लिए	0.23%
3. बैंक में भविष्य के लिए इसे बचा रहा है	24.52%
4. इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना	1.93%
5. तय नहीं	11.92%
* *स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*	

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

इस अध्याय में लोक प्रयोजन के मूल्यांकन, कम विस्थापन के विकल्प, न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और शमन उपायों की सीमा के साथ अंतिम निष्कर्ष प्रकृति और सामाजिक प्रभावों की तीव्रता के साथ चर्चा की गई है। अंत में, अध्याय का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना और प्रस्तावित अर्जन के अस्थायी समग्र लाभों पर प्रदर्शित करना है और इसकी तुलना परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष हितधारकों जैसे परियोजना प्रभावित पंचायतों और निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाले प्रभावों से की जाती है, जिससे यह अंतिम सिफारिश के लिये रखा जायगा कि इसे अर्जन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या नहीं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना की लागत में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के स्रोतों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पनबिजली परियोजनाओं की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है, जिससे अधिकतम बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, उत्पन्न राजस्व में से 1% मुफ्त बिजली परियोजना के पूरे जीवन काल के लिए LADA के तहत प्रभावित 20 गाँवों के निवासियों के बीच वितरित की जाएगी।बिजली उत्पादन के बाद 10 वर्ष तक परियोजना प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली नकद के रूप में दी जाएगी।

सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382MW) नदी प्रवाह प्रकार योजना है। SJVNL उसी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अंतर को कम करना और स्थानीय आवासों पर न्यूनतम खतरनाक और न्यूनतम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

सुन्नी जल विद्युत परियोजना की अपेक्षित बिजली उत्पादन प्रति वर्ष 1381.77 GWH होगा। कुल परियोजना लागत रु 2,911.85 करोड़ अनुमानित है। शुरू होने के पहले वर्ष में परियोजना से अपेक्षित

राजस्व पहले वर्ष में 648 करोड़ और बाद के वर्षों में 608 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का अनुमान है कि 310 व्यक्तियों का कुल स्थायी / नियमित रोजगार और इसके निर्माण के चरण, निर्माण के चरण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद 56,57,500 व्यक्ति-दिनों का अस्थायी रोजगार होगा। यह रोजगार कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए उत्पन्न होगा। HP सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना स्तर पर उत्पन्न रोजगार के लिए PAP को प्राथमिकता दी जाएगी।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है। लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (163 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट)।

सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत परियोजना स्थित है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम पर 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना है, जो आगे की ओर 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग करती है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा-झाकरी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 जल विद्युत परियोजना चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कौल डैम और लुहरी स्टेज -2 जल विद्युत परियोजना के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है।

हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। विभिन्न भू-तकनीकी पहलुओं, स्थान, क्षमता और प्रकृति के साथ वैकल्पिक प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, 382 मेगावाट और खैरा गांव में बांध स्थल की क्षमता वाले वर्तमान प्रस्ताव का चयन किया गया है। वर्तमान परियोजना डिजाइन को भूमि अर्जन की न्यूनतम आवश्यकता और सबसे व्यवहार्य इंजीनियरिंग

डिजाइन के महत्वपूर्ण विचार के बाद चुना गया था। सुन्नी जल विद्युत परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित आवश्यक कुल भूमि 442.2054 हेक्टेयर थी, जिसे अधिग्रहीत किया जा चुका है। वर्तमान में 9-10-99 हेक्टेयर निजी भूमि मालिकों से प्राप्त की जाएगी। अर्जन के तहत आने वाली अधिकांश भूमि का उपयोग या तो कृषि या बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ी है, परियोजना के उद्देश्यों की सफल और समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता स्पष्ट हो रही है। इस अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता दो उद्देश्यों के लिए है: 1, उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए और 2,: कुछ भूमि जलाशय तालाब क्षेत्र के प्रभाव में आने की आशंका है जिसके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जबकि परियोजना प्रस्तावक ने उत्खनन सामग्री के डंपिंग के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि प्रभाव, अगर स्थायी प्रकृति का है तो उसका प्रभाव , निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अस्थायी प्रभाव निर्माण / निर्माण चरण परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण के चलने तक रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

तालिका 12-1 प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक	1	क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि

	2	प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन।		अस्थायी	अल्पावधि
	3	इन-माइग्रेशन के कारण स्थानीय आवासों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घकालिक
भूमि / संरचना	4	कृषि भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	5	PAP के बीच भूमिहीनता		स्थायी	अल्पावधि
	6	PAP के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	अल्पावधि
	7	सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे रोपवे, पुल, घाट, सड़क, पानी की पाइपलाइन, पंप-घर, स्कूल, आदि को नुकसान।		अस्थायी	अल्पावधि
	8	आम संपत्ति का नुकसान		अस्थायी	अल्पावधि
आजीविका / आय	9	कृषि आय का नुकसान	निर्माण के पूर्व	स्थायी	दीर्घकालिक
	10	अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिए: कृषि मजदूर, विक्रेता, आदि।		अस्थायी	अल्पावधि
	11	प्रवासन के कारण वस्तुओं की बढ़ी हुई खपत स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रही है।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	12	निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों और पीएपी के लिए नौकरी का अवसर।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	13	भूमि की कीमतों में वृद्धि	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	14	प्रतिकर के कारण पीएएफ की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता में बदलाव होगा और फंड मिस-मैनेजमेंट के जोखिम को भी बढ़ाएगा।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि

भौतिक संसाधन	15	पेड़, पानी की टंकी, शौचालय और रसोई जैसी निजी संपत्ति का नुकसान।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	16	मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे PHC, शैक्षिक संस्थानों, सड़कों, आदि पर दबाव बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जैव विविधता / पर्यावरण	17	प्रभावित गांवों और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चारा और जलाऊ लकड़ी संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में सेवारत वन भूमि का नुकसान।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	18	जलाशय के निर्माण के कारण आर्द्रता में वृद्धि।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	19	निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
स्वास्थ्य	20	प्रदूषण स्तर बढ़ने से जल जनित रोगों का खतरा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	21	परियोजना के निष्पादन के दौरान / बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	22	स्वास्थ्य के खतरों का खतरा (एचआईवी / एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि)	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जीवन की गुणवत्ता	23	यातायात में वृद्धि। भारी वाहनों का आवागमन	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	24	स्थानीय ग्रामीणों और प्रवासियों के बीच संभावित विवाद।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	25	विभिन्न गांवों के बीच समझौता कनेक्टिविटी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	26	सिंचाई सुविधा का ह्रास।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि

	27	प्राकृतिक झरने और पम्फाउस के नुकसान के कारण पीने के पानी की उपलब्धता में गिरावट।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	28	इन-माइग्रेशन के कारण सामाजिक सुरक्षा की भावना में कमी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
	29	गाँव का समग्र विकास।	निर्माण के उपरान्त	स्थायी	दीर्घकालिक

**स्त्रोत:* एसआइए *टीम*

7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों को सामाजिक समाघात प्रबंध योजना (SIMP) के तहत विवरण में चर्चा की गई है। एक समग्र रूप में प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी को देखते हुए, दोनों सकारात्मक और साथ ही परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के कारण क्षेत्र के विकास की उम्मीद है, वहीं परियोजना के बारे में समुदाय में भय और आशंकाएं भी हैं।

स्वामियों द्वारा अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों में भूमि की हानि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, निजी और वन भूमि पर निर्भर गतिविधियों में अचानक गिरावट, बाहर की आबादी का प्रवाह शामिल है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा-बचाव चिंताओं, सामाजिक संघर्षों आदि में वृधि होती है और सार्वजनिक उपयोगिताओं के नुकसान, परियोजना प्रभावित गांवों और आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को सड़क संचार तक पहुंच में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो विभिन्न पंचायतों / गांवों के लोगों और डूबने के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के बीच सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा। । हालाँकि, सुझाए गए बुनियादी ढाँचे के उपायों का यदि योजनाबद्ध तरीके से पालन किया जाता है, तो इन प्रभावों को लगभग नगण्य तक कम कर दिया जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में एक सामान्य आशावाद है जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। बेहतर सड़क नेटवर्क जिसमें नदी के दोनों किनारों पर बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं शामिल हैं। ढांचागत सुविधाओं विशेष रूप से सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जल निकासी में सुधार होगा

और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत परियोजना मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य को अपेक्षित राजस्व लगभग 604 करोड़ प्रति वर्ष है जिससे राज्य का समग्र आर्थिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। इसके अलावा, LADA और CSR जैसे धन की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र निर्माण और परियोजना के निर्माण के बाद के चरणों के दौरान त्वरित विकास होगा।

संभावित विकल्पों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध वैकल्पिक साइट और परियोजना के डिजाइन के चयन के कारण भूमि अर्जन और अनैच्छिक पुनर्वास को कम से कम किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित अर्जन का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां घराने (समुदायों सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से प्रतिकर और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार कर सकें, या कम से कम बहाल कर सकें।

पीएएफ यानी किसी भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय को प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यविस्थापन सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगी :

1. जीवन स्तर के बुरी तरह प्रभावित होने पर ;
2. किसी भी घर में अधिकार, पदवी या ब्याज, उपयोग करने का अधिकार, या उपयोग करने का अधिकार, परिसर, कृषि और चरागाह भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य निश्चित या चल योग्य सहित कोई भी भूमि अस्थायी या स्थायी रूप से अर्जित की गई या संपत्ति;
3. आय के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान पर प्रतिकूल रूप से अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित; या,
4. पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचानी जा सकने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और रिश्तों को या किसी अन्य नुकसान को प्रभावित किया जा सकता है।

खोए हुए परिसंपत्तियों की सूची सहित प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सभी पीएएफ के रहने वाले, काम करने वाले, व्यवसाय करने और / या खेती करने वाले, अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-भूमि संपत्ति) और आय और व्यवसायों की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिकर के हकदार हैं; और उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तर को सुधारने या कम से कम बनाए रखने के लिए उनकी सहायता के लिए पुनर्वास उपायों के साथ

पर्याप्त सहायता प्रदान की जाएगी। पुनर्वास योजना RTFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP RTFCTLARR नियम 2015 और नवीनतम R&R नीति के अनुसार डिजाइन की जाएगी।

सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अर्जन (क्षतिपूर्ति और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय समर्थन पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रतिकर के प्रावधान और स्थानांतरण के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य सहायता के पहले विस्थापन नहीं होगा। संपत्ति का अर्जन, प्रतिकर का भुगतान, और परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों को फिर से शुरू करना और पूरा करना होगा । आजीविका और आय की बहाली के उपाय भी होने चाहिए, लेकिन इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले ही पूरा कर लिया जाए।

यह कहते हुए कि यदि आवश्यक हो तो निकाय और राज्य सरकार पीएपी और बड़े पैमाने पर समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करें और, राज्य के सकारात्मक विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के लाभ काफी हद तक परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत पर भारी पड़ेंगे।

7.4.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। सुन्नी जल विद्युत परियोजना परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामस्वरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन किया जा सकता है, बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न प्रभावों को कम कर दें।

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण

यह सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR Act, 2013 और HP RTRFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (382 MW) के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने व सकारात्मक प्रभावों को बड़ाने के लिए तैयार की गई है। यह शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट होता है जोकि प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्यस्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान क़िए जाने चाहिए। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे की प्री-कंस्ट्रक्शनस्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाएगए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में प्रदान किया गया है।

8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

8.2.1 सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।
3. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाए।
4. महिला मंडल, युवकमंडल और ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन किया जाए।
5. महिलाओं और पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे सीमांत वर्गों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देकर व् नए कौशल में विकसित करके उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
6. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से प्रतिकर की गणना से पहले दरों के अद्यतन के लिए अनुरोध किया है। इसके इलावा अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की मांग भी की है ।
7. पीएपी और पीएएफ को नौकरियां RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए

8. स्ट्रीट लाइटिंग- लगभग सभी पंचायतों और गांवों को स्ट्रीटलाइट्स प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
9. खेल को बढ़ावा- शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल में लगे युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवश्यक निकाय प्रभावित पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता हैं और स्थानीय खेल / युवा क्लबों को खेल किट प्रदान कर सकते हैं। होनहार एथलीटों को आगे चलकर परियोजना में रोजगार के अवसर प्रदान भी किए जा सकते हैं।
10. जिला प्रशासन और सम्बंधित विभागों के साथ जुड़कर खेल परिसर को भी विकसित किया जा सकता है, जो उज्ज्वल एथलीटों को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।

8.2.2 आधारिक संरचनाओं के उपाय

1. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में जल निकासी की उचित सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **पेयजल आपूर्ति** - परियोजना क्षेत्र के सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
4. **चिकित्सा सुविधाएँ** - प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर कुछ सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं / केंद्रस्थापित हैं, लेकिन दी जाने वाली सेवाएँ अपर्याप्त हैं और दूरियां बहुत बड़ी हैं। मोगरा पंचायत के ग्रामीणों ने उन्हें दोनों गांवों को सुन्नी से जोड़ने के लिए एक उन्नत स्वास्थ्य क्लिनिक, एक एम्बुलेंस सड़क और एक समर्पित टोल-फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की मांगकी है। इसी तरह, सभी पंचायतों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें हैं और उन्होंने परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने का अनुरोध किया है। इसलिए, पर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था एक सुविधाजनक स्थान पर त्रित्य स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोल सकता है जो प्रभावित गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो और प्रभावित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो ।
5. **स्कूल और छात्रवृत्ति** - प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल भी शुरू किए जा सकते हैं जहाँ प्रभावित परिवारों के बच्चों को प्रवेश के दौरान पहली प्राथमिकता मिल सकती है। प्रभावित परिवारों के बच्चों को फीस रियायत के लिए

भी माना जासकता है। आवश्यक निकाय परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति भी प्रदान किया जा सकता है। आवश्यक निकाय उच्च शिक्षा / व्यावसायिक ट्रेडों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस आदि के लिए चयन करने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वे छात्र की फीस / आवास लागत का प्रतिशत साझाकर सकते हैं और बाद में उन्हें उनके कौशल के अनुसार संगठन में अवशोषित कर सकते है। यह अर्जन करने वाली संस्था के लिए एक दीर्घ कालिक निवेश के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होसकता है जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अर्जित निकाय पीएसयू है, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन होसकता है।

6. **तकनिकी संसथान**- क्षेत्र में तकनिकी संस्थानों को स्थापित किया जा सकता है व् मौजूदा तकनिकी संस्थानों के साथ सहयोग में खाद्य संरक्षण व् प्रसंस्करण असैनिक निर्माण, व मरम्मत अथवा विद्युत् क्षेत्र से सम्बंधित पाठ्यक्रम भीशुरु करवाए जा सकते है। इन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र की भविष्य की ज़रूरतें व् परियोजना प्रभावित परिवारों के साधन व् रूचि को समझने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

8.2.3 पुनर्वास व् पुनार्व्यवस्थापन के उपाय

11. **बागवानी और औषधि पौधों का संवर्धन**: परियोजना क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सेब, चेरी, प्लम, खुबानी और निचले क्षेत्र आम, लीची, अमरूद और खट्टे फल पैदा करते हैं। क्षेत्र में कागजी नींबू, किन्नू और नारंगी जैसे खट्टे फलों का प्रचार किया जा सकता है। संयंत्र सुरक्षा, संगरोध और भंडारण केंद्र भी प्रभावित क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था विभाग के समर्थन से क्षेत्र में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ।
12. **पर्यटन को बढ़ावा देना** : यदि प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो यह क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के साथ साथ, पानी से संबंधित गतिविधियोंखेलोके लिए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में रिवर साइड कैंप और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जो प्रभावित परिवारों के लिए नियमित आय उत्पन्न कर सकता है। दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फेरी और नाव की सुविधा भी दी जा सकती है।
13. **मत्स्य पालन को बढ़ावा देना**: यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण

दिया जा सकता है। संबंधित विभाग से मछली पकडने का लाइसेंस प्राप्त करने में इच्छुक लोगों और मछुआरों (का परिवारों से) प्रभावित समर्थन किया जा सकता है।

14. **पशुपालन**: प्रभावित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि के साथ में पशुपालक मुख्य धन है और हर घर में गायों या भैंसों, भेड़, बकरियों, हैं। पशुपालन, जो कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। एक दूध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
15. **स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण** : महिलाओं को एक साथ आने और स्वयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को समुचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और पंजीकृत SHG को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तकला, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि पेश की जा सकती है।
16. **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन**: यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से कुछ बागवानी, क्षुद्र व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और ऋण सुविधाओं के अलावा कच्चे माल, इनपुट के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संपर्क स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। संस्थागत वित्तपोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सूक्ष्म योजनाएँ तैयार करें। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्ष्य आबादी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और भागीदारी तरीके से प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं। और GOI को प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए अभिसरण किया जाए।
17. **परियोजना आधारित रोजगार** : परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे कि परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले हों।
18. नुकसान हुई फसलों व् बागवानी गतिविधयां जिनमे फलदार व् गैर फलदार पेड़ भी आते है, उनका उचित रूप से प्रतिकार दिया जाना चाहिए।
19. अधिग्रहण करने वाली संस्था लोगों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकती है जिससे उन्हें परियोजना में बेहतर रोज़गार के मौके मिल सके।

20. परियोजना परिचालन व् अन्य चरणों के दौरान निर्माण, स्प्प्लाई व् यातायात के छोटे ठेकों में महत्व PAPs, PAFs प्रभावित ग्राम पंचायतों के लोकल लोगो को दिया जाना चाहिए।

8.2.4 पर्यावरण उपाय

1. **वनीकरण**– क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, निकाय और समुदाय को शामिल करना चाहिए। ये प्रयास न केवल नुक़सान को बहाल करने में मदद करेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा, निजी भूमि में मिट्टी के कटाव की जांच के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता की हानि की जांच करेगा और संबद्ध जोखिमों को कम करेगा। इसके अलावा, नदी के किनारे वृक्षारोपण जल स्तर में वृद्धि और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को प्रभावी रूप से कम करेगा।

2. **शोर प्रदूषण और वाहन यातायात**

- शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:
- भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
- परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को नियोजित करना ।
- भारी वाहनों के चालकों को, छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करने के लिए सख्त निर्देश देना

3. **वायु प्रदूषण**

परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी

का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। चेबरी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

4. जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता

- जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।
- डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
- निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
- जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

5. जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम - प्रभावित गाँवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दिए गए इलाकों की स्थितियों मेसड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

8.2.5 अन्य उपाय

1. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर निश्चित समय सीमा में दिया जाना चाहिए।
2. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर मुआवज़े का उत्पादक उपयोग व् सुरक्षित निवेश क लिए तकनिकी व् वितीय सलाह दी जानी चाहिए।
3. पीएपी व् PAFs जिन्होंने चरणबंध प्रतिकर को चुनना है उनके लिए प्रतिकर का वितरण करने क लिए उचित चरणबंध योजना की युक्ति की जानी चाहिए।

4. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि LADF योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात LADF द्वारा परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा प्रदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने 12% शेयर में से 1% का भाग योजना/ बजट प्रावधान में से LADF को प्रदान करेगी। यह प्रावधान PAFs के साथ विस्तार में चर्चित किये जाने चाहिए और इसीलिए स्थानीय क्षेत्र विकास कमिटी (LADC) बनाई जानी चाहिए जिसमे विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य और अपेक्षित निकाय के अधिकारी हो ।

5. सर्किल दरों में संशोधन: कई पीएपी और पीएएफ को लगता है कि उनकी भूमि के मौजूदा सर्कल रेट बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मंडी जिला में पड़ने वाले गांवों और मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के साथ एक बड़ी चिंता है। 20 गांवों में से 12 के लिए लागू सर्कल रेट 250 रुपये से 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच में आते हैं। खेती योग्य भूमि के लिए और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 250 रु 550 रु। शेष 6 गांवों में खेती योग्य भूमि के लिए 1011 रुपये और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 842 रुपये की सर्कल दरें हैं।

   संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों के सर्कल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं।

6. जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर- स्वस्थ, स्वछता, पोषण, सामाजिक अधीकार इत्यादि से सम्बंधित जागरूकता कार्यक्रमों का क्षेत्र में बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रभावित ग्रामीणों को सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद करेगा जोकि बड़े पैमाने में आई जनसँख्या में वृद्धि व् स्वास्थ्य सम्बंधित पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन का सामना करेंगे ।

   इसके अलावा ग्रामीणों को सुरक्षित निवेश, निवेश योजनाओं, धन प्रबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने क लिए खास वितीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमे से बहुत लोगों को भरी मात्रा में प्रतिकर प्राप्त होगा।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी मात्रा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति / परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समग्र रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि प्रतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अलावा, अशिक्षित ग्रामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें प्रतिकर मिला है। इसलिए, आवश्यक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

8.3 R&R में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा

यह एस आई ए रिपोर्ट भूमि अर्जन प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक निकाय के लिए और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों के शमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

***तालिका 13-1* पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय**

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान (9-10-99 हेक्टेयर)	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 4.2 और 4.3 में उल्लिखित है	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
	सर्किल दरों का संशोधन	जिला कलेक्टर व् अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	नए स्थान के निर्माण और नए घरों के निर्माण के लिए RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
4	भूमि पर निर्भर रोजगार / आय / आजीविका का नुकसान।	• RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर। • अर्जित निकाय परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में इन व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित कर सकता है जो उनके कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है। • अर्जन करने वाला निकाय परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है।. • इस परियोजना के परिचालन और अन्य चरणों के दौरान PAP और पीएएफ को और प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को निर्माण, आपूर्ति और परिवहन में

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		छोटे अनुबंधों को देने के लिए प्राथमिकता दीजानी चाहिए।
5	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभाव: खेती योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	• कृषि विभाग को सलाह दी जाती है कि वह प्रभावित परिवारों को बची हुई भूमि या वैकल्पिक भूमि में गहन खेती करने में मदद करे। • इसी तरह, उन्हें पशुपालन प्रथाओं को चलाने के लिए सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए
6	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	• स्थानीय लोगों के परामर्श से स्वीकार्य सीमा के भीतर शोर, यातायात, धूल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन, • ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है: • भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटों को परिभाषित करना। • एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना। • चालकों को हार्न का प्रयोग कम से कम करने के सख्त निर्देश • परिवहन वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध। • सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को डगमगाते हुए।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		• भारी वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश देने के लिए छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करना।
7	वायु प्रदुषण	परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रक, टिपर आदि खनन और डंपिंग स्थलों को प्रभावी ढंग से कवर करके कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल छिड़काव से भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
8	जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता।	• सुनिश्चित किया जाए कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग हो, जिससे जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। • डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें। • निर्माण सामग्री विशेषकर रेत और गिट्टी की भंडारण इकाइयाँ भी नदी के किनारों से दूर होनी चाहिए। • जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		• जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है।
9	जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम	• सक्षम अधिकारी नदी के पाठ्यक्रम की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं। • नदी के किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण, विशेष रूप से कमजोर और अतिसंवेदनशील स्थलों पर भी भूस्खलन के खतरे को कम करेगा।

**स्रोत: टीम एसआइए*

8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

परियोजना प्रभावित के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया नीचे दी गई है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स नुकसान और संबंधित प्रकृति और एंटाइटेलमेंट के दायरे के प्रकार को सारांशित करता है।

तालिका 13-2 एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भू-मालिकों के परिसम्म्प्ती का नुकसान				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	• बाजार मूल्य पर भूमि के लिए नकद प्रतिकर, जिसे RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा • खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। • प्रशिक्षण सहायता • बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी। • 25,000 रुपये का अनुदान • पशु शेड या अल्प दुकानों का प्रतिस्थापन।	
	संरचना का नुकसान (आवासीय या वाणिज्यिक या आवासीय-सह-वाणिज्यिक)	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	• स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों के आधार पर निर्धारित नकद प्रतिकर • रुपये का स्थानांतरण भत्ता के प्रावधानों के अनुसार	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			50000 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के लिए • विस्थापित परिवार • RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुक्त घर का प्रावधान पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक या इसके बदले में घर की समान लागत की पेशकश की जा सकती है • घर का निर्माण • विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का अनुदान भत्ता (RFCTLARR अधिनियम 2013) • विस्थापित परिवारों के लिए 50000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (RFCTLARR Act 2013)	
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान - गैर-शीर्षकधारक				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/	• अतिक्रमणकारियों को संपत्ति/फसल हटाने के लिए 2 महीने की अग्रिम सूचना	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
		परिवार)	दी जाएगी।प्रभावित संरचना से बचाव सामग्री का अधिकार	
आजीविका की हानि - शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार)	एक बार का अनुदान 25,000 रु (RFCTLARR अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित)	वाणिज्यिक के लिए स्क्वाटर्स, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से पात्रता होगी
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की संभावना है	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	संरचनाओं को यदि कोई क्षति हुई हो तो उसका भुगतान अस्थायी प्रवेश, जहां भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाना	जैसे संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, अस्थायी पहुंच या मार्ग में व्यवधान
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	क्षेत्र खाली करने के लिए दो महीने का अग्रिम नोटिस	
	SC, ST		यदि शामिल नहीं है तो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र होने पर सरकारी कल्याण योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता; और;	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय

अपेक्षित निकाय द्वारा कोई उपाय साझा नहीं किया गया है। हालाँकि, यह कहा गया था कि इस परियोजना के लिए अलग आर एंड आर योजना प्रासंगिक कानूनों और नीतियों के अनुसार सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

8.5 पुनर्वास और पुनाव्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि 100 एकड़ से अधिक के बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुन्र्स्थापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंकेक्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली एससी आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत / अध्यक्ष या उनके नामित / अध्यक्ष।

6. संसद सदस्य और असंबद्ध क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य या उनके सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान
7. आवश्यक शरीर का एक प्रतिनिधि।
8. R&R के संयोजक के रूप में प्रशासक।

8.5.1 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)

पीएएफ की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। पीएएफ की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तोशिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना R&R समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

1. भूमि / संपत्ति अर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर पीएएफ को सहायता प्रदान करें;
2. पीएएफ की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत करें और प्राथमिकता दें और उन्हें हल करें; तथा,
3. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर पीएएफ को रिपोर्ट करें।

कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, प्रतिकर, पुनर्वास, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हुए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से प्रभावित थे, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंत्र का प्रवाह चार्ट नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

आकृति 13-1 शिकायत निवारण तंत्र

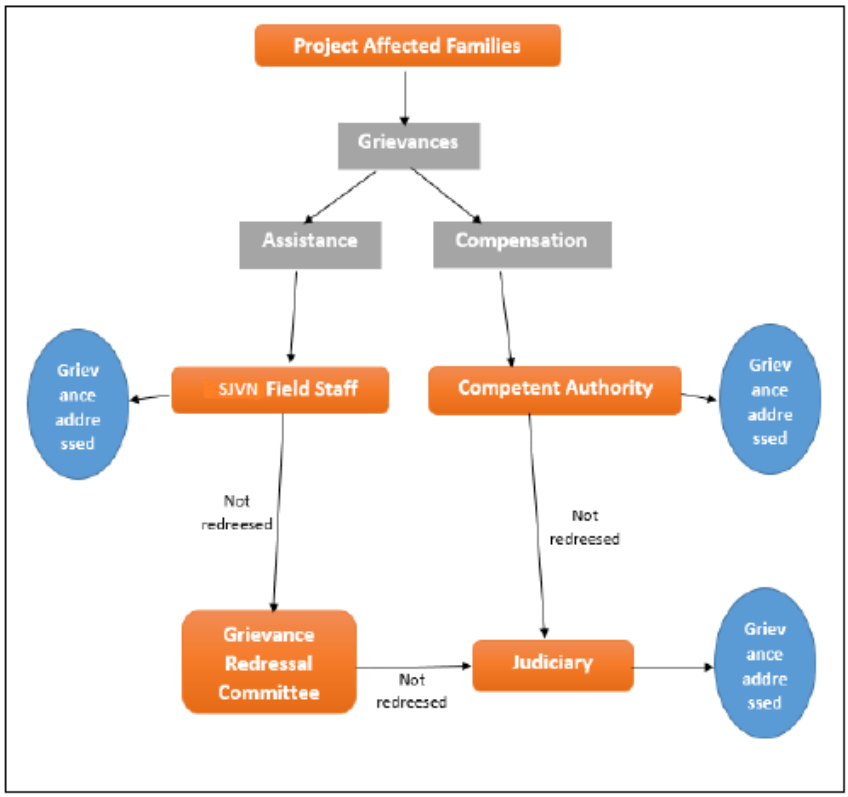

**स्त्रोत: एसआइए टीम*

8.5.2 शिकायत निवारण के चरण

8.5.2.1 निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच शामिल है कि क्या कार्यक्रम अनुसूची प्रगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन SIMP के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। R&R की निगरानी और मूल्यांकन R&R उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता को प्रतिबिंबित करने और R&R गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी।

SIMP कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.5.2.2 आंतरिक निगरानी

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य SIMP अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पात्र ताकी जाँच करें; SIMP कार्यान्वयन से उत्पन्न कि सीभी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें और पीएएफ की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी SIMP में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क और प्रगति की समीक्षा करना शामिल होगा; SIMP के अनुसार पात्रता के विरुद्ध भूमि अर्जन प्रतिकर वितरण का सत्यापन; पीए एफ की आय और जीवनस्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समस्याओं से उत्पन्न किसीभी समस्या, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास प्रभावित परिणामों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और पीएएफ की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। SIMP कार्यान्वयन के प्रभारी SJVNL के फील्डस्तर के अधिकारी R&R प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 13-3 SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

1	भौतिक	• *अर्जित* भूमि की संख्या, ध्वस्त संरचनाओं की संख्या, परिवारों की संख्या • प्रभावित, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा, • पीएएफ की सहायता / प्रतिकर प्राप्त करने की संख्या, प्रदान की गई पीएएफ की संख्या • परिवहन सुविधाओं / स्थानांतरण भत्ता, सरकारी भूमि की पहचान की सीमा • घर साइटों के लिए, भूमि उपयोगकर्ताओं और निजी संरचना मालिकों की संख्या ने प्रतिकर का भुगतान किया

2	वित्तीय	भूमि / संरचना के लिए प्रतिकर की राशि, स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, पीएएफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
3	सामाजिक	पीएएफ अपने अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और के बारे में ज्ञान रखता है मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि।
4	आर्थिक	• हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, व्यवसाय की संख्या फिर से स्थापित, प्रतिकर का उपयोग, घर साइटों / व्यापार साइटों को खरीदा • आय बहाली योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
5	शिकायत	• सामुदायिक स्तर की बैठक की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या • की संख्या, परियोजना अधिकारियों द्वारा संतुष्टि के लिए निपटाए गए मामलों की संख्या, PAF, संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या

**स्त्रोत: एसआइए टीम*

8.5.2.3 स्वतंत्र मूल्यांकन

एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है:

1. आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना;
2. मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है;
3. पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन;
4. यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पात्रता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संकेतक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 13-4 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक

क्र० सं०	उदेश्य	खतरे	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम होना	पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन में अनुमान से अधिक समय लग सकता है	• भुगतान किये गये मुआवज़े एवं सहायता से भूस्वामी की संतुष्ट। • भूमि स्वामियों द्वारा मुआवजे एवं सहायता के उपयोग का प्रकार • मुआवजे और सहायता से संरचना मालिकों की संतुष्टि • संरचना स्वामियों द्वारा मुआवजे एवं सहायता के उपयोग का प्रकार
2	परियोजना के लिए संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है	पीएएफ के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया। पीएएफ के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को उनके जीवन स्तर को सुधारने या पुनः प्राप्त करने में सहायता की जाएगी	*SIMP* को लागू करने वाले अधिकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं उम्मीद के मुताबिक कुशलता से	पीएएफ के प्रतिशत में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि की सूचना है, पीएएफ के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया कौशल सुधार के लिए चयनकर्ता में पीएएफ की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका एक समय के आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत पीएएफ को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग

क्र० सं०	उदेश्य	खतरे	परिणाम
4	दुर्बल समूहों की पहचान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करना	पीएएफ के मौजूदा जीवन स्तर से नीचे गिरने की अप्रत्याशित संख्या में शिकायतें सामने आ सकती हैं	कमजोर समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को भेजी गई शिकायतों की संख्या और उन्हें हल करने में लगने वाला समय जीआरसी तंत्र के बारे में जागरूक पीएएफ का प्रतिशत पात्रता ढांचे के बारे में जागरूक पीएएफ का प्रतिशत परियोजना प्राधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में पीएएफ की राय

9 निष्कर्ष और सिफ़ारिशें

यह अध्याय एसआईए टीम के प्राथमिक सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श और क्षेत्र दौरों के आधार पर निष्कर्ष और सिफारिशें प्रदान करता है। प्रत्येक उद्देश्य के तहत निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं , उसके बाद सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं ।

उद्देश्य, अवलोकन/निष्कर्ष और सिफारिशें

उद्देश्य:-

1. **यह आकलन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है**
   - परियोजना की आवश्यकता बिजली की बढ़ती मांग और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा कमी के कारण उत्पन्न हुई है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की धारा 2, उप-धारा 1 (बी) के अनुसार, 382 मेगावाट उत्पन्न करने वाली सुन्नी बांध जल-विद्युत परियोजना स्पष्ट रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की श्रेणी, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के अंतर्गत आती है। अतः यह प्रस्तावित अधिग्रहण उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 2 के नियमों के अनुकूल है।

2. **प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनमें से विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या**
   - प्रस्तावित अधिग्रहण के अन्तर्गत 9-10-99 हेक्टेयर की अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह अतिरिक्त भूमि ज़िला शिमला और ज़िला मंडी की 7 ग्राम पंचायतों में आने वाले कुल 12 गावों से है।

- अधिग्रहित की जा रही भूमि के कुल 496 स्वामित्व धारकों में से कोई भी पीएपी भूमिहीन नहीं हो रहा है। अधिकांश पीएपी के पास उसी पंचायत में या किसी अन्य पंचायत में अतिरिक्त भूमि (अधिग्रहीत खसरा के अलावा) है।

3. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा

- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण बेलुढांक, जैशी और भरारा गांवों में कुल 3 घराट और विभिन्न गांवों में कुहल प्रभावित हो रहे हैं। कोई अन्य सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी।
- वर्तमान अधिग्रहण में कोई भी मालिकाना हक धारक अपना घर नहीं खो रहा है।

4. क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है?

- यह अतिरिक्त भूमि मलबा डंपिंग और बांध तालाबीकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसमें से कुछ भूमि जलाशय तालाब के प्रभाव में आ रही है, जैसे कि यह न्यूनतम है और कुछ भूमि को मलबा डंपिंग के उद्देश्य से लिया जा रहा है और उत्खनन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मलबा के अनुमान के बाद लिया जा रहा है।

5. क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है?

- अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता दो उद्देश्यों के लिए है: मलबा डंपिंग और बांध तालाब (जलाशय डूब क्षेत्र) बनाना। इस भूमि का कुछ हिस्सा जलाशय तालाब के प्रभाव में आता है, जो न्यूनतम आवश्यक है। भूमि का एक और हिस्सा मलबा डंपिंग के लिए नामित किया गया है, और यह आवंटन उत्खनन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली संभावित मलबा की मात्रा का अनुमान लगाने के बाद निर्धारित किया जाता है।
- वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया था परंतु उसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों, प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के लाभों की तुलना में परियोजना की समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव का अध्ययन

- परियोजना का लाभ न केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे जिले और राज्य को भी मिलेगा। इस आगामी परियोजना से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। सुन्नी एचईपी परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। हालाँकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर काबू पाया जा सकेगा।

7. **एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल तैयार करना**
    - प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल HPRTFCTLARR नियम, 2015 के फॉर्म II के अनुसार तैयार की गई है और रिपोर्ट के अध्याय 5 में प्रस्तुत की गई है।

8. **एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करना**
    - एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार की गई है और रिपोर्ट के अध्याय 8 वर्णित है।

सिफ़ारिशें:-

9-10-99 हेक्टेयर की अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण दो जिलों अर्थात् शिमला और मंडी, तीन उप-मंडलों अर्थात् कोटगढ़/कुमारसैन, करसोग और शिमला की तीन तहसीलों अर्थात् कुमारसैन, सुन्नी और करसोग के अंतर्गत 7 ग्राम पंचायतों के 12 गांवों से होने का प्रस्ताव है। यह अतिरिक्त भूमि मलबा डंपिंग के लिए आवश्यक है और यह भूमि बांध तालाब क्षेत्र के प्रभाव में आने की भी आशंका है। इस अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त की और कहा कि अभी तक मुख्य भूमि के अधिग्रहण के लिए आयोजित पिछली सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और अब इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जा रही है। भूमि मालिकों ने इस अतिरिक्त भूमि को सौंपने के लिए अपनी इच्छा के साथ-साथ चिंताओं को भी दिखाया, बशर्ते कि पहले किए गए वादे पूरे किए

जाएं और उचित मुआवजा दिया जाए और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं को समय पर और सच्ची भावना से हल किया जाए।

10 सन्दर्भ

1. अग्रवाल, (m.n.d) भारत में दुर्बल समूह- स्थिति, योजनाएँ, भारत का संविधान।
2. प्राधिकरण, सी। ई। (2015)। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश, सहमति के लिए उनकी स्वीकृति और परीक्षा। नई दिल्ली ।
3. (2011)। जनगणना।
4. कंपनी प्रोफाइल: SJVN Limited (२०१ ९, फरवरी)। SJVN Limited वेब साइट से प्राप्त किया गया: www.sjvn.nic.in
5. एमपीपी और पावर विभाग, जी। ओ। (2019)। अधिसूचना, सुन्नी जल विद्युत परियोजना परियोजना।
6. हिमाचल प्रदेश वन मंजूरी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (२०१ ९, फरवरी)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त: http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/HP/HYD/31019/2017
7. (एन.डी.) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।
8. SJVNL (2017) इनसाइट रिपोर्ट (संशोधित), SUNNI जल विद्युत परियोजना की पर्यावरणीय सफाई।
9. SJVNL (2018) सुन्नी जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए स्थापना।
10. (एन.डी.) हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।

संलग्नक

- जन सुनवाइयों का प्रतिलेख
- समुदाय के सुझाव
- राजस्व अभिलेख

जन सुनवाईयों का प्रतिलेख

जन सुनवायी : ग्राम पंचायत मोगरा

सहजकर्ता : आप सभी का आज इस जनसुनवाई में हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं सुन्नी डैम परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमिका अधिग्रहण प्रस्तावित है इस प्रस्तावित अधिग्रहण में ग्राम पंचायत मोगरा की भूमि भी आ रही है प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सामाजिक समाघात का आकलन किया गया है और उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय में आम नागरिको के अवलोकन के लिए रखा गया था आज उस रिपोर्ट के बारे में जनसुनवाई है । मैं जनसुनवाई में आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ।

रूपचंद स्थानीय निवासी: इसमें नाम आया है मेरी मदर परंतु उनकी डेथ हो चुकी है

स्थानीय निवासी : मेरा एक सवाल था हम पांच शेयर होल्डर हैं मेरे भतीजे की डेथ के बाद हम पांच शेयर होल्डर है मेरे पास स्टेप मदर है तो मुझे सुन्नी से फ़ोन आया तो उसमें जो मेरी मदर हैं उनका शेयर कम आ रहा है वो किस कारण से ऐसा है

एसडीएम: ये रेवेन्यू से रिलेटेड है इसमें आप पटवारी को सारे कागज दिखा दे वो आपको बता देंगे किस बेस से ये शेर निकला है आप एक बार पटवारी से शादी डिटेल ले ले और उसका पूर्ण तहकीकात की जाएगी

करमचंद स्थानीय निवासी : आज का आपका जो विषय लैंड एक्स्ट्रा ली जा रही है इसके बारे में है मैं कुछ कहना चाहूंगा जो आपका ये 382 मेगावॉट का प्रोजेक्ट है जब इसके सर्वे हुए थे आपका जो फाइनल हुआ था उसके अनुसार इन्होंने जो निशान लगाए थे आज के युग में तो ऐसी मशीनें हैं जो बिल्कुल ऐक को रेट बताती है तो मैं इसके बारे में संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ या तो यह 382 मेगावॉट से ज्यादा हो रही है या यह भी हो सकता है शायद तो जमीन की जरूरत क्यों पड़ी इसमें मेरी संशय है

सहजकर्ता: जो सतलुज जल विद्युत निगम ने कहा है उन्होंने जमीन लेने के लिए दो रीज़न बताएं है एक तो कुछ जो कुहल वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को पहले सरकारी जमीन समझते रहे दूसरा मलबे को डंप करने के लिए लिया जा रहा है

एसडीएम: आपका प्रश्न जायज है शुरू में जो जब फर्स्ट स्टेज में लैंड ऐक्विज़िशन प्रोसेसर शुरू हुआ है उसके अनुरूप ही नोटिस लगता है चार बिस्वा जमीन है आप देखोगे जो प्रोजेक्ट 2009-10 में भी इन्होंने अक्वायर किया उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया था कि हमें जरूरत नहीं है । वैसे भी उस समय शायद जो कुहल देखी होगी उनको लगा होगा कि ये कुहल सरकारी होगी

जब एलएओ ने कागज देखे होंगे वह किसकी व्यक्तिगत की निकली होगी वह एक रिजन रहा होगा जो आपको लग रहा है

प्रधान ग्राम पंचायत मोगरा: इसमें एक चीज़ है सर जो आपने कहा कि लड़ाका पैसा आएगा जो पैसा है ना वो जाता है डीसी को डीसी की मर्जी है किसको दे जो हमारी ही रिंग हुई थी तो हम से ये बोला था कि इसका पहले ही प्रावधान जो पंचायत या लैंड लूजर हो तो उसको बेनिफिट मिले हर चीज़ पर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है पहले भी विडियोग्राफी हो रखी है उसमें हम तो बड़ा शक है जो पैसा आएगा वो डीसी शिमला फिर राजनीति चलती है जो इलेक्ट्रिक पर्सन है उसको बेनिफिट मिलता नहीं है इसमें क्या रास्ता निकालेंगे

एसडीएम: जो फ्री बिजली है उसका लाटा से कोई लेना देना नहीं है उसमें दो विषय होते हैं एक होता है 100% फ्री उसका पैसा देती सरकार जिन लोगों की निजी भूमि गयी है उनको बिजली फ्री मिलती है जैसे अभी नौ लोग गैस खसरे में उनको 100% फ्री बिजली मिले गी दूसरी बात है जो जिंस डेट में उसकी नोटिफिकेशन हुई उस डेट में पंचायत में जो लोग या जो परिवार थे तो मान लीजिये जैसे इसका काम शुरू हुआ 2015 में तो उस समय जो परिवार थे उस के हिसाब से रिपोर्ट बनती है तो जो 1% बिजली का पैसा हो वो सीधा बढ़ता है उनमे जो नीती थी वो 2005 में आई थी जो लादा का पैसा है वो लोकल डेवलपमेंट के लिए है जहाँ पर परियोजना का निर्माण कार्य हो रहा है उस क्षेत्र के कार्य में खर्च किया जाएगा

स्थानीय निवासी: शुरू में कहा गया कि ये लुरी स्टेज का तीसरा पार्ट है तो मैं आप के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा की अभी इसमें आपने फाइनल रेट नहीं दिया है या तो हमें 2014- 15 में साइन हुआ रेट है वो दिया जाए या हमें लूज़ भी वाला रेट दिया जाए वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है तो ये बहुत ही कम रेशियो जा रही है जबकि एमओयू साइन हुआ 2014 में जब भी कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो बड़ा हुआ रेट दिया जाएगा इससे कम नहीं दिया जाएगा

एसडीएम: होगा साइज मैं आपको बता दूँ जिसे एक्ट के अंतर्गत लैंड एक्वायर होती है वो एक्ट क्या बोलता है जहाँ पर भी जमीन एक्वायर हुई उसमें जब लैंड एक्वायर हुई है उसका एक एन वीटिल बनता है कि क्या क्या लाभ मिलता है वो हम सब जब इस एक्ट में लैंड एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर हम उन चीजों पर जाते हैं जो वहाँ का सर्कल रेट है उसका डबल रेट मिलता है

सहजकर्ता: चूँकि अब कोई क्वेश्चन या सुझाव नहीं आ रहे हैं अत: अध्यक्ष महोदय के अनुमति से जन सुनवाई की यह कार्यवाही यहाँ संपन्न होती है।

जन सुनवायी : ग्राम पंचायत चेबड़ी

सहजकर्ता : आदरणीय उमंडलाधिकारी शिमला, पंचायत प्रधान, अन्य निर्वाचित सदस्य, पंचायत के उपस्थित सदस्य। आज हम सुन्नी डैम परियोजना की जन सुनवायी के लिए एकत्र हुए है जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं सर की अनुमति से जन सुनवायी को शुरू करता हूँ, । जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि सुन्नी डैम , जो कि 300 मेगावॉट की परियोजना है इस परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव था। इसके लिए एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया जिसमें ये चीज़ कहा गया की ये जमीन क्या ज़रूरी है ना या नहीं है और परियोजना इस जमीन का क्या करना चाह रही है? ये रिपोर्ट जो है सब जगह प्रस्तुत की गई। पंचायत में रखी गई ताकि पंचायत के लोग इसे देखें और अपने सुझाव दें । इस परियोजना में जिन की ज़मीन जा रही है, यह है श्री हिमानंद पुत्र चुन्नीलाल, दिबाकर भाग बराबर आदि हंस राज़, धर्मपाल, मनोहर लाल, केवल राम को दुर्गा, श्रीमती विद्यादेवी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती गीतादेवी ये पुत्रियां हैं श्री खूबचंद की। स्थानीय निवासी। चुन्नीराम जय कृष्ण मदन लाल इसमें घनश्याम, धर्म प्रकाश, उर्मिला, श्रीमती मीना, श्रीमती निशा देवी है। इसके अलावा जो हुक्म, विद्या सागर पुत्र धनीराम पुत्र अमर, मोहन लाल, तिलक राम आदि। हेम चंद, उत्तम चंद, उत्तम चंद, बेसरू पुत्रियां, श्रीमती पारवती पुत्री बसन्ता देवी, भूपेन्द्र कुमार, श्रीमती निर्मला कांता कुमारी, रीना कुमारी, सीमा पुत्री दुनीचंद पुत्र अजयइनके हिस्से है। एक नाम और है। गिरधारी दाल, सुदर्शन लाल, माठु राम, चंदू, श्रीमती नागों, श्रीमती बेबी, कुमारी विद्या ये जमीन ली जा रही हो सकता है मैं नाम मिस कॉल किया हूँ तो ये आपको मालूम होगा क्योंकि आप एक जिसका परिवार के पूरे नाम ही आते हैं। इसकी उन्होंने दो बताए हैं, जो यहाँ का रीज़न है वो है डंपिंग। मलबा जो निकलेगा उसकी डम्पिंग के लिए जगह मांग रहे हैं। लुनसु और मूंगना मे। जो इस पंचायत के अंतर्गत आती है। ये रिपोर्ट यह बताती है कि इसका जमीन का लाभ जमीन का नुकसान लोगों को है। जिनकी जमीन जा रही है उनका, उसके ऊपर आश्रित है और ये ऐग्रिकल्चर वाली एरिया है। ऐग्रिकल्चर पर निर्भर है। लोगों का कहना है कि जमीन का जो रेट परियोजना दे रही है, बहुत कम है, लोगों की डिमांड ज्यादा है और खासतौर पर मलबे को लेकर लोगों की आपत्ति बहुत है कि मलबे को ना रखा जाये क्योंकि इससे लोगों को नुक़सान होगा। लेकिन क्योंकि इस परियोजना के लाभ ना केवल जिले को इस राज्य को है कई लोगों को रोजगार मिलता है तो इस परियोजना में सिफारिशें की जाती है कि सरकार इस भूमि अधिग्रहण के साथ आगे जा सकती है, बशर्ते वो लोगों की जो उस रहे लोगों की जो सुझाव है परियोजना उसको संबोधित करें। आप सबसे मेरा निवेदन ये हैं आपकी हर बात रिकॉर्ड की जाएगी। ये रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है। आप

के हर सुझाव और हर बात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे तो वो तभी बन सकेंगे अगर आप थोड़ा सहयोग देंगे। सहयोग से मेरा ये है की जब आप कहे तो प्लीज़ अपना नाम और पंचायत और गांव का नाम बोलने के बाद। ये बयान रिकॉर्ड होगा और जो आप बोलेंगे उसी रूप में ये भी हिस्सा बनेगा। सो, आपके सुझाव या आपत्ति जो भी है, वह आमंत्रित है।

उप मंडलाधिकारी : जिनकी जमीन जा रही है, जिनके नाम अभी बोल रहे हैं अगर वो यहाँ है तो आगे आ जाये।

रामलाल शर्मा: रामलाल शर्मा है मोगरा का स्थायी निवासी हूँ जो हमारी लूँनसु की जमीन गई है उसका इंतकाल भी SJVN के नाम पर हो चुका है हमें पेमेंट मिल चुकी है जहाँ तक डंपिंग साइट का सवाल है मेरा उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है अगर सरकार को और ज़मीन चाहिए तो उसके बारे में मेरी कोई इनकार नहीं है परंतु मेरा ये कहना है कि नौ बीघा दो विश्वा हमारी लुनसु में जा चुकी है मोगरा की ज़मीन में हस्तक्षेप न किया जाए मेरा ये आपसे अनुरोध है।

एसडीएम: आपने जो कहा कि आपका लूणसू की जमीन के बारे में कोई एतराज नहीं है मोगरा के बारे में आपत्ति है

हीरालाल वर्मा: मैं हीरालाल वर्मा अध्यक्ष जनचेतना जागरूकता मंच ये संघर्ष समिति है हमारी और लैंड लूज़रों की ही कमेटी है अधिग्रहण भूमि का जो प्रस्ताव है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मुआवजा राशि का क्योंकि 11/19 सोशल इम्पैक्ट की अधिसूचना हुई थी तो उसमें 20/10/19 को प्रोजेक्ट के लिए गवर्नर ने ऑथोराइज्ड किया था उसके उपरांत सेक्शन 11 के अधीन अभी सेक्शन 28-30 तक पहुँच चुका है लेकिन अधीन 11 ही चला है पांच बार सरकार से एक्सटेंशन ली है जिसका हमने सरकार के लिए भी विरोध जताया है। हो रहा है क्योंकि उस समय माहौल का रेट कुछ और था 5 साल में लैंप रेट में बढ़ोतरी आ गई है मार्केट वैल्यू उस वक्त जीडीपी 2.5 थी आज चोर जीडीपी 7.8 है अब अगर हम मध्य भाग को देखते हैं तो आज की मार्केट वैल्यू 6 लाख बीसवाँ है और जो हमारी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसका हम पक्ष में है लेकिन जो मुआवजा राशि है वो मुहाल रेट में नहीं होनी चाहिए।

इसको मार्केट वैल्यू पे निर्धारित किया जाना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है उसके बाद जो दूसरी आपत्ति रही है वो आर एंड आर से संबंधित है लोगों को पता नहीं है कि आर एंड आर क्या है कि एक विश्व के लिए भी 5,00,010 विश्व के लिए भी 5,00,000 इसका ऑब्जेक्शन फाइल भी हमने ए ऑफिस में किया था उसमें भी मांग रखी थी कि न्यूनतम 5,00,000 अधिकतम 50,00,000 किया जाए उसको भूमि के अनुपात में डिवाइड किया जाए इसको एक बराबर ना रखा जाये इससे शोषण हो रहा है दूसरी बात जो पुनर्व्यवस्थापना है लोगों का उनके लिए दो कमरों के निवास की

योजना रखी गई एक ग्रामीण स्तर पर कम से कम 10 कमरे हैं 10 परिवार रहते है इसको भी उचित ढंग से किया जाए और इस अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता क्यों पड़ी क्या इसको 382 मेगावॉट से ऊपर बढ़ाया जा रहा है लोगों से इस बात का संशय है इसका हमें यह समझाया जाए कि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता क्यों है

देव शर्मा: कढ़ हमने सुना है कि डंपिंग साइट में हमारी जमीन जा रही है तो हम जमीन नहीं देना चाहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है हम तो विरोध करते हैं 18 वर्षों से विरोध कर रहे हैं

एसडीएम: इससे पहले भी आपकी जमीन गई है क्या मैं ये जानना चाहता हूँ जो लोग सू में डंपिंग साइट का है क्या उसमें आपकी जमीन गयी है

देव शर्मा: नहीं अभी नहीं गई है अब जा रही है
मनीराम: मेरा इसमें विरोध है मेरे घर के साथ 10 कदमों पर निर्माण होना है डंपिंग साइट का किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं है डंपिंग साइट में अतिरिक्त भूमि के लिए मेरी बिल्कुल इनकार है।

कुन्दन लाल शर्मा: जन कल्याण समिति अध्यक्ष हमारी एक दो बातें हैं हमने सामूहिक रूप से भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 213 की धारा पांच के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत सामाजिक जन सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला लिया है यह कि सरकार व एसजेवीएन ने उपरोक्त अधिनियम की सभी प्रावधनों का उल्लंघन किया है जो ये अधिग्रहण कर रहे हैं अब तक अधिक रहेंगी भूमि को कोई सामाजिक प्रबंधन योजना प्रदान नहीं की गई

एसडीएम: जब भी इस तरह की चीजें की जाती है तो उस समय कमिटी बनती है तो वह प्रोसेसेस करती है:

मदन लाल: मेरा नाम मदनलाल हैं मैं लूणसू से हूँ जो आप का अधिग्रहण हो रहा है इसका मैं प्रभावित हूँ इसके लिए 2021 से लड़ रहा हूँ ये ईवीएम का प्रोसेसर शुरू है तब से लेकर हम इसमें अपना खून सुखा रही है इसके लिए जगह जगह हमने आपत्तियां दर्ज की है बार बार डीसी साहब को लिखा सरकार को लिखा इनको भी लिखा लेकिन इसमें अमल में कोई भी चीज़ नहीं लाई गई हमने इस बारे में मंत्री विक्रमादित्य को भी लाया उन्होंने भी हमारी सुनवाई को सुना पर लेकिन उन्होंने हमें विकल्प देने की कोशिश की थी जो ये डंपिंग में हो रही है इसका विकल्प देखेंगे उस

बारे में प्रोसेस्ड चला था यह तो अतिरिक्त है जो अब ली जा रही है यह तो हमारे ऊपर ऐसा अन्याय है ऐसा लोकतंत्र में कहीं हो नहीं सकता मैंने तो देखा नहीं ऐसा कि एक तो दुखी हूँ और ऊपर से और दुखी किया जाए हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कैसी हम धूल में जी सकते हैं कैसी हमारी फसलें होंगी कैसे हमारे घास का करेंगे हमारे अधिकारों के बारे में इसमें कोई भी राहत नहीं दी गई है मैं निशांत ठाकुर जी से कहना चाहूंगा वो इसमें अपना निर्णय दे और हमें राहत देने की कोशिश करें

घनश्याम शर्मा: मेरी भूमि इस प्रोजेक्ट में लग रही है मैं इसकी पूर्ण विरोध में हूँ क्योंकि इसका मौके पर देखा जाए ये घरों के अंदर डंपिंग कर रहे हैं वहाँ हमारे मकान बने हैं हमारे बार बार आग्रह करने के बाद भी वहीं डंपिंग कर रहे हैं मेरा गेम्स आपसे भी निवेदन है कि इस को स्थगित किया जाए हम अपनी भूमि देने के पक्ष में नहीं है

जयकिशन शर्मा: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापना एक्ट 2013 की धारा पांच के तहत निष्पक्ष उचित मुआवजा व क्षतिपूर्ति एवं भूमि अधिग्रहण पारदर्शिता के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन निर्धारण के संदर्भ में होने वाली जनसुनवाई का हमने सामूहिक तौर पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है

प्रधान ग्राम पंचायत के चेबड़ी : पिछली जनसुनवाई हुई थी फिर भी हमने आवाज उठाई थी हमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट ठीक है देशहित में है परंतु साथ साथ हम लोगो को ये भी देखना है कि हमारे अधिकारों का इसमें हनन हो मैंने पहले भी कहा था 5,00,000 दिया जा रहा है और नौकरी के बदले नौकरी मिले इन 5,00,000 को बढ़ाकर 20,00,000 किया जाना चाहिए जो ये भूमि अधिग्रहण की जा रही है इसका उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अब भूमि को जब सुन्नी बांध दिया जा रहा है तो क्यों ना सुन्नी क्षेत्र का लोगों को मुआवजा मिले बांध का नाम तो है सुन्नी का और मुआवजा दिया जा रहा है खैरा का हर व्यक्ति को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए और पहले दिन से मिलना चाहिए

सोहनलाल: मेरा ये मानना है कि जो अधिग्रहण के बारे में आए हैं मेरा एक सवाल है अभी पिछला मुआवजा ही नहीं हुआ है तो अतिरिक्त किस बात का हमें बड़ा दुख है कि लोगों की जमीन एक कौड़ी के मोल से ली जा रही है ये साक्षात प्रमाण हमारे क्षेत्र लू सूखा है हमारे ऊपरी ये चीजें टोपी जा रही है हम थोड़ी जमीन दे रहे हैं सरकार हमारे इसे जमीन ले रही है वो भी कमर्शियल पर्पस से तो हमारा ये मानना हैं की रेट का तमाशा ना बनाया जाए यहाँ पर जनता को ऐसी ठगा जा रहा है जैसी कोई भिखारी हो हम चाहते हैं की उचित मुआवजा मिले

मोहन शर्मा: पिछली जनसुनवाई में भी हम नए आपत्तियां दी थी उसका कुछ नहीं हुआ तो ये जन सुनवाई रखते क्यों है मेरा ये आपसे सवाल है जब कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकलता है तो ये जन सुनवाई किस काम की है या तो यह सिर्फ दिखावा है।

एसडीएम: आज की जो जन सुनवाई रखी गई थी इसका उद्देश्य था जो प्रोजेक्ट की तरफ से अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव आया है इसमें कुछ का कहना था कि आपत्ति की आपत्ति है कुछ इसके पक्ष में भी है जो भी सक्षम है वो इसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे जो आप हमे रेट बता रहे है अभी तक जमीन अवार्ड नहीं हुई है मैं पहले भी आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बात तो है आप लोग प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है पर राष्ट्रीय हित के प्रोजेक्ट में है आपके मुद्दों को अच्छे से किया गया है आप सब की सुझाव लिए जा चूके हैं अतः इस जनसुनवाई को अब बंद करते हैं।

जन सुनवायी : पंचायत बिंदला व सरत्योला

सहजकर्ता : आप सभी का आज इस जनसुनवाई में हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं सुन्नी डैम परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमिका अधिग्रहण प्रस्तावित है इस प्रस्तावित अधिग्रहण में ग्राम पंचायत सरत्योला व बिंदला की भूमि भी आ रही है प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सामाजिक समाघात का आकलन किया गया है और उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय में आम नागरिको के अवलोकन के लिए रखा गया था आज उस रिपोर्ट के बारे में जनसुनवाई है । मैं जनसुनवाई में आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ।

करमचंद सूर्यवंशी (पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सरत्योला) : मेरी भूमि भी इस परियोजना में जा रही है जो आपने नाम लिए उसमें दो और नाम थे जो इसमें नहीं बताए गए हैं किशोर कुमार और गिरधारी लाल हमारी पंचायत में मकान गांव है उसमें भी भूमि जा रही है पहले भी हमने आपत्तियां दर्ज करवाई थी जो आपकी किताब छपी है उसमें नी मकान गांव का कोई उल्लेख नहीं है हम तो वंचित रह जाएंगे मैंने पहले भी स्टीम से आपत्तियां दर्ज करवाई थी सही प्रोसेसर से कम होना चाहिए हमने पहले भी बताया कि जब भूमि जा रही हो तो इसमें क्यों नहीं दर्ज हो रही है फिर मैंने पता किया की अलग से नोटिफिकेशन आयेगी तब जाकर आपकी भूमि चढ़ेगी लोग हर मीटिंग में जाते रहे अपनी आजीविका छोड़ कर गरीब आदमी का बहुत पैसा खर्च होता है इधर से भूमि जा रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम प्रोजेक्ट के फेवर में है प्रोजेक्ट लगना चाहिये हमें प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति नहीं है पर लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए उसकी हम खिलाफ़ हैं ये बात प्रशासन के अधिकारी सुन लें और प्रोजेक्ट वाले भी जो अभी रेट मिलना है चाहे हमारी भूमि रोड साइड से दूर हैं ज़रूरी नहीं है की उसमें कम फसल हो बल्कि हमारी भूमि सिंचाई वाली है हमें बराबर रेट मिलना चाहिए नहीं तो हम इसके विरोध में आ जाएंगे ये चीजें आप तय कर लें कि प्रोजेक्ट लगना चाहिये हमे भी प्रसन्नता है हमारी विकास तभी होगा परंतु यह ध्यान रखा जाए की कम से कम हमारे बच्चे सड़कों में ना आ जाए भीख मांगने इसमें बड़ी दूरदर्शिता से प्लानिंग बनाई जाए असल में तो भूमि के बदले भूमि मिलनी चाहिए वैसा सरकार कर सकती है सरकार तो कुछ भी कर सकती है अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो कम से कम उचित मुआवजा दे और वो एक बार नहीं जब तक प्रोजेक्ट लग रहा है तब तक दे उसका भी प्रोविजन होना चाहिए जरूरी नहीं आपने अभी सारा क्लेम दे दिया और उसका दुरुपयोग हो हमने पहले भी कहा था जब सुनवाई पर लोग में हुई थी और जिनकी लैंड जा रही है और उनको रोजगार मिलना चाहिये कुछ को मिला है कुछ अभी तक भी नहीं लगे कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला वह तो बेचारे बेरोजगार हो जाएगा कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी लगने को नहीं है उनको पेंशन

मिलनी चाहिए सबके साथ न्याय हो प्रोजेक्ट देशहित में है जब आप ऐसी कृतियां फैलाएंगे तब प्रोजेक्ट में आपत्तियां आएंगी जब लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा आपको सेटल किया जाएगा आप सेट को में मांगने लायक नहीं होंगे तब लोगों को तसल्ली आती है मुझे स्वयं उचित मूल्य नहीं मिला है इसमें अगर उचित मूल्य मिला होता तो मैं इतना दौड़ता दुखता ना होता तो आप बता दीजिए इसमें इतना समय लगेगा फिर चल जाएगी ऑब्जेक्ट वाले बोलते है पैसे तो मिल जाएंगे पर मिलेंगे कैसे जब कागज़ में ही नहीं चढ़े हैं मकान का तो अभी भी नहीं पड़ा चारों तरफ चेबड़ी ही लिखा है क्या ये और क्षेत्र नहीं है चाहे हमारा पीछे एरिया ही आया हम भी तो आदमी ही है हमको भी डेवलपमेंट चाहिए हमें विश्व विधा मिलनी चाहिए हमारा क्षेत्र भी जमीन से ही जीतता है हम भी तो इसी से आगे बढ़े हैं बेशक हम रोड से पिछड़े हैं पर फसलें हमारी अच्छी होती है ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमें आशा है कि आप हमारी समस्याओं का हल अवश्य करेंगे ये जो म गान है इसका देखलो ये राजू बैठा है बेचारा गरीब आदमी है बड़ी मुश्किल से इसका नाम चढ़ाया और उस वक्त तहसीलदार भी गुस्सा हो गए थे कि मौके जाकर करो मेरी नीचे की नहीं ली ऊपर की सारी जमीन ले ली ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें हमारे और आपके बीच बैठकर इसका समाधान होना चाहिए जैसे आपकी भूमि नहीं दर्द है तो यह विरोध करेगा ही और अगर प्रोजेक्ट ना चले तो ये भी हमारा ही नुकसान है।

ओमप्रकाश गांव भौरा ग्राम पंचायत बिंदल: मेरा घराट है जो इस में नहीं लिया गया है नहीं

मेरा नाम प्रमोद कुमार है : मैं अपने घराट के बारे में बात करना चाहता हूँ उसका मौका किया जाए

एलएओ : उसका 1 दिन मौका देख लेते है आप मेरा नंबर ले लीजिये

पूरनचंद बिंदला : जनसुनवाई में कुछ लोगों की आपत्तियां लेकर आया हूँ आपत्ति ये है कि सुन्नी बांध वहाँ पर कुछ एक मकान हैं जो जल प्रवाह के सतह पर बने हुए हैं तो उनकी ये आपत्ति है कि संभाग संभावित खतरे में है तो उसका उचित प्रावधान किया जाए ताकि वे अपने मकान कहीं और जाकर बना सके मेरे पास इस बारे में एक प्रार्थना पत्र भी आया है जो मैं नायब तहसीलदार को देता हूँ दूसरी आपत्ति सर्वसम्मति से जताई गई है की अगर मुझे भूमि अर्जन के संदर्भ में हमारे अधिकार होने चाहिए वो हमें बताया जाए सबसे पहले मैं ये जानना ज़रूरी है की ये जो भूमि हम से ली जा रही है उसके संदर्भ में हमारे क्या अधिकार है आपत्ति तो हम तब दर्ज करवा सकते हैं जब हमें ये पता होगा की कितने अधिकार हमने प्राप्त किये है या नहीं पहले तो हमें अधिकारों के बारे में पता नहीं है हालांकि इस बारे में लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट लगने चाहिए बिजली का पैदा होना भी देश के विकास के लिए जरूरी है आधारभूत ये क्रम है लोगों की शुरुआत में बहुत सहयोग किया और जोखिम भरा भी काम किया उस समय अधिकारियों ने जो वादे किये थे की रोजगार देंगे परंतु कुछ कुछ को ही रोजगार मिले हैं और कहा था की योग्यता के आधार पर

रोजगार देंगे परन्तु जो रोजगार दिया है वो भी तसल्लीबख्श नहीं है जितना पहली उन्होंने कहा था बहुत सारे लोगों को वहाँ पर आवेदन भी दिए हैं अभी तक इंतजार में हैं सभी का ये मानना हैं की हमें रोजगार दिया जाए जो हम से वादे किए गए थे तो इस संदर्भ में अधिकारियों से विनती है कि हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाए।

बुध राम वर्मा: गांव ब्लॉग पंचायत बिड़ला मैं गांव बोहरा से हूँ बला वक्त में मेरा मकान है हमारा घर इसमें लिखा लिया ही नहीं गया है

एलएओ: आप का मौका देख लेंगे

पूरणचंद: कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घरों में दरारें आई है इस संदर्भ में हमने प्रोजेक्ट वालों से भी बात की थी तो मैंने पत्राचार भी किया और सीएम साहब को लेटर भी भेजा तो इसका इन को मुआवजा देना चाहिए तो इन्होंने बताया की ये जो दरारें है वो पहले से ही आयी थी जो हमारे द्वारा ब्लास्टिंग हुई उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने कहा की ये मकान कच्चा है इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अभी मेरा केस चला हुआ है

एलएओ: कमलेश जी इसका बताइए

कमलेश परियोजना प्रोजेक्ट अधिकारी: देखिए मैं परियोजना की ओर से कहना चाहूंगा कि अगर परियोजना निर्माण कार्य ऐसे किसी भी व्यक्तिगत या सामूहिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई एसजेवीएन करेगा ये सारी चीजें अगर इस्टैब्लिश होती है तो उसको एस केविन इस्टैब्लिश नहीं करेगा इसको इस्टैब्लिश करेगा गवर्नमेंट और उनके नुमाइन्दे ये जो नुकसान हुआ है ये परियोजना निर्माण कार्य से हुआ है तो वो करने के लिए चयन तैयार है

पूरनचंद: इस संदर्भ में चेयरमैन से भी मिला था तो उन्होंने बोला था कि आप का मकान कच्चा है वो फाइल भी मैंने उनको दी थी उन्होंने कहा मकान कच्चा है तो इसका कुछ भी नहीं मिल सकता जो 775 मेगावॉट का प्रोजेक्ट लगा था वो कैंसल हो गया पहले एसडीएम वैन ने बताया था कि हम इसको ऑफिस रखेंगे बाद में मुकर गए कि ये कच्चा मकान है इसका कुछ नहीं हो सकता उसका कुछ भी कंपेनसेशन नहीं मिला मेरे को आज तक नहीं दिया गया तो न्यायालय में मेरा केस चला है

कमलेश भारद्वाज परियोजना अधिकारी: मैंने बताया आपको अगर ये चीज़ इस्टैब्लिश होती है कि परियोजना निर्माण कार्यों से चाहे वो अभी की बात हो या बात की परियोजना से अगर कोई भी नुकसान होता है तो सरकार का आंकलन करती है और उसकी भरपाई एसजेवीएन करेगा

श्यामलाल शर्मा बिंदलआ पंचायत: मेरी भी भूमि जा रही है शुरू में जो हुआ था उसमें कुछ तो भूमि छोड़ दी थी जो सरकारी भूमि थी उसमें टू बुर्जियाँ ऊपर लगा दी जो किसी की निजी भूमि की उसको वह नीचे तक डंप कर दिया एक हम सबका साझा घराट है जो बिल्कुल दरिया के साथ है वो इस में नहीं लिया गया फिर उसमें कुछ ऐसा भी है जो आपकी भूमि है उसमें पूरा खेत जा

रहा है और विश्व दो छोड़ दिया है हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारा ये अनुरोध है की उसको पूरा लिया जाए दूसरी बात यह की जो रेट की बात है कि सारी जमीन पानी वाली है ये सच जिला शिमला का भर आएगा और जैसी है तो उस रेट के हिसाब से इसको कंपेर किया जाए ये नहीं कि शिमला में कुछ और दिया गया और यहाँ कुछ और अगली जो हमारी मांग है कि यह ऐसी भूमि अर्जन हो रहा है उसमें लोगों को रेड पहले बता दिया जाए बाद में झगड़े हो जाते हैं हर मीटिंग में हम पूछते है की इसकी छोटी सी जानकारी हमें दी जाये बाकी प्रोजेक्ट तो लगना चाहिए देश की उन्नति के लिये है ये सार्वजनिक क्षेत्र में है पर इसमें कुछ क्षेत्र है जो विकसित करने चाहिए

कमलेश भारद्वाज प्रोजेक्ट अधिकारी: ये जो सब रोड व रास्तों वाली जो बात है ये सारे कार्य होने हैं पर ये होगा लाडा के अंतर्गत जब एस के बीनल फंड जमा कराएगा तो सरकार लोकल कमिटी गठित करेगी उस कमिटी में आप लोग जब पंचायत के साथ बैठकें होगी तो उसमें आप ये चीज़े रखेंगे ऐसा नहीं है की तब तक आपका अधिक रहेंगी कंप्लीट हो जायेगा अभी गारंटी प्रोसेसेस लंबी प्रोसेसर है अभी इसमें समय लगेगा

करमचंद सूर्यवंशी: आप ने बताया कि लड़ा के अंतर्गत होंगे क्या लाडा का पैसा प्रोजेक्ट बनने के बाद आएगा या अभी से आना शुरू हो जाएगा

कमलेश भारद्वाज: जी पैसा आना अभी से शुरू हो जाएगा जैसे ही कमिटी गठित हो जाती है और एग्रीमेंट साइन हो जाता है

करमचंद सूर्यवंशी: आपने देखा होगा जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है उसमें इस साइट का कोई दुकान है ना घराट हमारे गांव का भी पार वाली साइड में है आपका प्रोजेक्ट काम चल पड़ा है जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा हमारे पास कोई अन्य व्यवस्था नहीं है हमें तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी पार वाली साइड जाना पड़ता है उससे पहले हमारे आने जाने का समाधान होना चाहिए

कमलेश भारद्वाज: अभी बांध बनेगा जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है वो कम से कम चार 5 साल का होता है उससे पहले लाडा का पैसा सरकार को चला जाएगा जब कमिटी बनेगी कमेटी आप लोगों के साथ बैठक करेगी उसमें जो कार्य प्राथमिकता पर होने है वो कार्य हो जाएंगे

लीला कुमारी: यू भौरा में हमारी जमीन जा रही है वहाँ पर तीन चार घर ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो पॉइंट से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है तो मैं चाहती हूँ की वो घर भी लिया जाए उस घर मैं रहके भी क्या करेंगे कभी पानी भर गया तो उसको तो भागना पड़ेगा तो मैं चाहती हूँ की वो घर भी लिए जाएं बाकी हम कहीं दूसरी जगह घर बना सके मेरी इस और मांग है जैसे ब्लास्टिंग से हमारे

घरों में दरारें आई है उस मकान को बने हुए 32 वर्ष हो गए हैं अभी तक उससे कोई दरारें नहीं थी जैसे ही पार वाली साइड ब्लास्टिंग हुई उस से इसमें दरारे आ गयी तीसरी बात मेरी रोजगार से संबंधित है इफेक्टेड लोगों को रोजगार मिलना चाहिये जो पद रिक्त हैं उसमें प्राथमिकता दी जाए

सहजकर्ता: आप सभी का इस जनसुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद ॰चेयर की सहमति से जनसुनवाई तो संपन्न करता हूँ धन्यवाद

जन सुनवायी : ग्राम पंचायत परलोग व शहौट

सहजकर्ता : आप सभी का आज इस जनसुनवाई में हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं सुन्नी डैम परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमिका अधिग्रहण प्रस्तावित है इस प्रस्तावित अधिग्रहण में ग्राम पंचायत परलोग व शौट की भूमि भी आ रही है प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सामाजिक समाघात का आकलन किया गया है और उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय में आम नागरिको के अवलोकन के लिए रखा गया था आज उस रिपोर्ट के बारे में जनसुनवाई है । मैं जनसुनवाई में आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ।

महल सिंह मेहता गांव बेलुढक: ये जो नाप लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया था इसमें मेरा दरिया के साथ आठ विश्व ज़मीन लगती थी जो इन्होंने छोड़ दी है उसका मैं क्या करूँगा बाकी सारी ले ली है और आठ बिस्वा छोड़ दी है मैं इसकी आपत्ति दर्ज कराऊंगा मैंने अपना लिखित में भी बनाया है मुझे ये समझ नहीं आता है कि किस तरह का माप किया गया है इसको आप नोट करे और इसमें सुधार करें

एलएओ: कृपया आप अपना खसरा नंबर दे दे

बेगराम गांव परलोग: हमारी इसमें घराट का नाम नहीं आया है मैंने इसकी नकल भी निकाली है उसमें है

प्रधान परलोग : इस विषय में मैंने पहले भी बात की थी इसमें दो तीन घराट के मालिको के नाम नहीं आए हैं नकल में नाम है परंतु जो बुकलेट आपने छपवाई है उसमें ये नाम नहीं अंकित है

महल सिंह मेहता: हमारी जो जमीन बनती है वो 2-8-3 बनती है परंतु इसमें से हमारा कुछ ही भाग लिया गया है 1-19-15 लिया है कुल भाग्य जो आठ बनता है उसमें से केवल चार लिया है तो मेरी आपसे आपत्ति ये है कि या तो आप संपूर्ण भूमि को छोड़ दो या ये जो थोड़ा बहुत भाग बचता है आठ बिस्वा बचता है इसका हम क्या करे जहाँ तक मेरी जानकारी है यह सारा भाग ऑटो रहा है फिर भी ऐसे किन कारण है जो यह नहीं लिया गया है और कारण ही नहीं बताएं ये आप नोट करे और इसके मुताबिक जो भी मुआवजा मिलता है वो हमको दे

नाम सिंह: हमारी जमीन लग रही है और माहौल करियाली में विभाग की तरफ से निशान हो चुका है बुर्जियां भी लग गई है परंतु इसका वर्णन नहीं किया है कागजों में भी नहीं आ रहा है पहले भी बताया गया था कि नई सूची में नाम आ जाएगा परंतु अभी भी नहीं आया इसमें अकेला नहीं हूँ हमारे गांव के 10-12 और भी है

एल ए ओ: जो अतिरिक्त भूमि छूट गई थी वो अब ली जा रही है उसका रिकॉर्ड भी हम ले आए हैं जो लेनी है वो इसमें आगे है और जो इसमें नहीं आई है समझो वो प्रोजेक्ट वालों को नहीं लेनी है उसमें आप लोग अपना सुझाव या आपत्ति दे सकते हैं

हेमराज वर्मा पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत परलोग : आज की जो हियरिंग हो रही है इसमें नायब तहसीलदार और एलएओ साहब मेरी ये समस्या है जो आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जब भी हम कहीं बाजार में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो उससे पहले उसकी कीमत पूछी जाती है की क्या रेट है आज आप हमारी जमीन एक्वायर कर रहे है ठीक है पर आप यह नहीं बता रहे है की क्या रेट है हम तो तब बेचेंगे जमीन जब आप हमे रेट बताएं हम तो तब बेचेंगे जब आप हमे रेट बताएंगे इसमें जो प्रोजेक्ट में लूट घसीट हो रही है आज तक जितनी भी जनसुनवाई हुई पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को ऐसी ठगा गया ऐसी अनदेखा किया गया इनको की इनकी बात कही सुनी ही नहीं जाती यहाँ पर बोलते है की सब कुछ दर्ज होगा परंतु आपको पता है प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है लेकिन हमारे लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ लग रही है अाधी अधूरी टूटी फूटी कब करेंगे हम जब आपका प्रोजेक्ट बन जायेगा उसके बाद हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे मेरे पिताजी का यह खत में घबराहट है लगभग 60-70 सालों से घराट चला रही है उसका कहीं नाम नहीं है क्या वो हम लोगों ने देखना है आप लोग एक्वायर कर रहे हैं तब आपको पता है की ये जगह देंगे हम पर ये पता नहीं है इसका मालिक कौन है हम आपके पीछे दौड़ेंगे प्रोजेक्ट हमने लगाना है की आपने आप लोग हमारी पंचायत के लोगों को अनपढ़ लोग है 80% लोग अनपढ़ है जिनको पता ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ लग रही है आप लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है ये मात्र औपचारिकता की जाती है हम आज तक बोलते हैं हमारी बातों को रिकॉर्ड में रखिये तुम लोगो को तो में सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा हम लोग जो भूमिहीन हो जाएंगे हमने कहा जाना है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत में इस रोड में बस चलती है 2.5 किलोमीटर पद फुल आपके सामने दिख रहा है प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं किया की यहाँ पर पोल भी डूब रहा है ग्राम पंचायत पर लोगों का हमारे आने जाने का साधन कब कहाँ से होगा कोई डीपीआर में मेन्शन किया है आपने ये चीज़ ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है हमारे तीन पुल टूट रहे हैं माम् आप सरकार की तरफ से है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे तीन पुल टूट रहे हैं ये सरकार के पुल है हमने पता नहीं इसको बनाने के लिए क्या किया कुर्बानी की है प्रधान जी आप इनको लिख के दीजिए हम सब इस जन सुनवाई का विरोध करते हैं हम बिल्कुल करते हैं इस प्रोजेक्ट को आप वहाँ ले जाएं जहाँ इसकी जरूरत है अगर आप इस तरह से ठगेंगे।

कमलेश भारद्वाज परियोजना अधिकारी: जो लोकेशन है वो प्रोजेक्ट नहीं डिसाइड करेगा वो संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी करेगा डीपीआर में सारी चीजे मेन्शन है परियोजना से किन किन चीजों को नुकसान होना है वो सारी चीजें सोशल इम्पैक्ट सस्पेंड स्टडीज़ में लिखी होती है दूसरी बात ये

परियोजना से जो जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको मिट्टी गेट करने का तरीका क्या है वो सारी चीजें स्टडी में लिखा जाएगा

एलएओ: लेट आपको पता है जो एक वायर होनी है उसका नोटिस गया है और सब कुछ हो गया है मैंने 31 जनवरी तक आप मुझे लिखकर दे सकते हैं जमीन आपकी है 31 जनवरी तक आप मेरे को लिखकर दे दो किसकी जमीन जारी है मैंने नोटिस भी सब को भेजे हैं

स्थानीय निवासी : किसी को भी नोटिस नहीं आए हैं सब को नहीं भेजे गए हैं ।

एलएओ: पहले आप मेरी बात सुन लीजिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिसकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है वो हमने ये नोटिस लगाया है अखबार में भी आया है हमने सब को नोटिस भी भेजा है जिनको पता नहीं है आप अभी अपना पता बता दो उनको भी नोटिस भेज देंगे 31 जनवरी तक आप हमे ये लिखकर दे दो की हम को इसका ये मूल्य चाहिए वो मैं फिर डीसी मंडी तक यह बात पहुँच जाऊंगा और मेरा भी आपसे अनुरोध रहेगा कि 31 जनवरी तक आप मेरे ऑफिस जरूर आएं में बी आपके बयान ले लूँगा और आपको रेट भी बताऊँगा की क्या रेट आपको सरकार दे सकती है और क्या रेट आप चाहते हैं।

रामानन्द : मेरी पत्नी की जमीन लगी है इसमें जो प्रोजेक्ट ने लेनी है उसमें और भी हिस्सेदार हैं क्या आपने उनको भी नोटिस दिए हैं ऐसा है पिछली बार सुरेंद्र नाम की एसडीएम यहाँ आये थे हमने उनसे भी आग्रह किया था कि हमारा ये ब्रिज है यह भी बर्बाद हो रहा है और ये खटका ब्रिज है वो भी बर्बाद हो रहा है फुटपाथ का ब्रिज है वो भी बर्बाद हो रहा है और जो रूट बना है वो भी बर्बाद हो रहा है लेकिन प्रोजेक्ट ने ये मेन्शन नहीं किया है एसडीएम साहब ने बोला जो पर लोग का पुल है ऊपर लोग में ही लगेगा लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के भाई ने इतना शैतान है वो व्यक्ति उसको नोट नहीं किया बहुत अफसोस की बात है ये बात बर्दाश्त नहीं है फिर भी मांगते हैं हमारे इस से जमीन क्यों उठाते हैं हमारे को ऐसा ये रास्ते हमारे है श्मशान हमारे है चरागाह हमारे है कहाँ देंगे ये हमको ठीक है यह प्रोजेक्ट सरकार के हैं लगने चाहिए लेकिन हम लोगों का गला क्यों काट रहे हो बगैर बगैर मैनेजर बने हुए हैं किसलिए बने हो हम लोगों का गला काटने के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं आप आपके साथ हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है पर आपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा आप ये नोट कर लीजिए मेरी ये बात उन्होंने नोट क्यों नहीं की की हमारा ब्रिज लग रहा है प्रोजेक्ट वाले तो इतने होशियार है जैसे कौआ होता है हम मन पर लोगों को ऐसे करते है जैसे ही हमें कुछ पता नहीं ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा आप लोग क्यों करते हैं ऐसे आपने तो बता दिया की नोटिस भेज दिए क्या आपने दफ्तर के कर्मचारी से पूछा की ये सब को नोटिस पहुंचे भी या नहीं उस दिन मैं ऐसा हुआ कानूनगो सांब यहाँ बैठे थे मैंने पूछा तो बोला ये पर्चे दे रहे हैं जिनकी जमीन जा रही है मैंने भी कहा कि हमारी भी जमीन जा रही है तो हमारे को क्या फायदा होगा ये तो बोलो सरकार की जमीन है तुम्हारी नहि है ये कोई

तरीका है यार बात करने का ऐसा बोला है मीठी मीठी बातों से हम को रखा जा रहा है हम तो रखते ही जा रहे हैं अरे दोष लगेगा भाई हम लोगो का आप लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें मत करो हमारे आने जाने के रास्ते खत्म हो जाएंगे हमारी जमीनें खत्म हो जाएंगी लेकिन आप लोगो ने तो हमें चूस लिया है इसलिए हम ऐसा है जहाँ भी जाना है जाओ इसमें पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है नोक भी लिए गए तो चोरी छुपे लिए गए मेरी पत्नी की जमीन में रेत भी लग रही है क्या आप उसका भी मुआवजा देंगे जिसे हिसाब से मेरी रेत बिकती है क्या उस हिसाब से आप मुआवजा देंगे बताइए इस चीज़ को हमे जो ऊपर की जमीन है वो तो ले ली और नीचे की जमीन नहीं ली गई 334 खसरा नंबर है

प्रधान ग्राम पंचायत परलोग: सर इसमें जहाँ तक पुल की बात हो रही है रोड की बात हो रही है तीन चार बार हमारे रूट से अनटच है जैसे बिल्लू डाक रोड है यहाँ से फफ़ान के लिए रूट जाता है वो कुछ मेन्शन नहीं किया है जो नई की बुक बनी है उसमें हम चेक कर रहे थे उसमें आगे पीछे की पोल मेन्शन किये हैं पर यहाँ के पोल मेन्शन नहीं किए गए हैं आठ 2022 को मैंने आपको लेटर लिखा था हमने बताया था कि हमें बताया कि पुल की लोकेशन कहाँ है तो उन्होंने बताया की आप जाईये तो डिपार्टमेंट की तरफ से लग रहा है अब हम लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे हमने तो सरकार को भी पत्र लिखा है और डीसी हिसाब से भी खुद पिछले हफ्ते मिली मैंने प्रोजेक्ट से संबंधित जितनी भी बाते थी चाहे वो जॉब से संबंधित हो चाहे वो पुल की हो रोड की हो मैंने उनसे भी बैठकर डिस्कस किया और आपसे भी निवेदन है कोई हमारी पंचायत से आता है उसके साथ अच्छे से पेश आया जाए

परियोजना अधिकारी: आप लोगों की बात सही है अगर ऐसा व्यवहार किसी के साथ किया जाता है तो वो बिलकुल गलत बात है आप लोग इस परियोजना के मेजर स्टेकहोल्डर है स्थानीय लोग होते हैं अगर आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो गलत बात है ये बात मेरे ध्यान में भी आई है मैं आज भी इस बात को आगे रखता हूँ

स्थानीय निवासी: ये है क्या इस तरह से तो जनता बहुत शोषित हो चुकी है आपके जीतने भी ये कार्यक्रम है ये हमें बातें नहीं आप इसको सिस्टम से चलाओ पूरी रूपरेखा से चलो जो भूमिहीन हो रहा है उसको समझाए आपकी इतनी भूमि लग रही है वो पूरी तरह से समझें ये नहीं कि आप ऑफिस से कर लिया इस प्रकार जो सिस्टम है वो बेकार है अगर सरकार या आप हमें जबरदस्ती करना चाहते हैं तो हम पानी में ही अपने प्राण दे देंगे परन्तु यहाँ से जाएंगे नहीं हम भूमि बिल्कुल नहीं देंगे चार लोगों के फायदे के लिए 40 लोग नहीं मरेंगे राष्ट्र के फायदे के लिए बन रहा है ये प्रोजेक्ट और राष्ट्र जनता से बनता है रूपरेखा से काम चलाओ सरकार पर्दे के पीछे है मैं जानता हूँ हमारा रोष आप पर इतना ज्यादा नहीं है हमारा रोष सरकार पर है क्यों नहीं सरकार आरक्षण

ले पा रही है क्यों सरकार आपको सही से दिशा निर्देश नहीं दे पा रही है सरकार को चाहिए की जनता का फायदा हो जब हमने यहाँ से जाना है तो हमने कहा विस्थापित होना है आपको पता होना चाहिए आज भूमि सोने के भाव बिकती आपका थोड़ा सा पैसा लेकर हम क्या करेंगे किसानों भूमि बाजार के भावों से भी ज्यादा बिकनी चाहिए

परियोजना अधिकारी: ये जो अधिग्रहण हो रहा है जो अधिनियम 2013 है और 2013 में ये चीज़ लिखा गया है कि भूमि के बदले भूमि है

एलएओ: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट लेवल के लिए कमेटी बनी है जिसमें एमएलए एमपी डीसी एसडीएम प्रधान जी ये सब कमेटी के सदस्य हैं और जो आपके आवेदन आएँगे उसमें जो डिसाइड होगा उस आधार पर SJVN पैसे देगा

सहजकर्ता : आप सभी का धन्यवाद। जन सुनवायी को सम्पन्न किया जाता है।

आज दिनांक 07-02-2024 को सुन्नी डैम 380 मेगावाट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधी सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन के संदर्भ में जनसुनवायी का आयोजन किया गया। बैठक/जनसुनवायी में निम्न लोग उपस्थित हुए। बैठक उपमंडलाधिकारी सुश्री कविता ठाकुर की अध्यक्षता में हुई।

Sr. NO क्रमांक	NAME/Address नाम/पता	Mobile-No दूरभाष	Designation पद	Signature हस्ताक्षर
1	Kavita Thakur	9418451110 H.A.S., SDM (R) Sunni	SDM Rural Sunni	
2	CM. Thakur	88940-08200	Tehsildar Sunni	
3	Salim Mohd.	82192-38887	Naib Tehsildar Sunni	
4	Vinod Verma	9816060922	Field Kanungo Sunni	
5	Tulsi Ram	8988107743	office Kanungo Sunni	Tulsi Ram
6	Anoop Bhardwaj	98165-37537	Patwari Chabri	
7	Tej Ram	9418435271		
8	सुनीलदत्त	8580415480	Bharara	सुनीलदत्त
9	Prem Prakash	9459352576	Jaishi	
10	सीताराम	9418757525	सीताराम	
11	पूर्ण चन्द	9816221327	Jaishi	
12	रामानन्द	8219495720		
13	बेगराम	9418062938	बगाड़ा	बेगराम
14	सरोज	7876659990	ग्रामो	सरोज
15	Anant Ram	9418028883	मरासी	
16	Jagdish Ram	8988230468		
17	Mehar Chand	9459973673	मरासी	
18	Shivam Kumar	7482808841	Field officer (HX)	
19	Tek Chand Verma	9459264226	Jr. Consultant	
20	Bhoop Ram Verma	9805733216	-do-	
21	Kamlesh Bhardwaj	9418017787	PM - SJVN	
22	Ashwani Sood	9418493700	LAC, SJHEP	
23	Phunpa Devi	9015288922	P/Secy Bharara	
24				
25	Toonam	9418148739	G.P. Bharara Pradhan	

		7876164699	Ward Member Bhavara	Sitaller
26	Sita Devi	9418004729	Panchyat Bhavara	Chand
27	Rusan Chand			
28				
29				
30				
31				

ग्राम पंचायत
चेबड़ी

आज दिनांक 12-01-24 को सुन्नी डैम 382 मेगावाट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधी सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन के संदर्भ में जनसुनवायी का आयोजन किया गया। बैठक/जनसुनवायी में निम्नलोग उपस्थित हुए। बैठक उपमंडलाधिकारी श्री निशांत की अध्यक्षता में हुई।

SR. NO क्रमांक	NAME/Address नाम/पता	Mobile Number दूरभाष	Designation पद	Signature हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र पाल	9459733600	प्रधान चेबड़ी पंचायत	
2	Sunita Sharma	7876790691	BDC	
3	Salim Mohd	8219231887	Naib Tehsildar	
4	[illegible]	9418017787	SM - SDHEP	
5	Vinod Verma	9816060922	Field Kanungo	
6	Anoop Bhardwaj	9816537537	Patwari Chebri	
7	Jitem Raj OIC Sun.	9817269892	Office Kgo Sun	
8	Shivam Kumar	7482808841	Field officer (HR) SDHEP	
9	Durga Dass	9459724889	Ex Pradhan G.P. Chebri	
10	Ramesh Kumar	7018028253	AM - SDHEP	
11	Desraj	8580930335	UP Pradhan Chebri	
12	Kundan Lal	7018699185	Chebri	
13	Ram Lal	9816358729	Lunsu	
14	Heera Lal	9817757139	President Sanchalak Sangharsh Samiti	
15				
16	Achla Verma	9015099241	Ward member Bhaira	
17	SOHAN LAL	9418527953	General Secretary Sangharsh Samiti Jan Sunwai	
18	Laxmi Kant	8278878261	Vice President Sangharsh Samiti	
19	Beli Ram Pal	9418271034	M. S. S. Pradesh Lunsu	
20	Dev Raj Verma	8278892529	Jan Chetna Gram Panchayat Member	
21	Mohan Sharma	8218774955		
22	Gaur Sharma	7905378778	Anganwadi Pradhan	
23	Ile Ram	7876798770		
24	Neela Dass	7018164039	Chebri	
25				

26	[illegible]	[illegible]	8580807624	
27	Hemant	9816103509	U.H. Chebsi	
28	[illegible] Bhubena	8880928373		
29	[illegible]	8580753828		
30	[illegible] राम	8580920613		
31	Amrchug	8945421626		
32	Geeta Ram Thakur	9882640777		
33	Sanjay Sharma	8094499000		
34	Naresh Sharma	8580433546		
35	Daniel Kumar	8219705419	(Chauri)	

ग्राम पंचायत
(बिंदला - सरत्योला)

आज दिनांक 16-01-2024 को सुन्नी डैम 382 मेगावाट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधी सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन के संदर्भ में जनसुनवायी का आयोजन किया गया। बैठक / जनसुनवायी में निम्न लोग उपस्थित हुए। बैठक ~~उपमंडलाधिकारी~~ नायबतहसीलदार श्रीमती शांताशुक्ला की अध्यक्षता में हुई।

SR.NO क्रमांक	NAME नाम	Mobile-Number दूरभाष	Address/Designation पता / पद	Signature हस्ताक्षर
01	Shantu Shukla	82191-93500	N.T. Karsog	
02	ROSHANI Devi	9625949111	G.P. Bindla Pradhan	Roshni
03	Ashwani Sood	94184-93700	LAO SJVN SDHEP	
04	Shivam Kumar	9661359446	FO (HR) SJVNL	Shivam Kumar
05	Tek Chand Verma	9459264226	Jr. Consultant SJVN	
06	Jagdish chand Sharma	9816223254	Jr. consultant SJVN	
07	K.C. Surya Verma	8580742115	Ex Pradhan G.P Sarthyolla	
08		9459896044	मौरा	
09	देवी राम	8278872278		
10	Hom Ram	8091770695	बिन्दला	
11				Hom Ram
12	Rohit Kumar	8580407797		Rohit Kumar
13	भीम सिंह	9459790815		भीम सिंह
14	तिलकराम	7018622131	मरोला	Tilak Ram
15	दलीप सिंह	7876351052	मौरा	दलीप सिंह
16	YOG RAJ	7876664275	MAROLA	
17	SOMKRISHAN	9805433884	MAROLA	
18	Durga Ram	9816936827	Bindla	
19	Puran Chand	9805387365	" मौरा	
20	Nisha	7876804174	मरोला " मौरा	Nisha
21	LEELA KUMARI	7650001615	" "	
22	Anita Verma	7876562570	" "	Anita Verma
23	Kamal Bhati	9418017787	SM - SDHEP, Suni	
24	Hetram	9418484182	बिलाग	Hetram
25	Tekchand	9015681853	मरोला	
26	Shyam lal	9418027884	Bindla	

26	Saliy Pur	9857327427	[illegible]	[illegible]
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

ग्राम पंचायत
मोगड़ा

आज दिनांक 11/1/2024 को सुन्नी डैम 382 मेगावाट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधी सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन के सन्दर्भ में जनसुनवायी का आयोजन किया गया। बैठक / जनसुनवायी में निम्न लोग उपस्थित हुए बैठक उपमंडलाधिकारी श्री सुरेन्द्र मोहन की अध्यक्षता में हुई

क्रमांक	नाम / पता	दूरभाष	पद	हस्ताक्षर
1	SURENDER MOHAN	7018478288	SDM Rampur	
2	Bimla Thakur	98165-34785	G.P. Badhan	BThakur
3.	Savita	70187-40969	PATWARI	Savita
4	Prakash Vice President	88944-40315		
5	Kasardhand Land Lorer	78763-85723		
6	Jaichand Village. Jhunjan Pokunjal	9816784512.		
7	Dalip Kumar Tehsildar, K. Sa'in	8219469634		
8	Nand Lal Nehalia Ex Pradhan.	8580500571		
9	नरेशचन्द्र गांव मोगड़ा	9817171348		नरेशचन्द्र
10	सुरेन्द्र कुमार गांव निरोगी	9817071070		
11	देवकचन्द गांव निरोगी	9817560158		देवकचन्द
12	रूपचन्द मोगड़ा	9625396717		
13	भूप राम "	9625815076		Bhoop Ram
14	तिलक राज किन्नर	85807 29517		Tilak Raj
15	Kali Devi मोगड़ा (मझरग)	9816684691		Kali Devi
16	नीतमा झून झंग	8894633843		नीतमा
17	शारदा देवी झून झंग	9805960174		शारदा
18.	जमना देवी झून झंग	जमनादेवी 9816		9721
19	Jogindra झून झंग			Jogindra 9816
20	Beghlen Jhunjan			Verma 94595-1346
21	कलावती झून झंग			8894855
22	Mahesheswar Sawarg			9218
23				
24.	Kamlesh Kumari	SDMC	9418017787	

Date
Page

	NAME	Address	Phone	Singnature
25	Premchand Thakur	Associate consultant SDHEP Suni	9418021541	
26	Jagdish chand	Jr-Consultant SDHEP Suni	9816223254	
27	VINOD THAKUR	VILL PATAKHARA	9816115593	

ग्राम पंचायत
परलोग - शाहौट

classmate
Date
Page

आज दिनांक 16-01-2024 को सुन्नी डैम 382 मेगावाट परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव से संबंधी सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन के संदर्भ में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। बैठक/जनसुनवाई में निम्न लोग उपस्थित हुए। बैठक उपमंडलाधिकारी श्रीमती शांता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई।

SR. NO. क्रमांक	NAME नाम	Mobile - Number मोबाइल नम्बर	Address / Designation पता / पद	Signature हस्ताक्षर
1	Shanta Shukla	82191-93500	N.T. Karsog	
2	Ashwani Sood	94184-93700	LAO SJVN SOHEP, Sumi	
3	Rama Krishan	82650 03006	S.D.R Jos Dev Karsog	
4	Jagdish Chand Sharma	9816223254	Jr. Consultor	
5	Tek Chand Verma	9459264226	Jr. Consultant	
6	Gian Singh Verma	8261035105	Ex. Former	
7	Puran Chand	8091784092	Pauri	
8	Beg Ram	9625490866	Beg Ram	
9	Satish Mehta	9418760255	Distt President AICC Mandi	
10	Neeraj Prasanna	8894393339	Vill. Parlog Distt. Mandi Teh. Karsog	
11	Om Prakash	9817339871	Belu Distt Mandi	
12	Jai Lal	8629005057	Vill. Chlahai P.O. Mahmnagar	
13	Ghushi Ram	09057422783	village Dalla Sarkyala	
14	पूर्णानन्द	8263029956	Village Kathe Panwar	
15	राधा देवी	88944-76427	गांव परलोग (बला)	
16	[illegible]		गाँव परलोग	
17	[illegible]			
18	Nirmala			
19	Nirmala			
20	[illegible]		परलोग	
21	Surender	9625008272	Parlog.	
22	Amar Chand	85806-57140	[illegible]	
23	Leeladhar	9817098540	Koti P.O. Khaned	
24	Tek Ram Verma	01763-66520	Vill. Kalhar	
25	SITENDER Kumar	8219786915	Kalhar	

26	Khem Raj	9816809877	Kadehar	Khem
27	Jeet Ram	9318843088	Kadhed	Jeet Ram
28	Sher Singh	9817070300	Pradhan G.P. Shahit	Singh
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

जन सुनवाई
16.01.2014

सतलुज जल विद्युत निगम की परियोजना
सुन्नी डेम 382 मेगावॉट हेतू जिला शिमला व मंडी में
अतिरिक्त निजी भूमि अर्जन के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतू
सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए
जन सुनवाई
पंचायत
चेबड़ी
दिनांक
12.01.2024
SOCIAL IMAPCT ASSESSMENT UNIT, HIMACHAL PRADESH
SOCIAL IMAPCT ASSESSMENT TEAM
PLAN

जन सुनवाई

सतलुज जल विद्युत निगम की परियोजना
जन सुनवाई
पंचायत
परलोग व शाहोट
दिनांक
16.01.2024
SOCIAL IMAPCT ASSESSMENT UNIT, HIMACHAL PRADESH
SOCIAL IMAPCT ASSESSMENT TEAM
PLAN

जन सुनवाई

जन सुनवाई

सतलुज जल विद्युत निगम की परियोजना
जन सुनवाई
भराड़ा
01.02.2024

दिनांक
16/1/2025

सेवा में श्रीमान उपमण्डल एवम् नागरिक दण्ड अधिकारी करसोग
तहसील करसोग जिला मण्डी (हि.प्र.)

विषय – सतलुज जल विद्युत निगम में स्थाई नौकरी हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय जी

सेवा में विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे सतलुज जल विद्युत निगम में योग्यता के आधार पर स्थाई नौकरी मिले, मेरी योग्यता बी. ए. है मैंने आई.टी.आई. में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया मैं चाहता हूँ कि निगम में कम्प्यूटर सेवा करूं जिस से राष्ट्र को सही योगदान दे सकूँ निगम ने R&R के तहत एक योजना चलाई है जिनको नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी मिलेगी जिनको नौकरी नहीं चाहिए उन्हें पांच लाख रुपये एक मुश्त मिलेगा, इसलिए मुझे स्थाई नौकरी देने की कृपा करें, क्योंकि यह निगम आपके अधीन है यदि आपकी महति कृपा होगी तो मैं कृतार्थ होगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उपरोक्त विषय को ध्यान में रखकर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे।

प्रार्थी – Sanjay

संजय कुमार सुपुत्र श्री अमर चंद
गांव बेलूवांक डाकघर पंदोहा
तहसील करसोग जिला मण्डी (हि.प्र.)
मो.नं. - 98178-57477

प्रेषित कॉपी-
LAO -
SJVN - सुन्नी बॉध

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

कार्यालय ग्राम पंचायत परलोग

विकासखण्ड करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि.प्र.)

आज दिनांक 10-08-2022 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत परलोग की मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री/श्रीमती डायरी देवी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति 67 रही तथा निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्रस्ताव न. 07

प्रतिलिपि

दिनांक 18/08/2022

विषय:- ग्राम पंचायत परलोग की मुख्य मांगों के बारे में

उपस्थित सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु ग्राम पंचायत परलोग की जितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत परलोग की स्थानीय जनता द्वारा सरकार व प्रशासन के समक्ष बार-बार मांग उठाने व लोगों के अथक प्रयासों के उपरान्त जो (सुविधा) पुल, सड़क, स्कूल व अन्य सुविधा प्राप्त हुई है वह सभी विद्युत परियोजना लगने से जल मग्न हो रही है। जिसके कारण स्थानीय जनता बहुत परेशान है। ग्राम पंचायत परलोग की मुख्य मांगे निम्नानुसार है।

1. सभी महिला मण्डलों - चैरा, परलोग, बेलूढांक के लिए महिला मण्डल भवन का निर्माण किया जाना
2. युवक मण्डल भवन निर्माण
3. आँगनवाड़ी भवन चैरा, बेलूढांक, परलोग निर्माण
4. स्थानीय लोगों की आस्था के अनुसार अंतिम दाह संस्कार करने हेतु श्मशान घाटों का निर्माण करना।
5. राजकीय मिडल स्कूल परलोग (दरेड़ा) का भवन जो कि डूब क्षेत्र में आ रहा है उसका पुनः निर्माण करना।
6. पंचायत भवन ग्राउंड का निर्माण करवाना।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

कार्यालय ग्राम पंचायत परलोग

विकासखण्ड करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि.प्र.)

आज दिनांक 28/05/2022 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत परलोग की मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री/श्रीमती गायत्री देवी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति 7/7 रही तथा निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्रस्ताव न. 18

प्रतिलिपि

दिनांक 18/08/2022

विषय :- गाँव परलोग से लगाए जाने वाले (प्रस्तावित) पुल की Location/स्थान बदलने बारे :-

उपस्थित सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया कि ग्राम पंचायत परलोग में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत परियोजना के लिए कुमी का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सतलुज पुल भी जल मग्न हो जाएगा। ग्राम पंचायत परलोग में एक ग्राम पुल है जो कि शिमला और आदि जिला को जोड़ता है। पुल के जल मग्न होने से ग्राम पंचायत परलोग के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लगाया जाने वाला नया पुल मिडल स्कूल परलोग से प्रस्तावित किया गया था। स्थानीय जनता चाहती है कि प्रस्तावित पुल मिडल स्कूल परलोग से ही लगाया जाए। ताकि स्थानीय जनता को दिक्कत न हो।

अतः ग्राम पंचायत परलोग सह प्रभावित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बूटी खियल से पुरजोर मांग करती है कि ग्राम पंचायत परलोग को प्रस्तावित पुल का स्थान बदलने की कृपा करें। जो कि सर्व मान्य ग्राम पंचायत है।

प्रभावित पक्षों का कहना है कि नकल मुताबिक रिकार्ड के अनुसार सही है।

प्रेषित प्रतिलिपि :-
SDM-करसोग
LAO-SJVN
तहसील करसोग

on dated 16/01/2024

हस्ताक्षर
दिनांक 18/08/2022

सचिव
ग्राम पंचायत परलोग
वि.ख. करसोग, जिला मण्डी हि.प्र.

कार्यालय ग्राम पंचायत परलोग

विकासखण्ड करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि.प्र.)

आज दिनांक 10-08-2022 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत परलोग की मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री/श्रीमती गायत्री देवी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति 6/7 रही तथा निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

प्रतिलिपि

प्रस्ताव न. 07 दिनांक 18/08/2022

(7) सतलुज पुल जो विद्युत परियोजना के कारण डूब रहा है, उसे गाँव परलोग से ही लगाया जाए या उसी जगह पर ऊँचा कर

(8) पन्कोआ से बेलूढांक गाँव के लिए बस योग्य पुल का निर्माण करवाना।

(9) परलोग, चैरा, खनौच, बेलूढांक के लिए मंदिर निर्माण के लिए धन राशि।

(10) ग्राम पंचायत परलोग के लिए सोलर स्ट्रीट लाईट प्रदान की जाए।

(11) SJVN द्वारा प्रभावित सींचित एवं असींचित भूमि का प्रमाणित किया जाए और नकल पुलिस को 5 साल SDO मार्फत दिया जाए।

कार्यवाही के अनुसार सही है

Pradhan

Gram Panchayat Parlog,
The. Karsog, Distt. Mandi (H.P.)

Undated 16/04/2024

16/01/2024

सेवा में

L.E.O,
भू-अर्जन अधिकारी,
सुन्नी।

विषय :- मुहाल बेलूढांक खसरा नं० 993/237 व 987/251 को सतलुज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट लोअर से भारी नुकसान हो रहा है।

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार से है कि मैं चीरमल सुपुत्र देहरू गाँव बरोड़ा डाक० पन्दोबा तहसील करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सतलुज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट लोअर से मेरी भूमि खसरा नं० 993/237 व 987/251 को भारी नुकसान हो रहा है।

अतः मेरा आप से निवेदन है कि जो उपरोक्त खसरा नं० 993/237 व 987/251 खतरे व डूब क्षेत्र में आ रहे है इस भूमि का S.J.V.N.L के अधिकारियों व कर्मचारियों से मौखिक व आदिमौखिक रोका, करवाया जाए ताकि इस खतरे वाली भूमि को अधिग्रहण किया जा सके।

धन्यवाद

भवदीय चीरमल

चीरमल पुत्र देहरू
गाँव बरोड़ा डाक० पन्दोबा
त० करसोग जिला मंडी
(हि०प्र०)

Mobile No 8218810796

ग्राम पंचायत करसोग
नि० करसोग जिला

हस्ताक्षर
16/01/2024

अनुलग्नक–अ

महाल लुणसू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं		
								उ	द	प
1	2		3	4	5	6	7	8		
1	2 मिन	8 मिन	34 148 149	मुशतर्का	घारनी बंजर कदीम बाखल अवल	00-13-20 00-27-71 00-25-41	कुल भाग (288) हिमानन्द, चेत राम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर 14 भाग जतिन पुत्र ईश्वर दत पुत्र तुलसी राम 5 भाग खेमन्त, मनोज कुमार पुत्र भेद राम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर 5 भाग श्याम लाल, ठाकुर दत, सोम कृष्ण पुत्र आदम पुत्र दिवाकर भाग बराबर 24 भाग गोपाल, जितेन्द्र कुमार पुत्र वासूदेव पुत्र नाथू भाग बराबर 24 भाग राम लाल पुत्र नाथू पुत्र देवीसरन 24 भाग तेज राम लोकेश, योगेश पुत्र व श्रीमति सुदेश, श्रीमति सुषमा, श्रीमति बबली पुत्रियां व श्रीमति कृष्णा विध्वा दीपराम पुत्र भूप राम भाग बराबर 8 भाग मेहर चन्द, हेत राम, बृज लाल, बोध राज पुत्र व श्रीमति मुरतू विध्वा भूप राम पुत्र देवीसरन भाग बराबर 40 भाग भगत राम, उतम राम पुत्र टेंक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर 144 भाग स्थानिय वासी	सड़क	राजमार्ग	[illegible]
			किता–03			00-66-32				
2	20 मिन	53 मिन	29/1	मुशतर्का	बाखल अवल	00-03-14	कुल भाग (2) हंसराज, धर्म पाल, मनोहर लाल, केवल राम पुत्र व श्रीमति विद्या देवी, श्रीमति निर्मला देवी, श्रीमति गीता देवी पुत्रियां खूबचन्द पुत्र लच्छीया भाग बराबर (1) भाग तुलसीराम पुत्र लच्छीया पुत्र गणेशू (1) भाग स्थानिय वासी			
3	27 मिन	70 मिन	100	मुशतर्का	घासनी	00-01-88	कुल भाग (6) चुनी राम, जय कृष्ण, मदन लाल भाग बराबर 5 भाग पुत्र व श्रीमति मेघलू 1 भाग विध्वा चुहा राम पुत्र दूर्गा स्थानिय वासी			
4	28 मिन	72 मिन	655/150	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-02-97	कुल भाग (3) घनश्याम, धर्मप्रकाश पुत्र व श्रीमति उर्मिला, श्रीमति नीना, श्रीमति नीशा देवी पुत्रियां व श्रीमति सुनेहरु विध्वा प्रेम लाल पुत्र नाथू भाग बराबर 1 भाग मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्मा राम 1 भाग विजय कुमार, लोकेश पुत्र व श्रीमति चम्पा देवी विध्वा जिया लाल पुत्र नाथू भाग बराबर 1 भाग स्थानिय वासी			
5	29 मिन	73 मिन	38 48	मुशतर्का	बाखल अवल बंजर कदीम	00-16-10 00-03-10	कुल भाग (21) घनश्याम, धर्मप्रकाश भाग बराबर 5 भाग पुत्र व श्रीमति उर्मिला, श्रीमति नीना, श्रीमति नीशा देवी पुत्रियां व श्रीमति सुनेहरु भाग बराबर 2 भाग विध्वा प्रेम लाल पुत्र नाथू , मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्मा राम 7 भाग विजय कुमार, लोकेश भाग बराबर 6 भाग पुत्र व श्रीमति चम्पा देवी 1 भाग विध्वा जिया लाल पुत्र नाथू स्थानिय वासी			
			किता–02			00-19-20				
6	30 मिन	76 मिन	44	मुशतर्का	बाखल अवल	00-05-63	कुल भाग (21) घनश्याम 5 भाग पुत्र व धर्मप्रकाश 2 भाग पुत्र प्रेम लाल पुत्र नाथू, मित्र देव पुत्र नाथू पुत्र आत्मा राम 7 भाग विजय कुमार, लोकेश भाग बराबर 6 भाग पुत्र व श्रीमति चम्पा देवी 1 भाग विध्वा जिया लाल पुत्र नाथू स्थानिय वासी			

NT (R) NT (R) NT (R)

7	32 मिन	79 मिन	45 47 49 46	वाहिद	बंजर कदीम बाखल अवल घासनी बंजर कदीम	00-04-61 00-05-71 00-04-77 00-01-20	कुल भाग (20790) हुक्म चन्द 2073 भाग व पुत्र विद्यासागर 2127 भाग पुत्र धनी राम पुत्र अमर दत, भूप राम, मस्त राम, मोहन लाल, तिलक राम भाग बराबर 3300 भाग पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी, श्रीमति शशीकला पुत्रियां व श्रीमति सावित्री भाग बराबर 900 भाग विध्वा सीस राम पुत्र अमर दत, कांशी राम 3150 भाग पुत्र व श्रीमति सोमावती 1050 भाग विध्वा हेत राम पुत्र अमरदत श्रीमति मनोरमा पुत्री श्रीमति देवकी पुत्री अमरदत 2100 भाग अनूप राम पुत्र अमरदत पुत्र पीरु 4200 भाग ठेक चन्द पुत्र नीलकंठ पुत्र हुकमिया 1890 भाग स्थानिय वासी			
			किता–04			00-16-29				
8	36 मिन	89 मिन	11/1 40 43	मुशतर्का	घासनी बाखल अवल बाखल अवल	00-01-78 00-03-70 00-04-02	कुल भाग (360) हेम चन्द पुत्र उतम चन्द पुत्र बसन्ता 36 भाग उतम चनद पुत्र बसन्ता पुत्र दुर्गा 168 भाग सर्वश्रीमति कलासू, बेसरु पुत्रियां व श्रीमति पार्वती पुत्री बसन्ता भाग बराबर 36 भाग श्रीमति संतोष कुमारी पुत्री व श्रीमति कौशल्या देवी विध्वा तोता राम पुत्र श्रीमति पार्वती भाग बराबर 12 भाग श्रीमति गोदावरी, श्रीमति केसरी, श्रीमति गुलाबी पुत्री व खेम चनद पूर्ण देव, गीता राम, देवी राम, प्यारे लाल ईश्वर दत पुत्र पीताम्बर पुत्र टाकुर दत भाग बराबर 72 भाग श्रीमति चनदी विध्वा हरी चन्द पुत्र बसन्ता 36 भाग स्थानिय वासी			
			किता–03			00-09-50				
9	36 मिन	98 मिन	39	मुशतर्का	बाखल अवल	00-03-53	कुल भाग (72) हरी राम पुत्र चाननू पुत्र देवा राम 48 भाग श्रीमति पुष्पा देवी विध्वा परस राम पुत्र चाननू 24 भाग स्थानिय वासी			
10	36 मिन	94 मिन	41 42	मुशतर्का	बाखल अवल बाखल अवल	00-02-45 00-01-74	कुल भाग (360) भूपेन्द्र कुमार 52 भाग पुत्र व श्रीमति निर्मला, कान्ता, कुमारी रीना, कुमारी सीमा भाग बराबर 48 भाग पुत्रियां दुनी चन्द पुत्र जय राम, कमलेश कुमार 65 भाग पुत्र व कुमारी सुभद्रा देवी 25 भाग पुत्री व श्रीमति बदामू देवी 10 भाग विध्वा पूर्ण चन्द पुत्र जय राम, मेद राम पुत्र जय राम पुत्र दुर्गा 100 भाग गिरधारी, भूपेन्द्र पुत्र श्रीमति कोकलू पुत्री जय राम पुत्र दुर्गा भाग बराबर 60 भाग स्थानिय वासी			
			किता–02			00-04-19				
11	38 मिन	105 व 106 मिन	656/150 152	वाहिद	बंजर कदीम बाखल अवल	00-24-43 00-00-90	पूर्ण चन्द पुत्र रामू पुत्र काथू स्थानिय वासी			
			किता–02			00-25-33				
12	39	107	151	वाहिद	घासनी	00-01-91	गोवर्धन पुत्र पूर्णचन्द पुत्र रामू स्थानिय वासी			

NT (R) NP (R) NP (R)

13	41 मिन	109 मिन	231	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-17-88	कुल भाग (32) गिरधारी लाल, सुदर्शन लाल, नन्द लाल भाग बराबर 4 भाग पुत्र व श्रीमति सनैहरु 1 भाग विध्वा परशोतम पुत्र रामू, सतीश कुमार पुत्र विद्याधर पुत्र रामू 5 भाग उतम राम, पूर्ण चन्द पुत्र रामू पुत्र काथू भाग बराबर 10 भाग श्रीमति देवकू, श्रीमति फूली पुत्रियां दिवलू पुत्र काथू भाग बराबर 8 भाग कुमारी नीरु पुत्री परसराम पुत्र नामालुम 4 भाग स्थानिय वासी			
14	55 मिन	127 मिन	147	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-21-66	कुल भाग (30) बेग राम पुत्र माठू पुत्र चादनू 3 भाग पुत्र व श्रीमति नागु, श्रीमति बेगू कुमारी विद्या कुमारी रोशनी भाग बराबर 12 भाग पुत्रियां माठू पुत्र चादनू पूर्वू पुत्र हिरदा पुत्र नामालुम 15 भाग स्थानिय वासी			
			किता-24			01-99-43				

NT (R) KGO (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल मुगना, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र.(अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं		
								उ	द	प
1	2		3	4	5	6	7	8		
1	8	18	13	मुशतर्का	घासनी	03-25-83	कुल भाग (1380) हिमानन्द, चेत राम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर 36 भाग जतिन पुत्र ईश्वर चन्द पुत्र तुलसी राम (12) भाग खेमन्त कुमार, मनोज कुमार पुत्र भेद राम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (12) भाग, आदम पुत्र दिवाकर पुत्र देवीसरन (60)भाग जितेन्द्र कुमार, गोपाल पुत्र वासुदेव पुत्र नाथू भाग बाराबर (60) भाग, राम लाल पुत्र नाथू पुत्र देवीसरन (60) भाग तेज राम, लोकेश, योगेश पुत्र व श्रीमति सुदेश, श्रीमति सुषमा, श्रीमति बबली पुत्रियां व श्रीमति कृष्णा विध्वा दीपराम पुत्र भूप राम भाग बराबर (20) भाग मेहर चन्द, हेत राम, बृज लाल, बोध राज पुत्र व श्रीमति मुरतू विध्वा भूप राम पुत्र देवी सरन भाग बराबर (100) भाग भगत राम, उतम राम पुत्र टेक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (360) भाग रोशन लाल, झींझा राम पुत्र पुर्ण चन्द पुत्र लच्छिसा भाग बराबर (15) भाग मित्रदेव पुत्र व श्रीमति बती पुत्री लच्छिया पुत्र बलिया भाग बराबर (30) भाग चोप राम, श्याम लाल पुत्र व श्रीमति सुभद्रा देवी, श्रीमति पुष्पा देवी, श्रीमति सरला देवी, श्रीमति कान्ता देवी, कुमारी माला देवी पुत्रियां व श्रीमति बेसरु देवी विध्वा उतम चन्द पुत्र लच्छिया भाग बराबर 15 भाग मदन लाल, कृष्ण लाल पुत्र नारद पुत्र बलिया भाग बारबर 60 भाग रुप चन्द, गुप्त राम पुत्र व श्रीमति तारावती पुत्री धर्म दत पुत्र बलिया भाग बराबर 60 भाग श्रीमति सेवती पुत्री बलिया पुत्र भीमी 60 भाग बाल कृष्ण 45 भाग पुत्र व नीम चन्द पुत्र व श्रीमति तुलसी श्रीमति नर्वदा भाग बराबर 270 भाग पुत्रियां तीखू पुत्र दिवलू मुरारी पुत्र सूर्य प्रकाश पुत्र गंगू 45 भाग सोम कृष्ण पुत्र विधू पुत्र अगरु 20 भाग पीताम्बर लाल, विश्वप्रकाश पुत्र व श्रीमति मनोरमा देवी, श्रीमति जयवन्ती, उषा देवी, श्रीमति ललिता देवी, श्रीमति ईश्वरी देवी पुत्रियां व श्रीमति लक्ष्मी देवी विध्वा सेवा नन्द पुत्र विधू भाग बराबर 20 भाग केशव चन्द, रोहित कुमार पुत्र व श्रीमति शान्ति देवी श्रीमति योगेश्वरी, श्रीमति केसरी, श्रीमति तुलसी देवी, श्रीमति सुनिता पुत्रियां व श्रीमति बसन्ती देवी विध्वा इन्द्र पुत्र विधू भाग बराबर 20 भाग स्थानिय वासी	सतुज	राजमार्ग	[illegible]

NT (R) Tehsildar (R) NT (R)

अनुलग्नक-अ

महाल जैशी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	122 भिन	237 भिन	481 486 487	मुशतर्का	ब.क.द. फलदार गै.मु.घराट एक चक्की जारी 12 माही बंजर कदीम	00-06-93 00-00-15 00-00-26	कुल भाग (20) दौलतराम 1 भाग गुरदास पुत्र व श्रीमति हुकमू पुत्री व श्रीमति बेगमू भाग बराबर 6 भग विध्वा हिरदा पुत्र थुईया सुरजू, रामानन्द पुत्र दौतल राम पुत्र हिरदा भाग बराबर (1) भाग लायकराम, रोशनलाल, गुड्डू पुत्र व श्रीमति सन्ती, श्रीमति फूली, श्रीमति सावित्री पुत्रियां इन्द्रजीत पुत्र बलीया भाग बराबर (12) भाग स्थानिय वासी	अखड़ा	राजमार्ग	भराड़ा	खैत
			किता-3			00-07-34					
2	124 भिन	241 भिन	480/2/1	मुशतर्का	बाखल दोयम	00-01-72	चन्द्र दास, रमेश पुत्र व श्रीमति प्रेम दासी, श्रीमति कौशल्या देवी, श्रीमति शकुन्तला देवी पुत्रियां किशनदास पुत्र अमरु भाग बराबर स्थानिय वासी				
3	133 भिन	250 भिन	484	मुशतर्का	बंजर कदीम	00-07-35	कुल भाग (4) बेसरदास, हेतराम, बेगराम पुत्र अकलू पुत्र हीरा भाग बराबर (3) भाग बीटू पुत्र व श्रीमति हिमी देबी, श्रीमति राधा देबी पुत्रियां व श्रीमति कला देबी विध्वा निकाराम पुत्र अकलू भाग बराबर (1) भाग स्थानिय वासी				
			किता-5			00-16-41					

NT (R) Tehsildar (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल भराडा तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	105 मिन	195 मिन	20 21 22	मुशतर्का	गै.मु.कुहल गै.मु.घराट गै.मु. सैहन	00-00-25 00-00-26 00-00-25	हुकमिया, दास पुत्र दिवलू पुत्र मिथनू भाग बराबर स्थानीय वासी।	सतलुज	राजमार्ग	तलाह	जै० पी
			किता–3			00-00-76					

NT-(R) Tehsildar (R) Anvey NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल मजरोग तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	10 मिन	23 मिन	64	मुशतर्का	गै.मु.कुहल	00-01-33	कुल भाग (8) अमर चन्द, ठाकुरसैन, रूपचन्द, चरन्जी लाल पुत्र व श्रीमति द्रौपती, श्रीमति कला देवी, कुमारी वीना भाग बराबर (7) भाग पुत्रियां व श्रीमति सुरजू देवी, श्रीमति खिमी देवी भाग बराबर (1) भाग विध्वाऐं देवी राम पुत्र लच्छमी नन्द स्थानीय वासी।	सतलुज	राजमार्ग	सनावली	खुनाखन

NT (R) 10/8/(R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल भौंरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	19 मिन	28 मिन	262	मुशतर्का	गै.मु. कुहल	00-03-04	कुल भाग (14400) हिमा नन्द, चेत राम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर (504) भाग जतिन पुत्र ईश्वर चन्द पुत्र तुलसी राम (168) भाग खेमन्त, मनोज कुमार पुत्र भेद राम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (168) भाग श्याम लाल, ठाकुर दत, सोम कृष्ण भाग बराबर 840 भाग पुत्र आदम राम पुत्र दिवाकर, वासु देव, राम लाल पुत्र नाथु पुत्र देवी सरन भाग बराबर (720) भाग श्रीमति सुवधी विध्वा घनश्याम पुत्र देवी सरन (1440) भाग तेज राम, लोकेश, योगेश पुत्र व श्रीमति सुदेश, श्रीमति सुषमा, कुमारी बवली पुत्रियां व श्रीमति कृष्णा विध्वा दीप राम पुत्र भूप राम भाग बराबर (245) भाग मेहर चन्द, हेत राम, बृज लाल, बोध राज भाग बराबर (1120) भाग पुत्र व श्रीमति मुरतू (315) भाग विध्वा भूप राम पुत्र देवी सरन श्रीमति जुध्या पुत्री देवी सरन पुत्र रामदास (720) भाग भगत राम, उत्तम राम पुत्र टेक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (4800) भाग प्रमोद कुमार पुत्र व श्रीमति सोमी देवी, श्रीमति लता देवी, श्रीमति कमला देवी, श्रीमति हिमी देवी, कुमारी रक्षा भाग बराबर (1800) भाग पुत्रियां व श्रीमति गोदावरी (150) भाग विध्वा व श्रीमति तारावती (450) भाग विध्वा गीता राम पुत्र बिहारी श्रीमति कमली, श्रीमति गोदावरी, श्रीमति पदमू, श्रीमति फूलु पुत्रियां नाथु पुत्र देवी सरन भाग बराबर (960) भाग स्थानिय वासी	बिन्दला	सतलुज	बलोग	मरोला

NT (R) Tehsildar (R) NT (R)

	20 मिन	30 मिन	263 264 265	मुशतर्का	खडैतर धानी अव्वल गै.मु. बीड धानी अव्वल गै.मु. बीड	02-19-10 **01-10-19** 01-08-19 00-02-00 **02-08-13** **02-05-00** **00-03-13**	कुल भाग (14400) हिमा नन्द, चेत राम, चुनी लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र दिवाकर भाग बराबर (504) भाग जतिन पुत्र ईश्वर चन्द पुत्र तुलसी राम (168) भाग खेमन्त, मनोज कुमार पुत्र भेद राम पुत्र तुलसी राम भाग बराबर (168) भाग श्याम लाल, ठाकुर दत, सोम कृष्ण भाग बराबर 840 भाग वासु देव, राम लाल पुत्र नाथु पुत्र देवी सरन भाग बराबर (720) भाग श्रीमति सुवधी विध्वा घनश्याम पुत्र देवी सरन (480) भाग इन्द्र चन्द (960) भाग पुत्र व मेहर चन्द, हेत राम, बृज लाल, बोध राज भाग बराबर (1120) भाग पुत्र व श्रीमति मुरतू (315) भाग विध्वा भूप राम पुत्र देवी सरन तेज राम, लोकेश, योगेश पुत्र व श्रीमति सुदेश, श्रीमति सुषमा, कुमारी बवली पुत्रियां व श्रीमति कृष्णा विध्वा दीप राम पुत्र भूप राम भाग बराबर (245) भाग श्रीमति जुध्या पुत्री देवी सरन पुत्र रामदास (720) भाग भगत राम, उत्तम राम पुत्र टेक चन्द पुत्र बिहारी भाग बराबर (4800) भाग प्रमोद कुमार पुत्र व श्रीमति सोमी देवी, श्रीमति लता देवी, श्रीमति कमला देवी, श्रीमति हिमी देवी, कुमारी रक्षा भाग बराबर (1800) भाग पुत्रियां व श्रीमति गोदावरी (150) भाग विध्वा व श्रीमति तारावती (450) भाग विध्वा गीता राम पुत्र बिहारी श्रीमति कमली, श्रीमति गोदावरी, श्रीमति पदमू, श्रीमति फूलु पुत्रियां नाथु पुत्र देवी सरन भाग बराबर (960) भाग स्थानिय वासी				
			किता–3			**06-19-02**					
3	26	40	266	मुशतर्का	बंजर कावले काश्त	00-05-10	कुल भाग (6) श्रीमति दासी, श्रीमति लपरी पुत्रियां हिरु पुत्र तिलकू भाग बराबर (2) भाग तेज राम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमति अमकू विध्वा गोलू पुत्र हिरु भाग बराबर (1) भाग लच्छीराम पुत्र व श्रीमति मणी देवी पुत्री मनी राम पुत्र हिरु भाग बराबर (1) भाग ललित, संजीव पुत्र व श्रीमति शीला देवी, श्रीमति कमला देवी, श्रीमति पुष्पा देवी, श्रीमति रीना देवी पुत्रियां व श्रीमति पदी देवी विध्वा काहनू पुत्र हिरु भाग बराबर (2) भाग स्थानिय वासी				
4	29	43	258	मुशतर्का	गै.मु.कुहल	00-01-08	कुल भाग (360) श्रीमति दासी, श्रीमति लपरी पुत्रियां हिरु पुत्र तिलकू भाग बराबर (32) भाग तेज राम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमति अमकू विध्वा गोलू पुत्र हिरु भाग बराबर (64) भाग लच्छीराम पुत्र व श्रीमति मणी देवी पुत्री मनी राम पुत्र हिरु भाग बराबर (64) भाग ललित, संजीव पुत्र व श्रीमति शीला देवी, श्रीमति कमला देवी, श्रीमति पुष्पा देवी, श्रीमति रीना देवी पुत्रियां व श्रीमति पदी देवी विध्वा काहनू पुत्र हिरु भाग बराबर (128) भाग टेक चन्द, टिकम दास देवीदास प्रेम लाल पुत्र व श्रीमति बिमला देवी, लता देवी, गुलाबू देवी, श्रीमति प्रेमा देवी पुत्रियां व श्रीमति द्रापती देवी विध्वा मोलक पुत्र ब्रीजू भाग बराबर 27 भाग श्रीमति सावित्री, श्रीमति मालतू पुत्रियां अगरु पुत्र दासू भाग बराबर (36) भाग श्रीमति दर्शनू पुत्री बृजु पुत्र सैनू (9) भाग स्थानिय वासी				

NTC(R) NTC(R) NTC(R)

30	44	267	मुशतर्का	बंजर कावले काश्त	00-06-12	कुल भाग (720) श्रीमति दासी (70) भाग पुत्री व श्रीमति लपरी (34) भाग पुत्री हिरु पुत्र तिलकू तेज राम पुत्र व कुमारी लता, कुमारी रोशनी पुत्रियां व श्रीमति अमकू विध्वा गोलू पुत्र हिरु भाग बराबर (136) भाग लच्छीराम पुत्र व श्रीमति मणी देवी पुत्री मनी राम पुत्र हिरु भाग बराबर (136) भाग ललित, संजीव पुत्र व श्रीमति शीला देवी, श्रीमति कमला देवी, श्रीमति पुष्पा देवी, श्रीमति रीना देवी पुत्रियां व श्रीमति पदी देवी विध्वा काहनू पुत्र हिरु भाग बराबर (272) टेक चन्द, टिकम दास देवीदास प्रेम लाल पुत्र व श्रीमति बिमला देवी, लता देवी, गुलाबू देवी, श्रीमति प्रेमा देवी पुत्रियां व श्रीमति द्रापती देवी विध्वा मोलक पुत्र ब्रीजू भाग बराबर (27) भाग श्रीमति सावित्री, श्रीमति मालतू पुत्रियां अगरु पुत्र दासू भाग बराबर (36) भाग श्रीमति दर्शनू पुत्री बृजु पुत्र सैनू (9) भाग स्थानिय वासी				
			कुल किता–7			07-15-16					

71 516
Sgm

MT(R)

109 (R)

NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल जकलीन, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	5 मिन	6	42 43 91/2	मुशतर्का	धानी दोयम बंजर काबले काश्त धानी दोयम	00-19-18 00-04-16 00-18-19	हिमाराम, दरसू राम, डावर, वृजलाल, कर्मचन्द पुत्र कर्मदास पुत्र मगनिया भाग बराबर स्थानिय वासी	बिन्दला	सतलुज	मंगान	बलोग
			किता–3			02-03-13					

2 big 3 Int

13

NT (R)

KGO (R)

NT (R)

20

2. 03-03-13

अनुलग्नक–अ

महाल मगांन, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी क्र.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता		सीमाएं			
									उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7		8			
1	13	17	180/1/1	वाहिद	बरानी दोयम गै.मु.बीड	01-02-04 01-01-03 00-01-01	रूप लाल पुत्र मुशू पुत्र गुवशू स्थानिय वासी		चिन्हित	अनुसूचित	कब्जाधीन	उपलब्ध
						01-02-04						

MT (R) Kgo (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल बेलूढांक, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	22	30	208	मुशतर्का	गैर मुम. कुहल	00-05-04	कुल भाग (30) विलू राम, चंदू पुत्र दुर्गा पुत्र पदमा भाग बराबर (10) भाग कमल जित सिह, ओम राज, भीम सिह, बेद प्रकाश पुत्र व श्रीमति लीला देवी विध्वा चेत राम पुत्र दुर्गा भाग बराबर (5) भाग जोत राम, आशा राम भाग बराबर (10) भाग पुत्र व श्रीमति नच्छरी (1) भाग विध्वा देवी सरण पुत्र पदमा सतीश कुमार, वुधी सिह, देव राज पुत्र व श्रीमति मोरदासी विध्वा दिवान चंद पुत्र देवी सरण भाग बराबर (4) भाग स्थानिय वासी	खरौह	सतलुज	खरयाली	परलोग
2	23 मिन	31 मिन	223 224 225 226 227	मुशतर्का	धानी दोयम धानी दोयम गैर. मुम. खण्डर बारानी दोयम खडैतर	00-05-02 01-07-14 00-00-09 00-13-06 01-03-06	कुल भाग (480) विलू राम, चंदू पुत्र दुर्गा पुत्र पदमा भाग बराबर (160) भाग जोत राम, आशा राम भाग बराबर (130) भाग पुत्र व श्रीमति नच्छरी (51) भाग विध्वा देवी सरण पुत्र पदमा सतीश कुमार, वुधी सिह, देव राज भाग बराबर (53) भाग पुत्र व श्रीमति मोरदासी (6) भाग विध्वा दिवान चंद पुत्र देवी सरण स्थानिय वासी जित सिह, यशवन्त सिह उपनाम सिंघू राम, भाग चंद पुत्र सुरत राम पुत्र डणकू भाग बराबर (80) भाग निवासी महाल बगैल				
			किता–5			03-09-17					
3	62 मिन	85 मिन	228	मुशतर्का	गै.मु. गोहर	00-14-01	कुल भाग (24) अमर सिह, ज्ञान सिह, अमर चंद पुत्र व श्रीमति चुडामणी, श्रीमति इन्द्रा देवी, श्रीमति सैनापतू, श्रीमति भगवतू पुत्रियां हिरानंद पुत्र मानक भाग बराबर (3) भाग श्रीमति उतमू पुत्री दरसू पुत्र मदन (4) भाग स्थानिय वासी हेम सिंह पुत्र तुला राम पुत्र लच्छमी नन्द (17) भाग निवासी महाल मानगी				
4	65 मिन	88 मिन	211 213	मुशतर्का	गैर मुम. कुहल गैर मुम. कुहल	0-07-14 0-00-16	कुल भाग (9) सीस राम, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमति लीला कुमारी, श्रीमति गीता देवी, श्रीमति चमकीला देवी, श्रीमति इन्द्रावती, श्रीमति निशा कुमारी पुत्रियां व श्रीमति अच्छरी देवी विध्वा सुरत राम पुत्र मंघरू भाग बराबर (4) भाग श्रीमति देवकू विध्वा मंघरू पुत्र जरवू (5) भाग स्थानिय वासी				
			किता–2			00-08-10					

MT (R) KGO(R) NT (R)

	66	89	214	मुशतर्का	बंजर काबले काश्त	00-01-04	कुल भाग (18) देवी सिह, नंद कुमार, हेमराज पुत्र व कुमारी कौशल्या, कुमारी सरला पुत्रियां व श्रीमति सैनापतू विध्वा सिपु पुत्र जरवू भाग बराबर (9) भाग सीस राम, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमति लीला कुमारी, श्रीमति गीता देवी, श्रीमति चमकीला देवी, श्रीमति इन्द्रावती, श्रीमति निशा कुमारी पुत्रियां व श्रीमति अच्छरी देवी विध्वा सुरत राम पुत्र मंघरू भाग बराबर (4) भाग श्रीमति देवकू विध्वा मंघरू पुत्र जरवू (5) भाग स्थानिय वासी				
6	76 मिन	101 मिन	212	मुशतर्का	गैर मुम. कुहल	00-01-08	डोला राम, निका राम, राज कुमार, इन्द्र सिह, निर्मल दास पुत्र व श्रीमति मीरा पुत्री जफू पुत्र झैणू भाग बराबर स्थानिय वासी				
7	79 मिन	104 मिन	209 210 218	मुशतर्का	गैर मुम. कुहल गैर मुम. कुहल गैर मुम. घराट	00-00-12 00-08-18 00-01-04	भगवान दास, वेगा राम पुत्र व श्रीमति लीला देवी पुत्री हेतू पुत्र जानकू भाग बराबर निवासी महाल परलोग				
			किता-3			**00-10-14**					
			कुल किता-14			**05-10-18**					

NT (R) ICS (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल फफान, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं उ	सीमाएं द	सीमाएं पू	सीमाएं प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	1 मिन	1 मिन	151/139	मुशतर्का	बारानी दोयम गैर मुम. बीड़	03-04-05 03-00-00 00-04-05	कुल भाग (2270) हेम राज पुत्र व श्रीमति ममता देवी, शकुन्तला देवी पुत्रियां रेवा दास पुत्र पुरन भाग बराबर 1670 भाग रेवा दास पुत्र पूर्ण पुत्र भिमी 600 भाग स्थानीयवासी	खुबौ	सतलुज	पटवारी	मंगाल
2	8	8	138/137/1	वाहिद	बरानी अवल	00-18-06	खोर सिंह पुत्र शुकरू पुत्र सुरजू स्थानिय वासी				
3	9 मिन	9 मिन	153/43/2	वाहिद	बारानी दोयम	01-09-08	हिरा सिंह उपनाम मुशू पुत्र दिलू पुत्र सुरजू स्थानिय वासी				
4	11 मिन	11 मिन	113 115	मुशतर्का	बारानी अवल बरानी अवल	00-01-18 00-07-14	कुल भाग (30) हिरा सिंह उपनाम मुशू (6) भाग पुत्र दिलू पुत्र सुरजू, श्रीमति निकी, श्रीमति जुगनी, श्रीमति फुलमू, श्रीमति वुधी भाग बराबर (24) भाग पुत्रियां दिलू पुत्र सुरजू स्थानिय वासी				
			किता–2			00-09-12					
5	12	12	128/2	मुशतर्का	बारानी दोयम	00-07-12	ललित कुमार, डोला राम पुत्र व श्रीमति सुरेशा कुमारी पुत्री श्रीमति खुबकला पुत्री भीखम भाग बराबर स्थानिय वासी				
6	13 मिन	15 मिन 14 मिन 16	116 119 143/117/2 142/117	मुशतर्का	गैर मुम. खलवाड़ा बारानी अवल बारानी अवल बारानी अवल	00-00-10 00-06-18 03-17-02 00-03-15	कुल भाग (420) रेवादास पुत्र पुरन पुत्र भिमी (75) भाग शुकरू पुत्र सुरजू पुत्र झगडू (75) भाग खोर सिंह पुत्र शुकरू पुत्र सुरजू (75) भाग हिरा सिंह उपनाम मुशू पुत्र व श्रीमति निकी, श्रीमति जुगनी, श्रीमति फुलमू, श्रीमति वुधी पुत्रियां दिलू पुत्र सुरजू भाग बराबर (60) ललित कुमार, डोला राम पुत्र व श्रीमति सुरेशा कुमारी पुत्री श्रीमति खुबकला पुत्री भीखम भाग बराबर (75) भाग स्थानिय वासी श्रीमति सुख देवी पत्नी श्याम लाल पुत्र अमर चन्द (60) भाग निवासी महाल मकड़छा पटवार वृत शकरोड़ी तहसील सुन्नी				
			किता–4			04-08-05					

NT (R) Exec. Engg. (R) NT (R)

	17	21 मिन	44/1	मुशतर्का	बारानी दोयम	01-02-02	कुल भाग (7) मोहन लाल, गंगा धर, देवी राम पुत्र व श्रीमति लीलमा देवी, श्रीमति सन्तोष कुमारी पुत्रियां व श्रीमति कलू देवी विध्वा विन्हू पुत्र परसू भाग बराबर (1) भाग ध्यान सिंह, ओम प्रकाश, निक्का राम, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमति हिमकला, श्रीमति खेम कला पुत्रियां व श्रीमति गोदावरी विध्वा प्रेम दास पुत्र परसू भाग बराबर (1) भाग दीपराम, हिरू राम पुत्र व श्रीमति पवली पुत्री व श्रीमति परसू विध्वा परसू पुत्र कुन्दन भाग बराबर (4) भाग श्रीमति सुवदू विध्वा कुन्दन पुत्र झगडू (1) भाग स्थानिय वासी				
8	18	22 मिन	48/1	मुशतर्का	बारानी अवल बारानी अव्वल गै.मु.बैड	02-08-06 02-06-00 00-02-06	कुल भाग (9) मोहन लाल, गंगा धर, देवी राम पुत्र व श्रीमति लीलमा देवी, श्रीमति सन्तोष कुमारी पुत्रियां व श्रीमति कलू देवी विध्वा विन्हू पुत्र परसू भाग बराबर (1) भाग ध्यान सिंह, ओम प्रकाश, निक्का राम, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमति हिमकला, श्रीमति खेम कला पुत्रियां व श्रीमति गोदावरी विध्वा प्रेम दास पुत्र परसू भाग बराबर (1) भाग दीपराम, हिरू राम पुत्र व श्रीमति राधू, श्रीमति पवली भाग बराबर (4) भाग पुत्रियां व श्रीमति परसू (2) भाग विध्वा परसू पुत्र कुन्दन श्रीमति सुवदू विध्वा कुन्दन पुत्र झगडू (1) भाग स्थानिय वासी				
			किता-12			14-07-16					

NT (R) Kgo (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल परलोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क्र. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	1 मिन	1 मिन	263/261/ 24/1	मुशतर्का	बारानी दोयम	00-01-07	कुल भाग (9) सीस राम, भूपेन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमति लीला कुमारी, श्रीमति गीता देवी, श्रीमति चमकीला देवी, श्रीमति ईन्द्रा देवी, श्रीमति निशा पुत्रियां व श्रीमति अच्छरी देवी विध्वा सुरत राम पुत्र मंघरु भाग बराबर 8 भाग श्रीमति देवकू विध्वा मंघरु पुत्र जर्वू 1 भाग स्थानिय वासी	खनौच	सतलुज	फफाल	बेलूबांक
2	11 मिन	13	230/2	मुशतर्का	गै.मु. कुहल	00-08-08	कुल भाग (960) पूरन चन्द, गोवर्धन दास, सुरत राम, केशव राम, गुरदयाल, मीना राम, मोद राम, लीलाधर, ओम प्रकाश पुत्र व श्रीमति सैनापतू, श्रीमति नरायण दासी, श्रीमति कौशल्या देवी, श्रीमति गुदली देवी, श्रीमति लीलावती भाग बराबर 453 भाग पुत्रियां व श्रीमति गुलाबो देवी विध्वा तवारु पुत्र तुलसीया व श्रीमति गौरी पुत्री तवारु पुत्र तुलसीया 480 भाग स्थानिय वासी				
3	15 मिन	17 मिन 18 मिन	30 31	मुशतर्का	धानी अव्वल धानी अव्वल	01-09-00 01-02-07	कुल भाग (45) श्रीमति राम कली, श्रीमति हीमू पुत्रियां तवारु पुत्र जानकू भाग बराबर 8 भाग भीमेश चन्द, सीमेश चन्द, योगेश चन्द पुत्र लाल चन्द पुत्र डबलू भाग बराबर 10 भाग लाल चन्द पुत्र डबलू 3 भाग बंटी कुमार, लवली किशोर, रवि कुमार पुत्र व कुमारी अनुराधा, कुमारी दीक्षा पुत्रियां व श्रीमति गीता देवी विध्वा भगवान दास पुत्र हेतु भाग बराबर 6 भाग बेगा राम पुत्र व श्रीमति कागदू देवी पुत्री हेतु पुत्र जानकू भाग बराबर 12 भाग दिनेश कुमार पुत्र व श्रीमति रीना देवी पुत्री श्रीमति लीला देवी पुत्री हेतु भाग बराबर 6 भाग स्थानिय वासी				
			किता–2			**02-11-07**					
4	16	19	244/27/1	मुशतर्का	बारानी दोयम	00-06-00	ललित कुमार, डोला राम पुत्र व श्रीमति सुरेशा कुमारी पुत्री श्रीमति खूबकला पुत्री भीखू भाग बराबर स्थानिय वासी				
			कुल किता–5			**03-07-02**					

NT (R) Tehsildar (R) NT (R)

अनुलग्नक–अ

महाल खरयाली, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि.प्र. (अतिरिक्त भूमि)।

क. सं.	खेवट / खतौनी न.		सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बिघा में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	1	1	253/1	मुशतर्का	बंजर काबले काश्त	00-05-16	ज्ञान सिंह, लाल चन्द पुत्र पौशू पुत्र गंगा राम भाग बारबर स्थानिय वासी	बैरू	सतबुज	चोआ	रेलवेमार्ग
2	2 मिन	2 मिन	248 249 252 254 257 245/1		बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त	00-01-00 00-09-15 00-17-11 01-01-14 01-11-16 02-16-18	कुल भाग (24) ज्ञान सिंह, लाल चन्द पुत्र पौशू पुत्र गंगा राम भाग बराबर (12) भाग स्थानिय वासी आशा राम (3) भाग पुत्र व श्रीमति नारकली (1) भाग पुत्री व श्रीमति निक्की (2) भाग विध्वा त्वारु उपनाम किशनदास पुत्र बराम विजे राम पुत्र व श्रीमति सुमित्रा देवी, श्रीमति शान्ती देवी, कुमारी प्रेमा देवी पुत्रियां व श्रीमति निक्की देवी विध्वा दाखू पुत्र जेठू भाग बराबर (6) भाग निवासी महाल कदेहड़				
			किता–6			06-18-14					
3	3 मिन	3 मिन	261 262 264	मुशतर्का	गैर मुम. दोगरा बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त	00-04-12 00-07-12 00-13-13	कुल भाग (24) कौल राम पुत्र व श्रीमति अन्जू देवी पुत्री व श्रीमति सुभद्रा देवी विध्वा डोला राम पुत्र प्रेम दास भाग बराबर (7) भाग रोशन लाल पुत्र प्रेम दास पुत्र परम (7) भाग लालचन्द, लोप चन्द, केसरदास, निकाराम पुत्र नारायण दास पुत्र परम भाग बराबर (2) भाग गवर्धन, बोध राज पुत्र व श्रीमति लीलावती पुत्री परम पुत्र गोकल भाग बराबर (6) भाग डेहर चन्द, तिलक राज, सुरेश कुमार पुत्र व कुमारी रीमा देवी पुत्री व श्रीमति गायत्री देवी विध्वा अनन्तराम पुत्र परम भाग बराबर (2) भाग निवासी महाल कन्देहड				
			किता–3			01-05-17					
4	4 मिन	6 मिन	247 253 255 256	मुशतर्का	गैर मुम. दोगरा बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त बंजर काबले काश्त	00-02-06 00-10-16 00-02-16 00-11-02	कुल भाग (6) दलीप सिंह, पीर सिंह, भूप सिंह भाग बराबर (5) भाग पुत्र व श्रीमति घुमी देवी, श्रीमति केसरी देवी पुत्रियां व श्रीमति ज्ववालदासी भाग बराबर (1) भाग विध्वा श्याम दास पुत्र दुर्गा निवासी महाल कन्देहड				
			किता–4			1-07-00					
5	5 मिन	7 मिन	218	मुशतर्का	खडैतर	01-02-15	कुल भाग (30) लच्छीराम, विशन दास, मोतीराम भाग बराबर (29) भाग पुत्र व श्रीमति कलावन्ती, श्रीमति फुलमू भाग बराबर (1) भाग पुत्रियां महन्त पुत्र धनसी निवासी महाल कन्देहड				
			किता–15			11-00-02					